भारत में खाद्यान्न का विपणनयोग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानि का आकलन

कार्यविधि और प्रतिदर्श गाँवों का प्रोफाइल

2002

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
प्रधान शाखा कार्यालय
नागपुर - 440001

एम आर पी सी -40

विषय सूची

अध्याय संख्या		पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	i-ii
I.	प्रस्तावना	1-2
II.	कार्यविधि और विस्तारण सीमा	3
III.	फील्ड सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण के लिए जन शक्ति	10
IV.	अनुसूचियों की संवीक्षा और ऑकड़ों का विश्लेषण	11
V.	विपणन योग्य अधिशेष और विक्रय किए गए अधिशेष की अवधारणा	12
VI.	प्रतिदर्श गॉवों का प्रोफाइल	16
	परिशिष्टि	45-54
	संलग्नक	58-91
	प्लेट्स (चित्र पृष्ट)	92-102
	आभार	103-105

I

परिशिष्टि सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ सं.
1.	विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानि के आकलन पर सर्वेक्षण करने के लिए चुनिंदा खाद्यान्न की सूची जिसमें उनके अंग्रेजी नाम, वानस्पतिक नाम एवं विभिन्न स्थानीय भाषाओं में उनके नाम शामिल है	45
2.	नामोद्दिष्ट राज्य एजेंसियों की सूची	46
3.	अध्ययन हेतु प्रतिदर्श जिलों का चयन करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों और प्रस्तावित जिलों की संख्या	48
4.	विपणन अधिशेष और खाद्यान्न की फसलोत्तर हानि के आकलन के लिए चुने गए जिलों की राज्यवार सूची	50
5.	योजना आयोग के कृषीय जलवायु क्षेत्र के अनुसार विपणन अधिशेष और फसलोत्तर हानि के आकलन के सर्वेक्षण के अंतर्गत 100 चुने गए जिलों का विभाजन	54

(II)

संलग्नकों की सूची

क्रम सं.		पृष्ट सं.
1.	जनसंख्या के आकार के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	58
2.	भौगोलिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	59
3.	प्रतिदर्श गॉवों का प्रोफाइल : भौगोलिक क्षेत्र, कृष्ट क्षेत्र और उनकी प्रतिशतता	61
4.	सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता और सिंचाई के स्त्रोत के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	63
5.	वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान बुआई किया गया खाद्यान्न का औसत क्षेत्र	65
6.	गॉवों में उगाई गई फसलों के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का वितरण (वर्ष 1993-94 और 1994-95 के ऑकडों के आधार पर)	67
7.	चुनिंदा फसलों के अंतर्गत कृष्ट औसत क्षेत्र	69
8.	विभिन्न राज्यों में छोटे, मध्यम और बड़ी श्रेणियों के प्रतिदर्श कृषकों की औसत संख्या और चुनिंदा कृषकों की कुल संख्या में उनकी प्रतिशतता	73
9.	निकटतम बाजार से दूरी के आधार पर प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	74
10.	फीडर सड़क की स्थिति के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	75
11.	निकटतम बाजार के प्रकार के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	76

12.	गॉव में उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	78
13.	गॉव में सांस्थानिक भण्डारण सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	80
14.	गॉव के बाहर किंतु 10 कि.मी.के दायरे में कुल भण्डारण क्षमता उपलब्धता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	82
15.	गॉव के बाहर किंतु 10 कि.मी. के दायरे में सांस्थानिक भण्डारण सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	84
16.	प्रति प्रतिदर्श गॉव में उपलब्ध औसत सांस्थानिक भण्डारण क्षमता	87
17.	कुछ राज्यों में चयनित प्रतिदर्श गॉव में भण्डारण की औसत लागत	88
18.	गॉव में कृषक परिवारों की कुल संख्या के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	89
19.	प्रति कृषक परिवार सदस्यों की औसत संख्या	90

चित्र पृष्ठों की सूची

चित्र पृष्ठ		पृष्ठ सं.
1.	जनसंख्या के आकार के अनुसार प्रतिदर्श गॉव का विभाजन	92
2.	कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार कुल कृष्ट क्षेत्र	93
3.	सिंचाई के स्त्रोत के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों की संख्या	--
4.	वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बोए गए औसत क्षेत्र	94
5.	गॉव में उगाई गई फसलों के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का वितरण (वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के औसत ऑकडों पर आधारित)	95
6.	प्रति गॉव प्रतिदर्श कृषकों की औसत संख्या का विभाजन	96
7.	निकटतम बाजार से दूरी के आधार पर प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	97
8.	फीड़र सड़क की स्थिति के अनुसार प्रतिदर्श गॉव का विभाजन	98
9.	निकटतम बाजार के प्रकार के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	99
10.	गॉव में सांस्थानिक भण्डारण सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	100
11.	गॉव के बाहर किंतु 10 कि.मी. की परिधि में सांस्थानिक भण्डारण सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदर्श गॉव का विभाजन	101
12.	गॉव के कृषकों की कुल संख्या के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन	102

i

प्राक्कथन

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय डी.एम.आई. अपने स्थापना वर्ष 1935 से ही कृषि उत्पादों के विपणन के संबंध में सर्वेक्षण कर रहा है । कृषि विकास, वितरण कार्यक्रम और कृषि संबंधी वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण नीतियों की योजना के संदर्भ में विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानि का आकलन करने के लिए वास्तविक आवश्यकता महसूस की गई । विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आर्थिक नीतियां तय करके निर्णय होने में विपणन योग्य अधिशेष अनुपात संबंधी सूचना आर्थिक डाटाबेस तैयार करने में मदद करता है ।

पिछले दशकों के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई) के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर उपलब्ध विपणन योग्य अधिशेष संबंधी ऑकड़े काफी पहले के थे । अतः निदेशालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अनाजों के विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानि का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 1972 में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया । इस सर्वेक्षण में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे महत्वपूर्ण अनाज की फसलों को लिया गया । समय गुजरने के साथ-साथ इस सर्वेक्षण के विपणन योग्य अधिशेष अनुपात भी ज्यादा काम के नहीं थे । प्रयोक्ता संगठनों से ऑकड़ों को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए उनको अद्यतन रखने की मांग निरंतर प्राप्त हो रही है, जैसे कि सर्वेक्षण केवल विपणन योग्य अधिशेष अनुपात की सूचना ही नहीं प्रदान करता अपितु कुछ निर्णायक मदों की विभिन्न पहलुओं जैसे परिवार खपत के लिए खाद्यान्न, बीज, भोजन एवं अपव्यय आदि संबंधी सूचनाएं भी प्रदान करता है ।

इस दृष्टि से निदेशालय ने कुछ चुनिंदा खाद्यान्न (जैसे अनाज में धान, गेहुं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ तथा दाल में अरहर, मूंग, उड़द, चना और मसूर) के विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानि का प्राकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण प्रारंभ कराया । यह सर्वेक्षण तीन वर्ष अर्थात् 1996-97, 1997-98 और 1998-99 तक किया गया । सर्वेक्षण में 25 राज्यों के 100 जिलों में से 15000 किसान परिवारों को विविध स्तरों पर प्रतिदर्श डिजाइन के अनुसार चुना गया ।

फील्ड सर्वेक्षण निर्धारित राज्य एजेंसियों (डी एस ए) के माध्यम से किया गया । सर्वेक्षण ऑकड़ों से ग्रामीण रूपरेखा (प्रोफाइल) और किसान परिवारों के विभिन्न पहलुओं जैसे उगाई गई फसलों, विभिन्न प्रयोजनों के लिए खाद्यान्न रखने, उत्पादक स्तर पर उठाई गई हानि और बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई ।

ii

चुनिंदा गॉवों के संबंध में ग्रामीण जनसंख्या की महत्वपूर्ण जानकारी सहित, भौगोलिक क्षेत्र, कृषिगत क्षेत्र, सिंचाई के स्त्रोत, प्रत्येक फसल के अंतर्गत क्षेत्र का अनुपात, विभिन्न श्रेणियों में कृषकों का वितरण, बाजार तक पहुंच, फीडर सड़क की स्थिति और भंडारण क्षमता की उपलब्धता आदि के ऑकड़े प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए ।

मै तकनीकी समिति के सदस्यों, विशेष रूप से नमूना सर्वेक्षण प्रभाग, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (आई ए एस आर आई) के संयुक्त निदेशक डॉ. ए.के.श्रीवास्तव और डॉ.एच.वी. एल बथला, हेड सैंपल सर्वेक्षण डिवीजन का आभारी हूं जिन्होंने विपणन योग्य अधिशेष एवं फसलोत्तर हानि का आकलन करने संबंधी सांख्यिकीय कार्य विधि में हमारा समय-समय पर मार्गदर्शन किया । मै राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन आई सी), पश्चिमी क्षेत्र (सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) और क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र, कोलकाता का भी आभारी हूं जिन्होंने क्रमशः डाटा विश्लेषण और डाटा एंट्री के लिए हमे साफटवेयर सुविधा प्रदान करने में मदद की ।

इतने व्यापक स्तर पर किए सर्वेक्षण तथ्यों का व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण डी एम आई के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा नामोद्दिष्ट राज्य एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और भरसक प्रयास से ही संभव हो पाया है । मै उनके सामूहिक प्रयासों की सराहना करता हूं ।

डॉ.पी.के.विश्वास, तत्कालीन संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार, श्री आर.एल.दंडवते और डॉ.जी.गोपाला राव ने इस सर्वेक्षण की शुरूआत कराई । डॉ.जी.आर. भाटिया, अपर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस खंड को प्रकाशन के लिए संपादित कार्य संपन्न किया गया ।

मै उन चुनिंदा किसान परिवारों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सर्वेक्षण के दौरान जिनके उत्साह, सहयोग और सकारात्मक प्रतिक्रिया के बिना यह परियोजना कार्य पूरा होना संभव ही नही था ।

भारत सरकार इस रिपोर्ट में दिए गए किसी भी कथन के लिए उत्तरदायी नहीं है ।

(पी. के. अग्रवाल)
भारत सरकार के
कृषि विपणन सलाहकार

नागपुर :
तारीख : दिसम्बर, 2002

प्रस्तावना

1.1 पृष्टभूमि :

1.1.1. डी एम आई द्वारा पहले के दशकों में और 1972-73 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के आधार पर विपणन योग्य अधिशेष पर उपलब्ध ऑकडे बहुत पुराने हो गए थे । प्रयोक्ताओं से न केवल विपणन योग्य अधिशेष अनुपात पर आवश्यक हो बल्कि अन्य महत्वपूर्ण मदों जैसे : परिवार की खपत के लिए खाद्यान्न, बीज, भोजन एवं अपव्यय सामग्री आदि पर ऑकड़ों को संशोधित करने एवं अद्यतन की मांग लगाना प्राप्त होती रही है । यह सूचना योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के द्वारा कृषि क्षेत्र, खपत, व्यय, बचत, पूंजी निर्माण आदि के 'निवल राष्ट्रीय उत्पाद' के आकलन के लिए प्रयुक्त होती है जिसे ' राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी ' में प्रकाशित किया जाता है । यह सूचना दीर्घ तथा अल्प अवधि मॉग एवं आपूर्ति योजना के साथ साथ खपत के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धता का आकलन के लिए भी प्रयुक्त होती है ।वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय थोक मूल्यों की अखिल भारतीय सूचकांक संख्या के संकलन में विभिन्न कृषि मदों को वरीयता देने के लिए विपणन योग्य अधिशेष अनुपात का उपयोग करता है । विपणन योग्य अधिशेष अनुपात योजना प्रापण प्रचालन एवं बाजार विकास कार्यक्रम के लिए भी लाभप्रद है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कृषि संबंधी विश्वविद्यालयों संस्थानों के अनंसंधानकर्ताओं, संयुक्त राष्ट्र (एफ.ए.ओ.) के खाद्य एवं कृषि संगठन एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इससे काफी मदद मिलती है ।

1.1.2. ऑकड़ों को देश की अर्थव्यवस्था में होनेवाले परिवर्तनों के साथ अनुकूल बनाए रखने के उददेश्य से इस बैठक में सचिव (आर.डी.) की अध्यक्षता में 5 फरवरी 1991 को आयोजित बैठक में इन मुददों पर चर्चा की गई । इस अध्ययन के महत्व को दोहराया गया और यह सहमति हुई कि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय सर्वेक्षण करने के लिए उपयुक्त एजेंसी है । भारत सरकार के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय के आर्थिक व सांख्यिकी सलाहकार की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि विपणन योग्य अधिशेष, बिक्री, खपत, बीज, भोजन एवं अपव्यय के विश्वसनीय अनुपात निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए देश में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में नए सर्वेक्षण किए जा सकते हैं ।

1.1.3 इस पृष्टभूमि में स्कीमों से संबंधित स्थायी समिति ने 10.9.93 को आयोजित बैठक में खाद्यान्नों के लिए विपणन योग्य अधिशेष व फसलोत्तर हानि के लिए योजना स्कीम को अनुमोदित किया है । यह भी निर्णय लिया गया कि सर्वेक्षण अनुसूचियों और प्रक्रिया को तैयार करने के लिए गठित की गई तकनीकी समिति स्कीम के अंतर्गत कार्य की प्रगति और कार्यान्वयन को जारी रख सकती है।

1.2 <u>तकनीकी समिति</u>

1.2.1 तकनीकी समिति का गठन इस प्रकार किया गया है :

1.	भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार	-	अध्यक्ष
2.	निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	-	सदस्य
3.	कृषि उत्पादन आयुक्त	-	सदस्य
4.	निदेशक (समन्वय) योजना आयोग	-	सदस्य
5.	आर्थिक व सांख्यिकी सलाहकार	-	सदस्य
6.	निदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन	-	सदस्य
7.	मंडी निदेशक, उत्तर प्रदेश	-	सदस्य
8.	निदेशक, कृषि विपणन हैदराबाद	-	सदस्य

1.2.2. खाद्यान्नों के विपणन योग्य अधिशेष एवं फसलोत्तर हानि का आकलन करने के लिए योजना स्कीम के अंतर्गत इस तकनीकी समिति की पहली बैठक भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार की अध्यक्षता में 14 नवंबर 1995 को हुई । इस .बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था और इसका निष्कर्ष यह रहा कि फील्ड सर्वेक्षण करने के लिए राज्य एजेंसियों के नामांकन को अनुमोदन मिला, फील्ड सर्वेक्षण करने के लिए इन राज्य एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए मानक निर्धारण किए गए साथ ही प्रतिदर्श प्रक्रिया, डाटा संग्रहण के लिए अनुसूची, अवधि आवृति एवं सर्वेक्षण के लिए समय सारिणी संबंधी मानक निर्धारण करने के लिए भी अनुमोदन प्राप्त हुए ।

कार्यप्रणाली एवं विस्तारण क्षेत्र

2.1 उददेश्य

इस स्कीम का मुख्य उददेश्य इस प्रकार है :

क) खाद्यान्न के अनुमानित विपणन योग्य अधिशेष संबंधी ऑकड़ों को संशोधित करना और उन्हें अद्यतन रखना :

ख) खाद्यान्न की खपत, बीज, चारे और इसी रूप में उसमें कड़ी मजदूरी और अन्य भुगतान संबंधी अ़द्यतन ऑकड़ों को संकलित करना : और

ग) उत्पादक के स्तर पर फसलोत्तर होने वाले नुकसान का अनुमान लगाना ।

इस अध्ययन का उददेश्य राज्य और राष्ट्र दोनों ही स्तर पर विपणन योग्य अधिशेष आदि के उचित आकलन देते हुए उसकी प्रासंगिकता निश्चित करना है ।

2.2 कार्यक्षेत्र

2.2.1 विभिन्न संबध्द संगठनों से चुने गए उत्कृष्ट विशेष की तकनीकी समिति ने सिफारिश की है कि विपणनयोग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानि का अनुमान लगाने हेतु तत्काल सर्वेक्षण आरंभ करने की दिशा में 12 खाद्यान्नों को लिया जा सकता है । वे खाद्यान्न इस प्रकार है :

अनाज	**दाले**
1) धान	8) अरहर (रेड ग्राम)
2) गेहूं	9) चना (बेंगाल ग्राम)
3) ज्वार	10) मूंग (ग्रीन ग्राम)
4) बाजरा	11) उड़द (ब्लेक ग्राम)
5) मक्का	12) मसूर (लेंटिल)
6) जौ	
7) रागी	

इन खाद्यान्नों के वानस्पतिक नाम और अंग्रेजी नाम तथा विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानीय भाषाओं में इनके नाम वाली सूची **परिशिष्ट 1** में दी गई है ।

2.2.2. तकनीकी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि :

क) इन सभी खाद्यान्नों का एकीकृत चित्रण तैयार के लिए एक साथ अध्ययन किया जाएगा ;

ख) ये अध्ययन सभी राज्यों में एक साथ किए जाएगें ताकि राज्य और राष्ट्र दोनों स्तर पर विपणनयोग्य अधिशेष इत्यादि का स्तरीय आकलन किया जा सके : तथा

ग) वर्तमान अध्ययन में उत्पादक स्तर तक फसलोत्तर हानि अपव्यय को शामिल किया जाएगा ।

2.3 कार्यान्वयन

2.3.1 <u>फील्ड सर्वेक्षण के लिए एजेंसियाँ :</u>

मंत्रालय ने इस योजना की स्कीम को स्वीकृत करते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि सर्वेक्षण और फील्ड कार्य राज्य सरकार के विभागों/राज्य कृषि विपणन बोर्ड/सरकारी उपक्रमों /कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि जैसी एजेंसियों के माध्यम से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन किए जाएंगे ताकि विभिन्न स्तरों पर समुचित आँकड़ों के साथ-साथ समानता भी सुनिश्चित हो सके । विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण करने वाली नामोदिष्ट राज्य एजेंसियों (डी.एस.ए.) की सूची परिशिष्ट 2 में दी गई है । इस दृष्टि से, ' स्कीम का संक्षिप्त आलेख' एवं डाटा संग्रहण के लिए विस्तृत अनुदेश सर्वेक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के नामोदिष्ट राज्य एजेंसियों के बाद (डी.एस.ए.) को परिचालित किए गए । इन नामोदिष्ट राज्य एजेंसियों ने बदले में सर्वेक्षण के लिए अपने अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया । साथ ही इस कार्य के लिए उनको जनशक्ति भी प्रदान की । इन एजेंसियों में अरूणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, पंजाब और त्रिपुरा के मामलों में निदेशक, कृषि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पं.बंगाल में निदेशक विपणन/निदेशक कृषि विपणन, नागालैंड के मामले में राज्य विपणन अधिकारी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान में राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मिजोरम में कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गोवा में सहकारी समिति (को आपरेटिव सोसायटी) के रजिस्ट्रार, सिक्किम में आर्थिक व सांख्यिकी ब्यूरो, और हिमाचल प्रदेश निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश में समग्र पर्यवेक्षण में कृषि विश्वविद्यालय शामिल है ।

2.3.2 <u>वित्तीय सहायता</u> :

भारत सरकार ने नामोद्दिष्ट राज्य एजेंसियों को अपने-अपने राज्यों में फील्ड सर्वेक्षण करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की। आरंभ में, चुनिंदा जिले को 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से अनुदान सहायता दी गई । बाद में इसे तकनीकी समिति ने इसकी समीक्षा की तथा सहायता-अनुदान सहायता की राशि बढाकर 1.50 लाख रूपये कर दी गई ।

2.3.3 पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं समन्वय :

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ने पता लगाए सेंटरों में फील्ड फारमेंशन से पुन: तैनाती करते हुए नामोद्दिष्ट राज्य एजेंसियों के फील्ड अन्वेषकों के द्वारा फील्ड सर्वेक्षण कार्य में पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं समन्वय कार्य में सहायता देने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों की नियुक्ती की ।

2.4 प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया डिजाइन और प्रतिदर्श आकार

तकनीकी समिति ने इस सर्वेक्षण के लिए बहु आयामी प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया डिजाइन की सिफारिश की । इसके लिए जिलों का चयन खाद्यान्नों की सभी फसलों के औसत उत्पादन की पद्वति के आधार पर किया गया था । तदनुसार इसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य के कुल जिलों में से 20% जिलों का चयन किया गया उन्हें राज्यों में उनके आकार और उत्पादन के आधार पर आबंटन किया गया । जैसा कि पहले विपणन निरीक्षण निदेशालय द्वारा भी किया गया था, ऐसा इसलिए किया गया ताकि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विपणन योग्य अधिशेष का समुचित अनुमान सुनिश्चित किया जा सके । प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया (डिजाइन) के अंतर्गत निम्नलिखित समिलित था :

i) प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण के लिए कुल जिलों में से 20% जिलों का चयन किया गया ।

ii) चुने गए प्रत्येक जिले में खाद्यान्नों के अंतर्गत की गई खेती के कुल क्षेत्र को देखते हुए उसे तीनों स्तरों में वर्गीकृत करने के बाद उनमें से 15 (पंद्रह) गाँवों को चुना गया ।

iii) चुने गए प्रत्येक गाँव के किसान परिवारों को तीनों श्रेणियों अर्थात् छोटे, मध्यम एवं बड़े किसानों में वर्गीकृत करने के बाद उनमें से 10 (दस) किसान परिवारों को चुना गया ।

तदनुसार, अखिल भारतीय आधार पर चुने गए जिलों की कुल संख्या 100 (सौ) सर्वेक्षण किए जाने वाले गाँवों की कुल संख्या 1500 (100 जिले x 15 गाँव) और किसान परिवारों की कुल संख्या 15000 (1500 गाँव x 10 किसान परिवार) आंकी गई । इनसे सर्वेक्षण की तीन वर्ष की अवधि के दौरान तिमाही आधार पर निर्धारित अनुसूचियों में ऑकडे एकत्र किए गए ।

2.5 प्रतिचयन (प्रतिदर्श चयन) पद्धति

2.5.1 प्रतिदर्श जिलों का चयन

जैसा कि पहले बताया गया है तकनीकी समिति द्वारा निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के परामर्श से अनुमोदित प्रतिचयन प्रक्रिया के अनुसार जिलों का चयन खाद्यान्नों की सभी फसलों के संबंध में औसत उत्पादन प्रणाली को ध्यान में रखतें हुए किया गया था । राष्ट्रीय स्तर पर 20% जिलों के चयन के बदले जिलों का चयन प्रत्येक राज्य के कुल जिलों में से 20% जिलों का चयन किया गया और उत्पादन को देखते हुए राज्यों में आबंटन किया जाता है । ऐसा राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर विपणन योग्य अधिशेष इत्यादि का समुचित आकलन सुनिश्चित करने के लिए किया गया । तीन वर्ष (1991-92, 1992-93 और 1993-94) को खाद्यान्न फसलों का वार्षिक उत्पादन संबंधी आकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के सभी जिलों को उच्च, मध्यम और निम्न तीन उत्पादन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया । खाद्यान्नों के वार्षिक उत्पादन संबंधी ऑकड़े राज्य के विभागों से लिए गए थे । कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाने के पश्चात प्रत्येक राज्य के कुल जिलों में से 20% जिलों का चयन किया गया जिससे कि प्रत्येक श्रेणी से दो जिलों का चयन हो सके और प्रत्येक राज्य से कम से कम छह जिलों का चयन सुनिश्चित किया जा सके चूंकि अलग अलग राज्यों में जिलों की संख्या 2 से 63 के बीच है, (गोवा में 2 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में 63 जिले हैं इसलिए उन राज्यों के संबंध में समस्या आती है जहॉ 30 से कम जिले हैं ।

i) राज्य जिनमें 30 या इससे अधिक जिले हैं :
बिहार (42), उत्तर प्रदेश (63), महाराष्ट्र (31) और मध्य प्रदेश (45).

ii) राज्य जिनमें 6 से अधिक किंतु 30 से कम जिले हैं :
ऑंध्र प्रदेश (23), अरूणाचल प्रदेश (11), असम (23), गुजरात (14), हरियाणा (16), हिमाचल प्रदेश (12), जम्मू व कश्मीर (14), कर्नाटक (20), केरल (14), मणिपुर (8), नागालैंड (7), उड़ीसा (13), पंजाब (12) राजस्थान (27), तमिलनाडु (22) और पश्चिम बंगाल (17).

iii) राज्य संघ राज्य क्षेत्र जिनमें 6 से कम जिले हैं :
गोवा (2), मेघालय (5), मिजोरम (3), सिक्किम (4), त्रिपुरा (3) अंडमान निकोबार द्वीप समूह (2), पांडिचेरी (4), दमन व दीव (2) दिल्ली (1), चंडीगढ (1), लक्षदीप (1) और दादर नगर हवेली (1).

अत: कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाया गया ताकि प्रत्येक श्रेणी से कम से कम दो जिलों का चयन सुनिश्चित किया जा सके । तदनुसार, अखिल भारतीय आधार

पर सर्वेक्षण के लिए 100 जिलों को चुना गया । सर्वेक्षण के लिए प्रतिदर्श जिलों का चयन करने के लिए राज्यों ओर संघ राज्यों क्षेत्रों को मिलाने का ब्यौरा परिशिष्ट 3 में दिया गया है ओर प्रत्येक राज्य में सर्वेक्षण के लिए चुने गए जिलों की सूची परिशिष्ट 4 में दी गई है जिनमें उच्च के लिए 'एच' , मध्यम के लिए 'एम' तथा निम्न के लिए 'एल' श्रेणी वर्णित है । इसमें यह भी शामिल किया गया कि जिलों का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि इन चुनिंदा जिलों का खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में करीब 20% का योगदान है ।

तकनीकी समिति ने अपनी पहली बैठक में यह भी सुझाव दिया था कि जिलों का चयन करते समय जहाँ तक हो सके राज्यों के विभिन्न प्रदेशों/कृषि जलवायवी क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाए । संयोगवश 100 चुनिंदा जिलों की सूची में 'पश्चिमी शुष्क क्षेत्र' ओर द्वीप क्षेत्र को छोड़कर प्राय: सभी कृषि जलवायवी क्षेत्र शामिल किए गए । कृषि जलवायवी क्षेत्रवार चुनिंदा जिलों के ब्यौरे परिशिष्ट 5 में प्रस्तुत हैं ।

2.5.2 <u>प्रतिदर्श गाँवों का चयन</u>

प्रत्येक चुनिंदा जिलें में गाँवों को उत्पादन के आधार पर 'उच्च', 'मध्यम' और 'निम्न' तीन स्तरों में वर्गीकृत करने के बाद 15 (पंद्रह) गाँवों का चयन किया गया। प्रत्येक गाँवों से खाद्यान्न उत्पादन संबंधी ऑकड़े प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तकनीकी समिति ने यह सिफारिश की कि खाद्यान्नों की खेती संबंधी कुल जोत को क्षेत्र के गाँवों के वर्गीकरण के लिए आधार माना जाए । तदनुसार, चुनिंदा जिले के सभी गाँवों को खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत कुल सकल या निवल क्षेत्र के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया ताकि जिले खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत आनेवाले कुल जोत क्षेत्रों का एक तिहाई भाग जो श्रेणी के उच्चतम भाग में था उसे "उच्च" उत्पादन स्तर में मध्यम भाग में शामिल गाँवों को 'मध्यम' उत्पादन स्तर और शेष भाग में शामिल गाँवों को 'निम्न' उत्पादन स्तर में रखा गया । प्रत्येक स्तर पर सरल प्रतिचयन प्रणाली से सर्वेक्षण करने के लिए पाँच गाँव चुने गए ।

---

* ऑकड़े वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 की अवधि से संबंधित है । यदि उसके बाद कोई पुनर्गठन हुआ हो तो, इसे इस प्रयोजन के लिए विचाराधीन नही रखा जाएगा ।

2.5.3 <u>किसान परिवारों का चयन</u>

प्रत्येक चुने गए गाँवों में से 10 दस किसान परिवार चुने गए । गाँव के सभी किसान परिवारों की सूची गाँव के राजस्व रिकार्ड से तैयार की गई । किसान परिवारों को खाद्यान्नों की खेती के अंतर्गत जोत क्षेत्र के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया और सूची को तीन भागों में विभाजित किया गया । प्रत्येक भाग में गाँवों में खाद्यान्नों की खेती

के अंतर्गत आने वाले कुल जोत क्षेत्र का एक तिहाई क्षेत्र लिया गया । सूची के ऊपरी भाग में सबसे ऊपर शामिल किसान परिवारों को 'बड़े' बीच में शामिल किसान परिवारों को 'मध्यम' और शेष किसान परिवारों को 'छोटे' किसानों की श्रेणी में रखा गया । छोटे किसानों की श्रेणी से चार किसान परिवारों और 'मध्यम' व 'बड़े' किसानों की श्रेणी से तीन-तीन किसान परिवारों को प्रतिचयन प्रणाली द्वारा सर्वेक्षण के लिए चुना गया ।

2.6 <u>ऑकड़ा संग्रहण के लिए अनुसूचियाँ</u>

फील्ड सर्वेक्षण के दौरान ऑकडों के संग्रहण के लिए छह अनुसूचियाँ तैयार की गई तथा तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित की गई । अनुसूचियाँ इस प्रकार है :

अनुसूची -I : गाँव से संबंधित अनुसूची

सर्वेक्षण के लिए चुनिंदा गाँवों के संबंध में ग्रामीण अनुसूची में सबद्व सूचनाऐं जैसे जनसंख्या, कुल भौगोलिक क्षेत्र, जोत क्षेत्र, खाद्यान्न फसलों का क्षेत्र और उत्पादन, सिंचाई के स्त्रोत, विपणन सुविधाएं, फीडर सड़कों की स्थिति, भंडारण सुविधाएं इत्यादि शामिल है । सर्वेक्षण के प्रथम चरण में इस अनुसूची को मात्र एक बार भरा गया ।

अनुसूची -II : किसान परिवारों से संबंधित अनुसूची

इस सूची का अभिप्रेत खाद्यान्नों के अंतर्गत जोते गए क्षेत्र का शामिल करते हुए चुनिंदा गाँव में सभी किसान परिवारों की सूचियाँ तैयार करना था एवं इसे सर्वेक्षण के प्रथम चरण में केवल एक बार भरा गया । यह मूलत: विहित प्रक्रिया के अनुसार चुने गए किसान परिवारों की चयन प्रक्रिया से संबंधित था ।

अनुसूची –III : चुने गए किसान परिवारों के विवरण से संबंधित अनुसूची

इस अनुसूची में चुने किसान परिवार से संबंधित संबद्व विवरण शामिल है इसमें उगाई गई फसलों अर्थात् किस्मवार फसल क्षेत्र और उसका उत्पादन, सिंचाई किए गए और सिंचाई न किए गए क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है ।

अनुसूची - IV : विभिन्न प्रयोजनों के लिए खाद्यान्नों का भंडारण

इस सर्वेक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण अनुसूची है और विभिन्न प्रयोजनों जैसे उपभोग, बीज, चारा, नकद भुगतान, वस्तुओं के विनिमय आदि के लिए उत्पादक द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण से संबंधित सूचना शामिल है ।

अनुसूची – V : उत्पादक स्तर पर होने वाल खाद्यान्नों की हानि :

यह अनुसूची प्रचालनात्मक स्तर पर होने वाले खाद्यान्नों की क्षति से संबंधित है जैसे: गहाई, ओसाई, खेत से भंडारण तक परिवहन में एवं उत्पादक स्तर पर भंडारण के दौरान होने वाली क्षति ।

अनुसूची VI : खाद्यान्नों की बिक्री

इस अनुसूची में उत्पादक के द्वारा गाँव के भीतर एवं बाहर विभिन्न एजेंसियों की जोत वाली खाद्यान्नों की बिक्री शामिल है । नामोंद्दिष्ट राज्य एजेंसियों के क्षेत्र अन्वेषकों

द्वारा चुनिंदा किसान परिवार के यहाँ त्रैमासिक दौरे के दौरान अनुसूची-III से VI तक कें ऑकड़े एवं अन्य संबंधित सूचना दर्ज की गई ।

2.7 सर्वेक्षण की अवधि, वर्ष एवं संख्या

2.7.1 अवधि :

सतत तीन वर्षों 1996-97, 1997-98 और 1998-99 तक सर्वेक्षण किया गया और देखा गया कि इन तीन वर्षो में सब कुछ सामान्य रहा । किसी वर्ष के अपसामान्य होने की स्थिति में तकनीकी समिति के विचार विमर्श के बाद इस अध्ययन को 5 वर्षों तक भी बढाया जा सकता था । इसे ध्यान में रखते हुए, तकनीकी समिति ने समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि आगे सर्वेक्षण नहीं किया जाए चूंकि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष के ऑकडे सामान्य थे ।

2.7.2 संदर्भ वर्ष :

संदर्भ वर्ष मौजूदा कृषि वर्ष था अर्थात जुलाई से जून तक । फसल विशेष के लिए विपणन मौसम, क्षेत्र विशेष में फसलों एवं कटाई मौसम पर निर्भर करता है ।

2.7.3 <u>सर्वेक्षण की संख्या</u> :

तीन वर्षों की अवधि में लगातार चुनिंदा बारह खाद्यान्नों (सात अनाज और पाँच दालें) के लिए विपणन योग्य अधिशेष और फसलोत्तर हानि का अनुमान लगाने के लिए ऑकडे एवं अन्य संबंधित सूचनाएँ की गई । प्रत्येक वर्ष में चार बार सर्वेक्षण किया गया । तिमाही सर्वेक्षण में चयनित खाद्यान्नों के संबंध में प्रत्येक चुनिंदा परिवारों से ऑकडे एकत्र किए गए, अर्थात्

प्रथम तिमाही	-	जुलाई से सितंबर
द्वितीय तिमाही	-	अक्तूबर से दिसंबर
तृतीय तिमाही	-	जनवरी से मार्च
चतुर्थ तिमाही	-	अप्रैल से जून

फील्ड सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित जनशक्ति

3.1 फील्ड सर्वेक्षणों के लिए अपेक्षित जनशक्ति :

नामोद्दिष्ट राज्य एजेंसियों ने मौजूदा जनशक्ति से नामोद्दिष्ट राज्य एजेंसियों से सेवा निवृत्त कार्मिकों की अल्पावधि के लिए नियुक्ति करके या अपेक्षित अर्हता प्राप्त बेरोजगार स्नातक को क्षेत्रीय अन्वेषकों के रूप में नियुक्ति करते हुए सर्वेक्षण कराया । फील्ड सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित जनशक्ति से संबंधित निर्णय डी.एस.ए. ने लिया । फील्ड अन्वेषकों ने राज्य के लिए जिला स्तर अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में सर्वेक्षण कार्य पूरा किया । फील्ड अन्वेषकों और जिला स्तर अधिकारियों को इस सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया । जिसका विवरण बाद के पैरा में दिया गया है ।

3.2 पर्यवेक्षण

सर्वेक्षण के लिए पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन व समन्वय के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उप-कार्यालयों से विपणन व निरीक्षण निदेशालय के अधिकारियों की तैनाती की गई । हिमाचल प्रदेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों (असम छोड़कर) के अलावा अधिकांश राज्यों में विपणन व निरीक्षण निदेशालय ने राज्य मुख्यालयों की स्थापना है । हिमाचल प्रदेश के मामले में सर्वेक्षण कार्य जम्मू स्थित उप-कार्यालय के पर्यवेक्षण में किया गया और पूर्वोत्तर राज्यों का सर्वेक्षण कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण में किया गया

3.3 प्रशिक्षण सामग्री

स्कीम से संबंधित संक्षिप्त सार को नामोद्दिष्ट राज्य एजेसियों को इस अनुरोध के साथ भेजा गया कि जहॉ कहीं आवश्यक हो फील्ड अन्वेषकों की सुविधा के लिए इसे स्थानीय भाषाओं में भी अनुदित करा लिया जाए । इसी प्रकार नामोद्दिष्ट राज्य एजेंसियों को भी चुनिंदा किसान परिवार के यहॉ तिमाही दौरे के दौरान विहित अनुसूचियों में ऑकड़ों के एकत्र करने एवं उनकी रिकार्डिंग करने के लिए विस्तृत अनुदेश एवं दिशानिर्देश उपलब्ध कराए गए । िफर भी, स्कीम मुख्यालयों में ऑकड़ों के संकलन संबंधी सुविधा को ध्यान में रखते हुए नामोदिष्ट राज्य एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने को अनुरोध किया गया कि सर्वेक्षण के दौरान एकत्र सूचनाओं और ऑकड़ों को निदेशालय द्वारा दिए जाने पर दी गई अनुसूचियों को अंग्रेजी भाषा में भी दर्ज किया जाए ।

3.4 पर्यवेक्षी अधिकारियों एवं फील्ड अन्वेषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना

डी.एम.आई. के विपणन अनुसंधान एवं प्लानिंग सेल (एम आर पी सी) ने अपने पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए नागपुर में दो बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । स्कीम के अंतर्गत पुन:तैनाती के प्रयोजन के लिए डी.एम.आई. के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उप-कार्यालयों से अधिकारी चुने गए । बदले में इन अधिकारियों ने डी.एस.ए. के क्षेत्रीय अन्वेषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया ।

ऑकड़ों की अनुसूचियों एवं विश्लेषण की संवीक्षा

4.1 अनुसूचियों की संवीक्षा

चुनिंदा किसान परिवारों के यहां तिमाही भ्रमण करने के बाद प्रत्येक फील्ड अन्वेषक अनुसूचियों में सूचना एवं ऑकड़ों की सत्यता को जाँचने एवं सत्यापित करने के बाद इस प्रयोजन के लिए पुन:तैनात राज्य मुख्यालयों के डी एम आई के पर्यवेक्षी अधिकारियों को भेजे गए । डी एम आई पर्यवेक्षी अधिकारी आगे की स्थिति संवीक्षा और सत्यापन करते हुए अनुसूचियों को नागपुर में डी एम आई के बी.एच.ओ. के विपणन अनुसंधान एवं योजना कक्ष (एम आर पी सी) में भेजी गई । शाखा प्रधान कार्यालय में पर्यवेक्षी अधिकारियों ने आगे यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा और सत्यापन किया कि सूचना ठीक से दर्ज है और इसमें कोई अंतर नहीं है । विसंगतियों या कमियॉ होने की स्थिति में, डी एस ए के फील्ड अन्वेषकों द्वारा सुधार के लिए राज्य मुख्यालयों में डी एम आई की पुन:तैनाती वाले अधिकारियों को फील्ड बैक रिपोर्ट दी गई।

4.2 डाटा एंट्री और विश्लेषण :

4.2.1 डाटा एंट्री

तकनीकी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, डाटा एंट्री संबंधी कार्य डी एम आई द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पश्चिमी क्षेत्र, पुणे, के राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा । एन आई सी ने डाटा एंट्री मॉडयूल तैयार किया, जिसे अनुसूची से जोड़ते हुए भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई ए एस आर आई), नई दिल्ली के विशेषज्ञों को दिखाया गया एवं साथ ही सारणीयन प्लान भी अनुमोदित किया गया । िफर भी, यह देखा गया कि सीमित जनशक्ति के होते हुए यथासमय डाटा एंट्री की ज्यादा व्यापक एवं समय से संवीक्षी संभव नहीं हो पाई । इस दृष्टि से, एन.आई.सी. से परामर्श कर के अनुसूची III से VI की डाटा एंट्री संबंधी कार्य सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, यू.जी.सी. एवं पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता, एन आई सी के अधीन क्षेत्रीय कंम्यूटर केंद्र के नाम से एक संगठन को सौपा गया ।

4.2.2 डाटा का कंप्यूटर विश्लेषण

समेकन कार्य के बाद विश्लेषण कार्य के लिए साफटवेयर के विकास कार्य एवं प्रविष्टि डाटा भरवाकर उसकी परिणामित रिपोर्ट लेने का कार्य एन आई सी, पश्चिमी क्षेत्र पुणे को सौपा गया । निदेशालय ने आई ए एस आर आई, नई दिल्ली से परामर्श से सारणीयन योजना एवं आऊटपुट रिपोर्टों को तैयार करने के लिए कार्य पद्वति का विकास किया, इससे आकलन करते हुए डाटा विश्लेषण करने के लिए आकलन करने संबंधी कार्य पद्वति विकसित की गई । भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान,

नई दिल्ली के विशेषज्ञों ने निदेशालय के बी.एच.ओ. का भ्रमण किया ताकि सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों में प्राप्त सर्वेक्षण अनुसूची व्यवस्था, डाटा एंट्री व्यवस्था एवं निदेशालय द्वारा किए गए डाटा विश्लेषण के लिए की गई व्यवस्था का प्रबंधन कार्य पुरा किया जा सके । राज्यों के संबंध में कंप्यूटर से तैयार आऊटपुट परिणामों की जॉच कुछ प्राप्त परिणामों को देखते हुए की गई । बिना कंप्यूटर का आकलन करने के लिए क्रमवार अपनाई गई प्रक्रिया की पुष्टि के लिए अब तक प्राप्त परिणामों को आई.ए.एस.आर.आई. के विशेषज्ञों को दिखाया गया ।

विपणन योग्य अधिशेष और बिक्री अधिशेष की अवधारणा

5.1 विपणन योग्य अधिशेष

इस सर्वेक्षण में, "विपणन योग्य अधिशेष" शब्द उस मात्रा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है जो किसानों की स्वयं की खपत एवं अन्य आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद विभिन्न परिस्थितियों में एवं अन्य वास्तविक अधिशेष के रूप में मौजूद है।

5.2 बिक्री अधिशेष

इस प्रकाशन में, शब्द "बिक्री अधिशेष " उत्पादक द्वारा बिक्री की वास्तविक मात्रा को दर्शाता है।

5.3 विपणन योग्य अधिशेष को प्रभावित करने वाले घटक :

विपणन योग्य अधिशेष की मात्रा उत्पाद से पूर्व एवं उत्पाद के पश्चात की दोनो अवस्थाओ में प्रचालित कारको द्वारा प्रभावित होती है ।

5.3.1 उत्पाद पूर्व के कारक :

उत्पाद से पूर्व की अवस्थाओं में प्रचालित होने वाले वे कारक हैं जिसमें उत्पादन का स्तर अर्थात् फसल का प्रत्यक्ष क्षेत्र संसाधन निवेश फसल उत्पादकता, फसल की बिक्री से होने वाला मौद्रिक लाभ इत्यादि सम्मिलित है ।

5.3.2 उत्पाद के पश्चात के कारक :

उत्पादन के पश्चात विपणन योग्य अधिशेष को प्रभावित करने वाले कारकों में खेतों से मानव एवं पशुओं के उपभोग के लिए वास्तवित माँग, स्थानीय रीति रिवाज़ तथा नकदी एवं इसी तरह के अन्य भुगतान संबंधी कार्य, उत्पादकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियाँ एवं कीमत वसूली करना आदि शामिल है ।

5.3.3. अवसंरचनात्मक एवं अन्य सुविधाएँ

इनसे उत्पादन एवं विपणन योग्य अधिशेष प्रभावित होता है एवं अन्य तत्व सामान्य रूप में मौजूदा आर्थिक एवं विशेष रूप में ग्रामीण आर्थिक अवसंरचनात्मक एवं अन्य सुविधाओं से सुदृढ़ या कमजोर हो जाते हैं । इनमें से कुछ इस प्रकार है:

i) **सिंचाई संविधाओं की उपलब्धता :**

यह विदित है कि सिंचाई सुविधा उत्पादकता के साथ साथ अन्य निवेशों से भी मिलकर अधिक प्रभावित करती है ।

ii) **सड़को से संपर्क :**

यह ग्रामीणो के लिए अति महत्वपूर्ण सुविधा है, विशेष तौर पर यदि सभी सड़के पक्की सड़कों से जुड़ी हों । इस के अभाव में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बीच में आदान प्रदान करने में अड़चने एवं बाधा आती है । इससे कठिनाइयाँ एवं परिवहन की लागत प्रभावित होती है, जिससे गाँवों में ही बिक्री करने के लिए विवश हो जाते है, शहरी व्यापार केंद्रों से पूर्ति एवं माँग में बाधा उत्पन्न होती है तथा उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में मूल्य बढ़ने की वजह से गैर आर्थिक तत्वों की वृद्वि होती है । इन कमियों के कारण कृषि क्षेत्र के कुछ मूल कमियों को बढ़ावा मिलता है जैसे सस्यक्रम, बाजार की प्रतिक्रियात्मक ताकत में कभी बाजारोन्मुखी कृषि की अपेक्षा निर्वाही कृषि ।

iii) **<u>बाजार(रों) से गाँव की दूरी</u> :**

गाँव और बाजार के बीच दूरी विभिन्न क्षेत्रों में फसलों के प्रकार के उत्पादन एवं बिक्री के लिए एक निर्धारक तत्व है । ज्यों ही गाँवों से बाजार की दूरी बढ़ती है, बाजार प्रभाव से गाँव दूर हो जाता है परिणामतः ऐसे गाँवों में निर्वाही कृषि अपनाई जाती है । लंबी दूरी की अच्छी सड़क और त्वरित परिवहन व्यवस्था कम दूरी वाली खराब सड़क और खराब परिवहन से ज्यादा अच्छी है ।

iv) **नियमित बाजार (रों) की सेवाएं :**

नियमित बाजार अभाव एवं भ्रष्टाचार को दूर करते हुए खरीददारों और विक्रेताओं से उचित हिस्सेदारी कायम करने के लिए सेवाएं उपलब्ध कराते हैं । चूंकि बाजार का विनियमन कृषकों एवं उत्पादको के हित के लिए है, इसलिए सामान्य रूप में उत्पादन एवं विपणन योग्य अधिशेष पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ।

v) गाँव (गावों) में भण्डारण सुविधाएँ :

उचित साफ सफाई एवं स्वच्छता न होने के कारण होनेवाली वास्तविक हानि से उत्पाद को बचाने के लिए उचित भण्डारण सुविधा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है । साफ सफाई न होने से फंगस और फफूंदी होती है जिससे गुणवत्ता की कमी आती है तथा नाशक कीट जैसे, कृतंक के कारण प्रत्यक्ष हानि होती है । सीजन के बाद की अवस्थाओं के लिए जब माँग और पूर्ति बेहतर हो जाती है तथा समय सीजन की माँग अधिशेष के साथ मेल खाती है ऐसी स्थिति में

उत्पादक स्तर पर कृषि अधिशेष को कायम रखने के लिए उचित भण्डारण अनिवार्य है । अत: उत्पादन पैटर्न और विपणन योग्य अधिशेष भी इस कारक के लिए उत्तरदायी होता है ।

5.4 विपणन योग्य अधिशेष का अभिकलन

5.4.1 विपणन योग्य अधिशेष

यह फार्मूला ए-बी =एम.एस. से अभिकलित किया जाता है ।

जहाँ एम.एस. विपणन योग्य अधिशेष, ए- संदर्भ वर्ष में दिए गए फसल का कुल उत्पादन एवं ब-उसी वर्ष में निम्नलिखित मदों का द्योतक है ।

i) किसान परिवार के द्वारा खपत
ii) खेतों से जुड़े स्थायी मजदूर के द्वारा खपत
iii) फार्मो पर नियोजित कभी-कभार काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों द्वारा खपत
iv) बीज के लिए सुरक्षित रखी गई मात्रा
v) खेती के लिए काम करने वाले पशुओं के लिए चारे के रूप में रखी गई मात्रा
vi) वस्तु विनिमय के लिए सुरक्षित रखी गई मात्रा
vii) **<u>भुगतान</u>** :
   क) स्थायी श्रमिक
   ख) अस्थायी श्रमिक
   म) मशीनरी एवं उपकरण
   घ) परम्परागत भुगतान
   ड़) किराए के रूप में भू-स्वामियों को
   च) पैदावार के हिस्से के रूप में भू-स्वामियों को
   छ) ऋण के अदायगी के लिए
   ज) भू राजस्व
   झ) सिंचाई प्रभार एवं
   ञ) अन्य

viii) **<u>प्रत्यक्ष हानि</u>** :
   क) गहाई और ओसाई में
   ख) खलिहान से भण्डारण के लिए ले जाने, और
   ग) उत्पादक स्तर पर भण्डारण में

विपणन योग्य अधिशेष की मात्रा का आकलन करने के लिए, पद सं **i)** से **vii)** तक को उसी रूप में लिया गया है जैसे उन्हें उत्पादन के समक्ष समायोजित मात्रा के लिए अनुसूचियों में दर्ज किया गया था । मद सं **viii)** में उल्लिखित वास्तविक हानि की स्थिति में दोहरी गणना से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए गए हैं ।

5.4.2 फार्म परिवारों के द्वारा खपत

जहाँ तक कि इसके विपणन योग्य अधिशेष का संबंध है किसान परिवारों द्वारा खपत का अभिप्राय है इससे दो भिन्न अर्थ निकलते हैं । एक स्थिति में, इसके इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित वास्तविक कुल आवश्यकताओं पर विचार किए बिना परिवार के लिए रखी वास्तविक मात्रा है । दूसरे अर्थ का संबंध उस मात्रा से हैं जिसे किसान परिवार द्वारा खपत के लिए सुरक्षित रखा जाना है या वह मात्रा जो खपत के लिए अपेक्षित है ।

मध्यम एवं छोटे किसानों के मामले में सुरक्षित रखी गई वास्तविक मात्रा खपत के लिए वास्तविक रूप में अपेक्षित मात्रा से कम होती है, यह फसल धारण एवं उत्पादन करने संबंधी अनिवार्यताओं एवं बाध्यताओं के कारण होती है । अतः उन्हें उतनी मात्रा खरीदनी अपेक्षित होती है जितनी कि उनकी खपत आवश्यकता में कमी आती है । वे कमियों को उधार लेकर, मजदूरी या उपहार आदि की सहायता से दूर करते हैं । ऐसा तब होता है यदि किसी भी हालत में वे कुल स्टाक से कुछ ऐसी मात्रा खरीदते हैं जो फार्म से बाहर जा चुका होता है । ऐसे किसानों के मामले में परिवार खपत से अभिप्रेत है, पूरे वर्ष में इसकी अपेक्षित खपत के लिए फार्म परिवार के द्वारा सुरक्षित रखी गई मात्रा अतः "अधिशेष" शब्द का अर्थ तभी औचित्यपूर्ण होगा जब खपत के लिए अपेक्षित वास्तविक मात्रा, के बजाय गैर कृषि खपत के लिए उपलब्ध विपणन योग्य अधिशेष की वास्तविक मात्रा का आकलन करने तक खपत के लिए रखी गई मात्रा को भी देख लिया जाता है । यदि खपत के लिए सुरक्षित रखी गई वास्तविक मात्रा (और न कि खपत के लिए अपेक्षित वास्तविक मात्रा) को हिसाब में लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विपणन योग्य अधिशेष की मात्रा इसलिए कम ज्यादा हो जाती है क्योंकि बेची गई मात्रा में उत्पादक के द्वारा वापस खरीदी गई मात्रा सम्मिलित नहीं होगी । अतः विपणन योग्य अधिशेष की गणना के लिए परिवार खपत के लिए सुरक्षित रखी गई मात्रा के बजाय, खपत के लिए अपेक्षित मात्रा पर विचार किया जाएगा । परिवार खपत के लिए अपेक्षित मात्रा की गणना "परिवार खपत के लिए सुरक्षित रखी गई मात्रा +परिवार खपत के लिए क्रय की गई मात्रा + परिवार खपत के लिए वस्तु के रूप में कुल प्राप्तियों" को जोड़ते हुए किया गया है ।

अतः विपणन योग्य अधिशेष निम्न सूत्र के अनुसार आकलित होंगे :

ए -बी = एम. एस.

जहाँ ए उत्पादन के लिए तथा बी पूर्वोक्त सभी उल्लिखित मदों को दर्शाता है उपरोक्त में बताए गए अनुसार इसमें "खपत के लिए अपेक्षित मात्रा" को "परिवार खपत के लिए "अपेक्षित" मात्रा को शामिल करने संबंधी तथ्य को शामिल नही किया गया है । एवं एम. एस. "विपणनयोग्य अधिशेष" को दर्शाता है । यह मात्रा वास्तव में गैर कृषि खपत के लिए उपलब्ध होती है अत: यह सही विपणनयोग्य अधिशेष है।

प्रतिदर्श गॉवों का प्रोफाइल

6.1 प्रतिदर्श गॉवों की औसत जनसंख्या

प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन राज्यवार संलग्नक 1 में जनसंख्या के आकार के अनुसार दर्शाया गया हे । सभी चुने गए गॉवों के लिए सारांश नीचे तालिका सं. 1.1 में दी गई है :

तालिका सं. 1.1

औसत जनसंख्या के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन

क्रम सं.	औसत जनसंख्या	प्रतिदर्श गॉवों की संख्या	कुल प्रतिशत
1.	100 से नीचे	11	0.73
2.	101 से 300	104	6-93
3.	301 से 500	118	7.87
	(क) श्रेणी 1	**233**	**15.53**
4.	501 से 1000	262	17.47
5.	1001 से 1500	188	12.53
6.	1501 से 2000	131	8.73
	(ख) श्रेणी 2	581	38.73
7.	2001 से 2500	121	8.07
8.	2501 और उससे अधिक	565	37.67
	(ग) श्रेणी 3	**686**	**45.74**
कुल (क+ ख+ग)		1500	100.00

उपरोक्त प्रस्तु त प्रतिदर्श गॉवों की जनसंख्या के विश्लेषण से यह देखा गया कि 45.74 % गॉवों में प्रति गॉव जनसंख्या 2000 से अधिक है और उसके बाद

38.73% गॉव में 501 से 2000 की श्रेणी मे है तथा 15.53 % गॉव में 500 से कम जनसंख्या वाले हैं ।

6.1.2. संलग्नक 1 से यह भी देखा गया है कि प्रतिदर्श गॉव की औसत जनसंख्या अरूणाचल प्रदेश में न्यूनतम 577 से केरल में अधिकतम 25048 तक है । प्रतिदर्श गावों की औसत जनसंख्या के आधार पर राज्यों का विभाजन नीचे तालिका सं. 1.2 में देखा जा सकता है !

तालिका सं. 1.2

प्रतिदर्श गॉवों की औसत जनसंख्या के आधार पर राज्यों का विभाजन

1000 से कम	1001 से 2000	2001 से 5000	5001 से 10,000	10,001 और उससे अधिक
अरूणाचल प्रदेश (577)	उड़ीसा (1440)	उत्तर प्रदेश (2065)	तमिलनाडु (5735)	केरल (25048)
मेघालय (732)	जम्मू व कश्मीर (1620)	नागालैंड (2255)	त्रिपुरा (7507)	-
हिमाचल प्रदेश (886)	-	बिहार (2348)	-	-
असम (954)	-	राजस्थान (2497)	-	-
सिक्किम 956	-	मध्य प्रदेश (2584)	-	-
-	-	पंजाब (2679)	-	-
-	-	हरियाणा (3024)	-	-
-	-	कर्नाटक (3024)		
-	-	मणिपुर (3061)	-	-
-	-	महाराष्ट्र (3592)	-	-
-	-	पं. बंगाल (4298)	-	-
-	-	गुजरात (4349)	-	-
-	-	मिजोरम (4532)	-	-
-	-	ऑध्रप्रदेश (4569)	-	-

-	-	गोवा (4944)	-	-

6.2 प्रतिदर्श गाँवों का भौगोलिक और जोत क्षेत्र :

अध्ययन में प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विभाजन भौगोलिक क्षेत्र और खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को **संलग्नक 2** में दिया गया है । प्रतिदर्श गाँव का विभाजन अखिल भारतीय स्तर पर नीचे **तालिका सं. 2.1** में दिया गया हैं ।

तालिका सं. 2.1

भौगोलिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम सं.	श्रेणी (क्षेत्र, हेक्टेयर में)	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	
		कुल भौगोलिक क्षेत्र (%)	कुल कृषि के अंतर्गत आनेवाला क्षेत्र (%)
1.	500 हेक्टेयर से कम	766 (51.07)	1010 (67.33)
2.	500 से 1500	481 (32.06)	349(23.27)
श्रेणी -I कुल		1247 (83.13)	1359 (90.60)
3.	1500 से 3000	169 (11.27)	98 (6.53)
4.	3000 से 5000	53 (3.53)	39 (2.60)
श्रेणी -II कुल		222 (14.80)	137 (9.13)
5.	5000 से अधिक	31.07 (2.07)	4 (0.27)
श्रेणी -III कुल		31 (2.07)	4 (0.27)
कुल योग		1500 (100.00)	1500 (100.00)

(संक्षेप में ऑकडे कुल प्रतिशत को दर्शाते हैं)

उपरोक्त में दर्शाए गए विस्तृत ब्यौरे से यह देखा गया है कि प्रतिदर्श गाँवों का 83.13% भौगोलिक क्षेत्र 1500 हेक्टेयर से कम है । उसी प्रकार, 90.60% प्रतिदर्श गाँवों के मामले में कुल कृषि के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र 1500 हेक्टेयर से कम थे । 5000 हेक्टेयर से अधिक भौगोलिक या कृषि के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र प्रतिदर्श गाँवों की प्रतिशतता बहुत ही कम थी । 5000 हेक्टेयर से अधिक का भौगोलिक क्षेत्र के साथ प्रतिदर्श गाँव ऑध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे राज्यों में देखे गए हैं । फिर भी, 5000 हेक्टेयर से अधिक

जोत क्षेत्र का गॉव कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और राजस्थान के राज्यों में केवल एक ही था ।

6.3 कुल भौगोलिक क्षेत्र के कुल जोत क्षेत्र की प्रतिशतता के अनुसार प्रतिदर्श गॉव का विभाजन

कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल जोत क्षेत्र की प्रतिशतता गॉव के कृषि आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक हैं । पूर्वोक्त में दर्शाए अनुसार, राज्यवार ब्यौरे संलग्नक 2 में दिए गए हैं । खेती के अधीन कुल क्षेत्र के अनुसार प्रतिदर्श गॉव का अखिल भारतीय विभाजन की प्रतिशतता के रूप में बताए गए कुल कृषि क्षेत्र को तालिका सं. 2.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका सं. 2.2

कुल भौगोलिक क्षेत्र के कुल कृषि क्षेत्र की प्रतिशतता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन

क्रम सं.	श्रेणी (कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कुल कृषि क्षेत्र की प्रतिशतता)	गॉवों की संख्या (%)
1.	30 से कम	168(11.20)
2.	30 से अधिक 50 तक	177 (11.80)
वर्ग I कुल		**345 (23.00)**
3.	50 से अधिक 70 तक	308 (20.53)
4.	70 से अधिक 90 तक	566 (37.73)
वर्ग II कुल		**874 (58.26)**
5.	**90 से अधिक**	**281 (18.74)**
वर्ग III कुल		**281 (18.74)**
कुल योग		**1500 (100.00)**

(संक्षेप में ऑकड़े कुल प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

यह देखा गया है कि अध्ययन के दौरान लिए गए प्रतिदर्श गाँवों के 58.26 % के पास 50 से 90 % जोत क्षेत्र है । 23% गाँवों के पास कृषि क्षेत्र के पास 50% से कम क्षेत्र हैं । इसी प्रकार, प्रतिदर्श गाँव के 18.74% के पास 90% से अधिक कृषि क्षेत्र हैं ।

कुल भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त कुल कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विवरण तालिका 2.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका सं. 2.3

कुल भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में वर्णित कुल कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	कुल भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में वर्णित कुल कृषि क्षेत्र सहित गाँवों की संख्या									
			30% तक	%	>30-50%	%	>50-70%	%	>70-90%	%	90 % से अधिक	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	ऑध्र प्रदेश	75	11	14.67	12	16.00	14	18.67	25	33.33	13	17.33
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	3	10.00	6	20.00	6	20.00	10	33.33	5	16.67
3.	आसाम	75	3	4.00	4	5.33	28	37.33	34	45.33	6	8.00
4.	बिहार	165	8	4.85	19	11.52	39	23.64	77	46.67	22	13.33
5.	गोवा	15	4	26.67	2	13.33	3	20.00	4	26.67	2	13.33
6.	गुजरात	60	1	1.67	3	5.00	8	13.33	33	55.00	15	25.00
7.	हरियाणा	45	0	0.00	0	0.00	2	4.44	25	55.56	18	40.00
8.	हिमाचल प्रदेश	45	9	20.00	17	37.77	13	28.89	3	6.67	3	6.67
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	16	35.56	13	28.89	10	22.22	4	8.89	2	4.44
10.	कर्नाटक	60	7	11.67	5	8.33	7	11.67	20	33.33	21	35.00
11.	केरल	45	2	4.44	1	2.22	7	15.56	24	53.33	11	24.45
12.	मध्य प्रदेश	135	5	3.70	8	5.93	24	17.78	69	5111	29	1.48
13	महाराष्ट्र	90	16	17.78	2	2.22	12	13.33	31	34.45	29	32.22
14.	मणिपुर	15	0	0.00	5	33.33	5	33.33	5	33.33	0	0.00
15.	मेघालय	15	2	13.33	0	0.00	3	20.00	6	40.00	4	26.67
16.	मिजोरम	15	11	73.33	1	6.67	2	13.33	1	6.67	0	0.00

17.	नगालैण्ड	15	5	33.33	4	26.67	1	6.67	4	26.67	1	6.67
18.	उड़ीसा	90	20	22.22	18	20.00	21	23.33	25	27.78	6	6.67
19.	पंजाब	45	0	0.00	1	2.22	5	11.11	16	35.56	23	51.11
20	राजस्थान	90	9	10.00	9	10.00	28	31.11	35	38.89	9	10.00
21.	सिक्किम	15	3	20.00	2	13.33	2	13.33	5	33.34	3	20.00
22.	तमिलनाडु	75	7	9.33	13	17.33	30	40.00	22	29.33	3	4.00
23.	त्रिपुरा	15	12	80.00	2	13.33	0	0.00	1	6.67	0	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	180	10	5.56	17	9.44	41	22.78	73	40.56	39	21.67
25.	पश्चिम बंगाल	45	4	8.89	13	28.89	7	15.56	14	31.11	7	15.56
	अखिल भारत	1500	168	11.20	177	11.80	318	21.20	566	37.73	271	18.07

6.4 औसत भौगोलिक क्षेत्र, औसत कृषि क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्र की प्रतिशतता को देखते हुए प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन :

औसत भौगोलिक क्षेत्र, औसत कृषि क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र की प्रतिशतता शेयर के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध 3 में दिए गए हैं तथा तालिका सं. 3.1 में सारांश दिया गया है :

तालिका सं. 3.1

कृषि के अंतर्गत औसत क्षेत्र के संबंध में प्रतिदर्श गॉवों का राज्यवार विभाजन

क्रम सं.	औसत भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में औसत कृषि क्षेत्र	राज्य
1.	80% से अधिक	हरियाणा एवं पंजाब
2.	70% से अधिक और 80% तक	असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मेघालय, उत्तर प्रदेश आदि
3.	60 से अधिक और 70% तक	ऑध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु
4.	50 %से अधिक 60% तक	गोवा और उड़ीसा
5.	50% तक	हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा

ऐसा देखा गया है कि हरियाणा और पंजाब के राज्य के पास भौगोलिक क्षेत्र का 80% से अधिक औसत प्रतिदर्श गॉवों में कृषि क्षेत्र है, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के पास प्रतिदर्श गॉवों का औसत भौगोलिक क्षेत्र का 50% से कम औसत कृषि क्षेत्र है । इन राज्यों की विशेषता में पहाडी तराई भी सम्मिलित है अत: अन्य राज्यों की तुलना में कृषि के लिए उपलब्ध भूमि कम है ।

6.5 सिंचाई सुविधाएं की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन :

संलग्नक 4 से यह देखा गया है कि 1500 प्रतिदर्श गॉवों में से 1322 प्रतिदर्श गॉव के पास सिंचाई सुविधाएं है, जबकि 178 गॉवों के पास कोई सिंचाई सुविधा नहीं थी । प्रतिशतता को देखते हुए, गॉव के 88.13% के पास सिंचाई सुविधा थी जबकि 11.87% गॉव के पास सिंचाई सुविधा नहीं थी । अधिकांश राज्यों से चुने गए प्रतिदर्श गॉवों में सिंचाई

सुविधा थी । 51.11% से लगभग 100 % तक प्रतिशतता में यह भिन्नता थी । यद्यपि, मणिपुर से प्रतिदर्श गाँवों में कोई सिंचाई सुविधा नहीं थी ।

6.5.1 सिंचाई के स्रोत के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन :

सिंचाई के स्रोत के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन तालिका सं. 4.1 में दर्शाया गया है :-

तालिका सं. 4.1

सिंचाई स्रोतों के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम सं.	स्रोत	गाँवों की संख्या	कुल गाँवों की प्रतिशतता
1.	तालाब	282	18.80
2.	नहर	534	35.60
3.	खुले कुएं	546	36.40
4.	टयूब वेल	620	41.33
5.	अन्य	296	19.73

(**टिप्पणी :** प्रत्येक स्रोत के ऑकड़े अलग अलग हैं)

सिंचाई के स्रोत के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन दर्शाता है कि 1500 प्रतिदर्श गाँवों में से 620 गाँवों (41.33%) के पास टयूबवेल, 546 गाँवों (36.40%) के पास खुला कुआँ, 534 गाँवों (35.60%) के पास नहर, 282 गाँवों (18.8%) के पास तालाब है जबकि 296 गाँवों (19.73%) के पास सिंचाई के अन्य स्रोत हैं । सिंचाई के विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता का राज्यवार विश्लेषण की चर्चा नीचे की जा रही है :

6.5.2 <u>टयूबवेल</u> : सिंचाई के स्रोत के रूप में टयूबवेल रखने वाले गाँवों का राज्यवार विभाजन तालिका सं. 4.2 में दर्शाया गया है :

तालिका सं. 4.2

सिंचाई के स्रोत के रूप में टयूबवेल का इस्तेमाल करने वाले गाँवों का राज्यवार विभाजन

(ऑकड़े कुल प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं)

क्रम सं.	20 % से कम	20% से 40%	40% से अधिक
1.	उड़ीसा (17.78)	त्रिपुरा (40.00)	हरियाणा (86.67)
2.	महाराष्ट्र (14.44)	मध्य प्रदेश (37.04	पंजाब (82.22)
3.	नागालैंड(13.33)	तमिलनाडु (36.00)	उत्तर प्रदेश 72.78)
4.	जम्मू व कश्मीर (11.11)	केरल (33.33)	बिहार (67.27)
5.	हिमाचल प्रदेश (6.67)	गुजरात (31. 67)	पं. बंगाल(60.00)
6.	मेघालय (6.67)	असम (29.33)	ऑध्र प्रदेश (52.00)
7.		राजस्थान (28.89)	कर्नाटक (51.67)

(कोष्ठक में दिए गए ऑकड़े प्रतिदर्श गाँवों की कुल का % दर्शाते हैं)

यह देखा गया है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऑध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के सिंचाई के प्रमुख स्रोत टयूबवेल हैं । अन्य राज्यों में टयूबवेल बहुत सामान्य नहीं था ओर अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम और मिजोरम जैसे राज्यों में सिंचाई के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

6.5.3. खुला कुऑ :

टयूबवेल के बाद खुला कुऑ अन्य महत्वपूर्ण सिंचाई का स्रोत हैं । सिंचाई के स्रोत के रूप में खुले कुऍं के साथ प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विभाजन यहाँ नीचे तालिका 4.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका सं. 4.3

सिंचाई के स्रोत के रूप में खुले कुऍं वाले गाँवों का राज्यवार विभाजन

(ऑकड़े कुल प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं ।)

क्रम सं.	20 % से कम	20% से 60%	60% से अधिक
1.	नागालैंड (6.67)	उड़ीसा (54.44)	गुजरात (83.33)
2.	उत्तर प्रदेश (4.44)	ऑध्र प्रदेश (48.00)	मध्य प्रदेश (82.22)
3.	पश्चिम बंगाल (4.44)	राजस्थान(43.33)	केरल (73.33)
4.	असम (2.67)	बिहार (40.00)	महाराष्ट्र (68.89)
5.		कर्नाटक (38.33)	तमिलनाडु (68.00)
6.		जम्मू व कश्मीर(22.22)	
7.		त्रिपुरा (20.00)	

(कोष्टक में दिए गए ऑकड़े कुल प्रतिदर्श गाँव प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, ऑध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, आदि जैसे राज्यों में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत खुले कुऍं थे । नागालैंड, उत्तरप्रदेश, पं.बंगाल और असम जैसे राज्यों में नदियों की सहायक नदियों एवं तालाबों के जाल होने के कारण, सिंचाई के काम में बहुत ही कम उपयोग में आते हैं । अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब और सिक्किम के राज्यों में सिंचाई के स्रोत के रूप में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

6.5.4 <u>नहर</u> **:** नहरें सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं । नहरें परंपरागत तरीकों की हो सकती हैं जो छोटी नदी का पानी परिवर्तित करते हुए नदी, उपनदी या निर्मित नदी भी हो सकती है । विशेष रूप से नदी का जल संचित करने के लिए निर्मित जलाशयों से जल

का वितरण किया जा सके। नहरों के सिंचाई के स्रोत के रूप में प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विभाजन नीचे तालिका सं. 4.4 में दिया गया हैं ।

तालिका सं. 4.4

सिंचाई के स्रोत के रूप में नहरों का उपयोग करने वाले प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विभाजन (आँकड़े कुल प्रतिशतता के रूप में दिए गए हैं)

क्रम सं.	20% से कम	20 से 40 %	40% से अधिक
1.	अरूणाचल प्रदेश (16.67)	सिक्किम (40.00)	मिजोरम (93.33)
2.	कर्नाटक (13.33)	मेघालय (40.00)	नागालैंड (93.33)
3.	महाराष्ट्र (12.22)	जम्मू व कश्मीर (37.78)	केरल (66.67)
4.	असम (12.00)	हरियाणा (37.78)	त्रिपुरा (66.67)
5.		प. बंगाल (35.56)	उत्तर प्रदेश (62.78)
6.		आँध्र प्रदेश (29.33)	पंजाब (60.00)
7.		राजस्थान (28.89)	उड़ीसा (54.44)
8.		बिहार (26.06)	गुजरात (48.33)
9.		गोवा (20.00)	तमिलनाडु (42.67)
10.		मध्य प्रदेश (20.00)	

(कोष्टक में आँकड़े कुल प्रतिदर्श गाँवों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

मिजोरम और नागालैंड राज्यों में प्रतिदर्श गाँवों में से लगभग 93.33% गाँव के पास नहर से सिंचाई की सुविधा थी उसके बाद केरल, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश और पंजाब राज्य है जहाँ यह सुविधा 60% से 66.67% तक के अंतर में हैं । अन्य राज्यों में नहर से सिंचाई का अंतर 12% से 54.44% तक का है । हिमाचल प्रदेश और मणिपुर से नहर द्वारा सिंचाई की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

6.5.5. तालाब :

तालाब सिंचाई के अन्य महत्वपूर्ण परंपरागत स्रोत हैं और सिंचाई के इस स्रोत वाले प्रतिदर्श गाँव का विभाजन नीचे तालिका सं. 4.5 में दिया गया है ।

तालिका सं. 4.5

सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाब का इस्तेमाल करने वाले गॉवों का राज्यवार विभाजन

(ऑकड़े कुल प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं)

क्रम सं.	20 % से कम	20% से 60%	60% से अधिक
1.	बिहार (18.18)	तमिलनाडु (53.33)	पश्चिम बंगाल (68.89)
2.	राजस्थान (15.56)	ऑंध्र प्रदेश (52.00)	त्रिपुरा (66.67)
3.	महाराष्ट्र (12.22)	उड़ीसा (27.78)	केरल (60.00)
4.	असम (10.67)		गोवा (60.00)
5.	गुजरात (10.00)		
6.	कर्नाटक (10.00)		
7.	मध्य प्रदेश (8.15)		
8.	हिमाचल प्रदेश (6.67)		
9.	जम्मू व कश्मीर (6.67)		
10.	उत्तर प्रदेश (5.00)		

(कोष्ठक में ऑकड़े कुल प्रतिदर्श गॉवों की प्रतिशतता को दर्शाते है)

जानकारी प्राप्त हुई है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, गोवा, तमिलनाडु और ऑंध्र प्रदेश के प्रतिदर्श गॉवों में तालाबों के प्रयोग को सिंचाई के प्रमुख स्रोत के रूप में किया जाना है । अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब और सिक्किम के अलावा अन्य राज्यों में भी सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाब के इस्तेमाल की जानकारी प्राप्त हुई है ।

6.5.6 अन्य :

उपरोक्त वर्णित सिंचाई के मुख्य स्रोत के अलावा, सिंचाई के प्रयोजन के लिए विभिन्न अन्य स्रोतों की खोज की गई । प्रतिदर्श गॉव जिन में सिंचाई के ये स्रोत मौजूद हैं उनका राज्यवार विवरण नीचे तालिका सं. 4.6 में दिया गया है :

तालिका सं. 4.6

सिंचाई के अन्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल करनेवाले प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विवरण

(ऑकड़े कुल प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं)

क्रम सं.	20% से कम	20% से 40%	40% से अधिक
1.	पंजाब (17.78)	हिमाचल प्रदेश (40.00)	त्रिपुरा (93.33)
2.	उत्तर प्रदेश (16.11)	असम (32.00)	अरूणाचल प्रदेश (53.33)
3.	राजस्थान (12.22)	केरल (28.89)	मेघालय (46.67)
4.	महाराष्ट्र (11.11)	जम्मू व कश्मीर (26.67)	उडीसा (46.67)
5.	बिहार (10.30)	मध्य प्रदेश (25.19)	पश्चिम बंगाल (46.67)
6.	कर्नाटक (10.00)	नागालैंड (20.00)	
7.	ऑंध्र प्रदेश (8.00)	सिक्किम (20.00)	
8.	गुजरात (3.33)		

(कोष्टक में ऑंकड़े कुल प्रतिदर्श गाँवों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

यह देखा गया है कि त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पं.बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, केरल, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों में सिंचाई के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है ।

6.5.7 खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत औसत क्षेत्र के अनुसार गाँवों का विभाजन (1993-94 व 1994-95)

प्रतिदर्श गाँवों में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान खाद्यान्न फसलों के रूप में की गई औसत खेती वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्नक 5 में दिया गया है । वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान ख़ाद्यान्नों के रूप में की गई औसत खेती वाले क्षेत्र की प्रतिशतता नीचे सिंचित और गैर सिंचित तालिका सं. 5.1 में दी गई है :-

तालिका सं. 5.1

विभिन्न राज्यों में प्रतिदर्श गाँवों में उगाई गई औसत फसल क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता (1993-94)

क्रम सं.	श्रेणी	राज्य
1.	90% से अधिक	हरियाणा, पंजाब
2.	70 से 80%	उत्तर प्रदेश, ऑध्र प्रदेश, तमिलनाडु
3.	60% से 70%	बिहार
4.	50% से 60%	केरल, नागालैंड
5.	50% से कम	अन्य राज्य

यह देखा गया है कि हरियाणा और पंजाब में प्रतिदर्श गाँवों में उगाए गए क्षेत्र का 90% से अधिक क्षेत्र सिंचित था । उत्तर प्रदेश, ऑध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत उगाई गई औसत फसल क्षेत्र की प्रतिशतता अलग अलग 60% से 90% तक थी ।

बहुत से अन्य राज्यों में सिंचाई के स्रोतों का दोहन नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत उगाई गई औसत फसल के क्षेत्र की प्रतिशतता 50 से कम थी ।

6.6 प्रतिदर्श गाँवों का वस्तु-वार विभाजन

6.6.1 इस सर्वेक्षण में सात अनाज विशेषतः धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, जौ और पाँच दालें मुख्यतः अरहर अर्थात तूर, (मूंग), (उड़द),(चना) और मसूर सम्मिलित हैं । वर्ष **1993-94** और **1994-95** के दौरान उगाई गई इन फसलों का प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विभाजन संलग्नक **6** में दिया गया है । ऑकडों का सार तालिका सं. **6.1** में दिया गया है ।

तालिका सं 6.1

प्रतिदर्श गाँवों में उगाई गई फसलों के अनुसार गाँवों का विभाजनय

(1993-94 एवं 1994-95)

क्रम सं.	उगाई गई फसल	गाँवों की संख्या	कुल गाँवों की प्रतिशतता
अनाज			
1.	धान	1209	80.60
2.	ज्वार	460	30.67
3.	बाजरा	313	20.87
4.	मक्का	776	51.73

5.	रागी	279	18.60
6.	गेहूं	1065	71.00
7.	जौ	310	20.67
दाल			
8.	अरहर	616	41.07
9.	मूंग	478	31.87
10.	उडद	566	37.73
11.	चना	695	46.33
12.	मसूर	410	27.33
कुल		1500	

यह देखा गया है कि उगाई गई फसल में धान मुख्य था और प्रतिदर्श गॉवों का 80.60% या 1209 गॉवों में से इसकी खेती हुई । अगली महत्वपूर्ण फसल जिसकी जानकारी प्राप्त हुई थी वह है गेहूं (1065 गॉव) उसके बाद मक्का (776 गॉव), ज्वार (460 गॉव), जौ (310 गॉव) और बाजरा (313 गॉव) । रागी से संबंधित जानकारी केवल 279 गॉवों से प्राप्त हुई । दालों में चना की खेती से संबंधित जानकारी 695 गॉव और उसके बाद अरहर (616 गॉव), उड़द (566 गॉव) , मूंग (478 गॉव) और मसूर (410 गॉव) से प्राप्त हुई है ।

6.6.2. <u>सर्वेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित चुनिंदा खाद्यान्नों को उगाने वाले राज्यों का वस्तु वार विभाजन</u> :

कृषि के अंतर्गत राज्यवार औसत क्षेत्र और चयनित फसलों के अंतर्गत खेती किए गए औसत क्षेत्र तथा खेती की गई प्रत्येक फसल के अंतर्गत क्षेत्र की प्रतिशतता संलग्नक 7 में दर्शाई गई है और उसका सारांश नीचे तालिका सं. 7.1 में दिया गया है ।

तालिका सं. 7.1

<u>सर्वेक्षण के अंतर्गत विभिन्न चुनिंदा फसलों के वस्तु वार शेयर</u>

क्रम सं.	फसल	राज्य के नाम
		I. **अनाज**
1.	धान	केरल एवं मेघालय (100.00), त्रिपुरा (96.99),अरूणाचल प्रदेश (91.81), मणिपुर (91.51), पश्चिम बंगाल (90.41), उड़ीसा (88.85), असम (87.87), नागालैंड (87.46), गोवा (84.70), मिजोरम (84.23), ऑध्र प्रदेश (76.64), तमिलनाडु (67.64), पंजाब (40.16) कर्नाटक (34.98), मध्य प्रदेश (23.58), हरियाणा (29.27) और जम्मू और कश्मीर (23.13) आदि

2.	गेहूं	हरियाणा (62.70), पंजाब (53.99), उत्तर प्रदेश (53.66), मध्य प्रदेश (51.79), हिमाचल प्रदेश (49.39), जम्मू व कश्मीर (49.39), बिहार (36.66), राजस्थान (28.64), सिक्किम (15.25) और गुजरात (10.22) आदि
3.	ज्वार	महाराष्ट्र (57.92), कर्नाटक (41.24), तमिलनाडु (25.97), गुजरात (18.96), ऑंध्र प्रदेश (17.25), मध्यप्रदेश (14.19), राजस्थान (8.26) और उत्तर प्रदेश (3.51) आदि
4.	बाजरा	राजस्थान (45.71), गुजरात (39.49), महाराष्ट्र (17.42), हरियाणा (5.14), कर्नाटक (4.81) जम्मू व कश्मीर (2.95) और उत्तर प्रदेश (2.51)
5.	मक्का	सिक्किम (55.72), हिमाचल प्रदेश (40.20), जम्मू व कश्मीर (23.41), मिजोरम (15.77) गुजरात (14.50) राजस्थान (13.27),नागालैंड (9.44), मध्य प्रदेश (7.75), अरूणाचल प्रदेश (7.30), बिहार(7.04) उत्तर प्रदेश (6.58), उड़ीसा (5.16), ऑंध्र प्रदेश (4.61), तमिलनाडु (3.68)
6.	रागी	सिक्किम (16.02) कर्नाटक (9.28) उड़ीसा (4.45) तमिलनाडु (2.12) और बिहार (1.36), आदि
7.	जौ	राजस्थान (3.58), उत्तर प्रदेश(2.03), मध्यप्रदेश (1.07), और बिहार (1.01), आदि
II. **दाल**		
8.	अरहर	महाराष्ट्र (10.61), कर्नाटक (6.23), ऑंध्र प्रदेश (4.52), गुजरात (4.18) उत्तर प्रदेश (4.13), मध्य प्रदेश (2.39), उड़ीसा (2.35),नागालैंड (2.18) तमिलनाडु (1.48), असम (1.15), बिहार (1.04), त्रिपुरा (0.67) अरूणाचल प्रदेश (0.44), पंजाब (0.21), जम्मू व कश्मीर (0.12) और हरियाणा (0.01)
9.	मूंग	उड़ीसा (9.16), ऑंध्र प्रदेश (8.70), बिहार(6.39), राजस्थान (5.71), गुजरात (5.64), महाराष्ट्र (4.79), कर्नाटक (2.19), त्रिपुरा (1.96), मध्य प्रदेश (1.45), अरूणाचल प्रदेश (1.30), तमिलनाडु (1.02), पंजाब (0.98), असम (0.84), उत्तर प्रदेश (0.84), जम्मू व कश्मीर (0.64), पश्चिम बंगाल (0.23), हरियाणा (0.22), हिमाचल प्रदेश (0.19) और नागालैंड (0.03)
10.	उड़द	ऑंध्र प्रदेश (7.22), उड़ीसा (5.50), मध्य प्रदेश (5.28), महाराष्ट्र (4.26), गुजरात (3.86), असम (3.83), जम्मू व कश्मीर (2.87), त्रिपुरा (2.10), तमिलनाडु (1.71), उत्तर प्रदेश (1.33), राजस्थान (1.24), बिहार (1.14), हिमाचल प्रदेश (1.11), अरूणाचल प्रदेश (0.92), कर्नाटक (0.71), पश्चिम बंगाल (0.51), हरियाणा (0.22), और पंजाब (0.02)

11.	चना	मध्य प्रदेश (26.98), कर्नाटक (7.76), उत्तर प्रदेश (6.45),राजस्थान (5.93), हरियाणा (5.66), महाराष्ट्र (4.81) गुजरात (2.90), बिहार (3.57), तमिलनाडु (1.19), जम्मू व कश्मीर (1.13), उड़ीसा (0.93), पश्चिम बंगाल (0.48), ऑध्र प्रदेश (0.38), हिमाचल प्रदेश (0.21) और पंजाब (0.14)
12.	मसूर	मध्य प्रदेश (5.17), बिहार (4.35), उत्तर प्रदेश (3.29), असम (2.92), हिमाचल प्रदेश (1.15), राजस्थान (0.58), पश्चिम बंगाल (0.53), हरियाणा (0.13), पंजाब (0.13), अरूणाचल प्रदेश (0.11) और महाराष्ट्र (0.01)

(कोष्टक में दिए गए ऑकड़े राज्य में कुल प्रतिदर्श गॉवों में से प्रतिदर्श गॉवों के प्रतिशत को दर्शाते हैं ।)

संलग्नक 7 के संदर्भ में और तालिका सं. 7.1 में प्रस्तुत ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि अनाजों में से जौ या रागी जैसी फसलों तथा दालों में से मसूर या चना की खेती वाले क्षेत्र कुछ राज्यों में लगभग शून्य के बराबर थे । अन्य राज्यों में चुनिंदा फसल में से कुछ फसले विविध तरह से उगाई गई थी । केरल और मेघालय में उगाई गई खाद्यान्न फसलें केवल धान की थी । हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 50 % से अधिक क्षेत्र में गेहूं की खेती की गई । महाराष्ट्र में देखा गया कि कृषि के अंतर्गत औसत क्षेत्र का 57.92% में ज्वार की खेती की गई और उसके बाद कर्नाटक (41.24%) और तमिलनाडु (25.97%) में खेती की गई । दालों में मुख्य क्षेत्र वे क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अरहर, मूंग, उड़द और चना की खेती की गई । मसूर की खेती की जानकारी केवल असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश आदि जैसे राज्यों से प्राप्त हुई है ।

6.7 <u>प्रतिदर्श गॉवों में छोटे, मध्यम और बड़ी श्रेणी के कृषको की औसत संख्या का विवरण</u>

प्रतिदर्श गॉवों में छोटे, मध्यम और बड़ी श्रेणी के कृषको की औसत संख्या का राज्यवार विभाजन और कुल संख्या की प्रतिशतता संलग्नक 8 में दर्शाई गई है । इसका सारांश नीचे तालिका सं. 8.1 में दिया गया है ।

<u>तालिका सं. 8.1</u>

<u>प्रतिदर्श गॉवों में छोटे, मध्यम और बड़ी श्रेणी के कृषको की ओसत संख्या</u>

कृषको की श्रेणी	प्रति प्रतिदर्श गॉव औसत संख्या	प्रतिशतता
छोटे	219	70
मध्यम	66	21
बड़े	29	9

कुल	314	100

उपरोक्त विस्तृत विवरण से यह देखा गया कि, इनका बहुत बड़ा भाग अर्थात् कृषकों के 70% छोटे, 21% मध्यम एवं केवल 9% बड़ी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ।

6.8 <u>प्रतिदर्श गाँवों की बाजार तक पहुंच</u>

6.8.1. <u>निकटतम बाजार तक दूरी के आधार पर प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन</u> :

बाजार से गाँव की दूरी या बाजार तक गाँव की पहुंच, यद्यपि कुछ संगत शब्द है, फिर भी ये ग्रामीणों के द्वारा कृषि उत्पाद के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । अच्छे परिवहन के साधन के साथ पक्की सड़क वाले गाँव और बाजार के बीच 50 कि.मी. की दूरी में कोई इतनी कमी नहीं है अपेक्षाकृत उस सड़क के और उस परिवहन व्यवस्था के जिनमें 15 कि.मी. की दूरी तो है परंतु ये दोनों सही नहीं है। आकलन से गाँव की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है या इसमें रूकावट उत्पन्न होती हैं वह इनके उपर ही ज्यादा निर्भर है । चुनिंदा प्रतिदर्श गाँवों के अध्ययन के दौरान मौजूदा सर्वेक्षण में इस पहलु पर विचार किया गया । निकटतम बाजार की दूरी के आधार पर प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विवरण संलग्नक 9 में दर्शाया गया है । इसका सार नीचे तालिका सं. 9.1 में दिया गया है ।

<u>तालिका सं. 9.1</u>

निकटतम बाजार दूरी के आधार पर प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम संख्या	निकटतम बाजार से दूरी	गाँवों की सं.	कुल का प्रतिशतता
1.	5 कि.मी.से कम	553	36.87
2.	5 से 10 कि.मी	351	23.40
	(श्रेणी –I)	904	60.27
3.	10 कि.मी. से अधिक और 15 कि.मी.तक	280	18.67
4.	15 कि.मी.से अधिक और 20 कि.मी.तक	137	9.13
	(श्रेणी-II)	417	27.80
5.	20 कि.मी.से अधिक और 25 कि.मी.तक	75	5.00
6.	25 कि.मी.से अधिक	104	6.93
	(श्रेणी-III)	179	11.93
	कुल	**1500**	**100.00**

तालिका में दर्शाए गए ब्यौरों से देखा गया है कि प्रतिदर्श गॉवों के लगभग 60.27% गॉव निकटतम बाजार से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर थे । लगभग 27.8% गॉव 10 कि.मी. से अधिक और 20 कि.मी.तक की दूरी पर थे, जबकि 11.93% गॉव 20 कि.मी से अधिक की दूरी पर थे । यह प्रदर्शित करता है कि सर्वेक्षण के लिए चुनिंदा 1500 गॉवों में से, 553 गॉव ये कुल गॉवों के 36.87% निकटतम बाजार से भी 5 कि.मी. से कम दूरी पर थे । यह समावेश कुछ सुधार सहित 1972-73 के पूर्वोक्त सर्वेक्षण के अनुरूप ही था ।

6.8.2 बाजार से औसत दूरी के आधार पर प्रतिदर्श गॉवों का राज्यवार विभाजन भी दर्शाया गया था । इस तरह के विस्तृत विवरण नीचे **तालिका सं 9.2** में दिए गए है ।

तालिका सं. 9.2

निकटवर्ती बाजार से औसत दूरी के आधार पर प्रतिदर्श गॉवों का राज्यवार विभाजन

क्रम संख्या	निकटतम बाजार से औसत दूरी				
	5 कि.मी. से कम	5 से 10 कि.मी.	10 से 15 कि.मी.	15 से 20 कि.मी.	20 से 25 कि.मी. और उससे अधिक
1.	त्रिपुरा (3.27)	पश्चिम बंगाल (5.67)	गोवा (10.20)	कर्नाटक (16.04)	मिजोरम (21.93)
2.	जम्मू व कश्मीर (3.98)	केरल (5.71)	ऑंध्र प्रदेश (11.11)	--	राजस्थान (20.14)
3.	असम (4.19)	बिहार (5.96)	नागालैंड (12.40)	--	--
4.	उड़ीसा (4.57)	पंजाब (6.77)	अरूणाचल प्रदेश (12.50)	--	--
5.	मेघालय (4.83)	मणिपुर (6.80)	सिक्किम (12.67)	--	--
6.	--	उत्तर प्रदेश (7.54)	मध्यप्रदेश (12.74)		
7.	--	हरियाणा (8.81)	महाराष्ट्र (13.17)	--	--
8.	--	तमिलनाडु (9.97)	गुजरात (14.50)	--	--

तालिका सं. 9.2 में दर्शाए ऑकड़ों से यह देखा गया है कि त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर, असम, उड़ीसा और मेघालय जैसे राज्यों में निकटतम बाजार की सुलभता 5 कि.मी. से कम दूरी पर थी । पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह दूरी 5 से 10 कि.मी. के अंतर में थी । इसकी तुलना में, गोवा, ऑध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और गुजरात में यह दूरी 10 से 15 कि.मी. के अंतर में थी । शेष राज्यों में जैसे; कर्नाटक, मिजोरम और राजस्थान में यह दूरी 15 से 25 कि.मी. तक थी । हालॉकि गॉव से निकटतम बाजार तक पहुंचने का मसला बेहतर विपणन का एक संकेत है, यह सुविधा भूतल परिवहन तथा उपलब्ध संप्रेषण सुविधाओं और कच्ची एवं पक्की सड़क से जुडे होने के रूप में भी होगी ।

6.8.3 <u>निकटतम बाजार के साथ गॉवों से जोडी जाने वाली फीडर सड़कों की स्थिति के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन</u> :

6.8.3.1 सर्वेक्षण के दौरान गॉव से जोडी जाने वाले सड़कों की तुलना में फीडर सड़कों की स्थिति के अनुसार संलग्नक 10, तालिका सं. 10.1 में दिए गए प्रतिदर्श गॉवों का राज्यवार विभाजन नीचे दिया गया है यह समग्र रूप से देश की संपूर्ण स्थिति को दर्शाता है ।

<u>तालिका सं. 10.1</u>

<u>फीडर सड़कों की स्थिति के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन</u>

क्रम सं.	सड़कों को जोडने का तरीका	प्रतिदर्श गॉवों की संख्या
1.	पक्की सड़क से जोडना	840 (56.00)
2.	कच्ची सड़क से जोडना	140 (9.33)
3.	आंशिक रूप से कच्ची एवं पक्की सड़क से जोडना	520 (34.67)
	कुल	1500 (100.00)

यह देखा गया है कि निकटतम बाजार के साथ पक्की सड़क को जोड़े जाने वाले गॉवों की संख्या लगभग 56% है जबकि आंशिक रूप से कच्ची और पक्की सड़कों से जोड़ी जाने वाली गॉवों की संख्या 34.67% है । कच्ची सड़कें 140 (9.33%) गॉवों को जोड़ती है ।

6.8.3.2 गॉवों को जोड़ी जाने वाली सड़कों की राज्यवार स्थिति नीचे तालिका सं.10.2 में दी गई है :

तालिका सं. 10.2

पक्की फीडर सड़कों से जोड़ी जाने वाली प्रतिदर्श गाँवों की प्रतिशतता

क्रम सं.	राज्य	निम्नलिखित सड़कों से जोड़ी जाने वाली प्रतिदर्श गाँवों की प्रतिशतता		
		पक्की सड़क	कच्ची सड़क	आंशिक रूप से कच्ची पक्की सड़क
1.	असम	12.00	37.33	50.67
2.	पश्चिम बंगाल	15.56	17.78	66.67
3.	मणिपुर	20.00	6.67	73.33
4.	त्रिपुरा	20.00	20.00	60.00
5.	जम्मू व कश्मीर	22.22	11.11	66.67
6.	बिहार	29.70	23.63	46.67
7.	मेघालय	40.00	26.67	33.33
8.	उड़ीसा	48.89	7.78	43.33
9.	कर्नाटक	50.00	3.33	46.67
10.	सिक्किम	53.33	40.00	6.67
11.	मध्य प्रदेश	56.30	8.89	34.81
12.	उत्तर प्रदेश	57.78	7.22	35.00
13.	अरूणाचल प्रदेश	60.00	20.00	20.00
14.	नागालैंड	60.00	6.67	33.33
15.	केरल	64.44	0.00	35.56
16.	ऑंध्र प्रदेश	70.67	5.33	24.00
17.	मिजोरम	73.33	0.00	26.67
18.	महाराष्ट्र	85.56	0.00	14.44
19.	राजस्थान	83.33	0.00	16.67
20.	गुजरात	85.00	1.67	13.33
21.	तमिलनाडु	89.33	0.00	10.67
22.	हरियाणा	95.56	0.00	4.44
23.	पंजाब	95.56	0.00	4.44
24.	गोवा	100.00	0.00	0.00
25.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	100.00

6.8.3.3 तालिका सं. 10.2 में प्रस्तुत विस्तृत विवरण से यह देखा जा सकता है कि असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में मुश्किल से 12% से 20% तक प्रतिदर्श गॉव पक्की सड़कों से जुड़े थे । जम्मू व कश्मीर, बिहार, मेघालय, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में 22 से 50% तक पक्की सड़कों से जुड़े थे । सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे शेष राज्यों में 50% से 60% तक प्रतिदर्श गॉव पक्की सडक से जुड़े थे । केरल, ऑध्र प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में स्थिति उत्साहवर्धक थी । गोवा में लगभग शत प्रतिशत गॉव और हरियाणा तथा पंजाब में 95.56% गॉव पक्की सड़क से जुड़े थे । यह चौंका देने वाली बात थी कि मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्य में 73.33% गॉव पक्की सड़क से जुड़े थे ।

6.8.3.4 तालिका सं. 9.2 और तालिका सं. 10.2 में प्रस्तुत विस्तृत विवरण से यह स्पष्ट है कि ऑध्र प्रदेश, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, और राजस्थान जैसे राज्यों में निकटतम बाजार से प्रतिदर्श गॉवों की औसत दूरी पक्की सड़कों से जोड़ी जाने वाली दूरी की तुलना 20 से 25 कि.मी. थी । और सड़के पक्की एवं अच्छी स्थिति में थी । हालॉकि शेष राज्यों में औसत दूरी 20 कि.मी से कम थी, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को छोड़कर पक्की सड़कों से जुड़े प्रतिदर्श गॉव की प्रतिशतता बहुत अच्छी नहीं थी ।

वर्ष 1972-73 के दौरान धान का सर्वेक्षण किया गया इनमें केवल 32 गॉव ही पक्की सड़कों से जुडे थे । 1973-74 में गेहू का सर्वेक्षण करवाने पर यह देखा गया कि केवल 36.1% गॉव पक्की सडक से जुडे थे ।

6.9 <u>प्रतिदर्श गॉवों से निकटतम बाजार वाले स्थानों का विभाजन</u>

6.9.1 जैसा पूर्वोक्त में वर्णित है बाजार की उपलब्धता या नियमित बाजार की सेवाऐं कृषि वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन योग्य अधिशेष पर असर डालती हैं । इस सर्वेक्षण के दौरान, इस पहलू का अध्ययन किया गया । मुख्य बाजार/गौण बाजार या नियमित बाजार अनियमित बाजार के द्वारा प्रदत्त प्रतिदर्श गॉवों की राज्यवार स्थिति संलग्नक 11 में दी गई है । नीचे तालिका सं 11.1 में इसका समग्र सारांश प्रस्तुत किया गया है ।

<u>तालिका सं. 11.1</u>

प्रतिदर्श गाँवों से निकटतम बाजार वाले गाँवों का विभाजन

क्रम सं.	बाजार की श्रेणी	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या (%)
1.	मुख्य बाजार	1255(83.67)
2.	गौण बाजार	196 (13.07)
3.	कोई औपचारिक बाजार नहीं	49 (3.26)
4.	नियमित बाजार	1031 (68.73)
5.	अनियमित बाजार	421 (28.07)
6.	कोई औपचारिक बाजार नहीं	48 (3.20)
कुल		1500 (100.00)

यह देखा गया है कि मुख्य बाजार या गौण बाजार लगभग 96.74 गाँवों की आवश्यकता पूरी करता है । ऐसा भी देखा गया है कि नियमित बाजार 68.73 गाँवों की आवश्यकता पूर्ति करता है, जो नियमन की प्रगति को दर्शाता है । 1972- 73 में धान के पूर्व सर्वेक्षण के दौरान, ऐसी जानकारी आई थी कि केवल 30 गाँव नियमित बाजार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित थे जब कि शेष 70% नियमित बाजार में शामिल नहीं थे। गेहूं के इसी प्रकार की सर्वेक्षण की स्थिति में ऐसा देखा गया कि नियमित बाजार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केवल 56.1% गाँव थे जब कि शेष 43.9% गाँव नियमित बाजार के सेवा का लाभ नही उठा रहे थे ।

6.9.1.1 मौजूदा अध्ययन से यह आभास होता है कि राज्य प्राधिकारियों ने नियमन प्रयोजन के अंतर्गत और बाजारों को शामिल करने का प्रयास किया है । नियमित बाजारों के द्वारा आवश्यकता पूर्ति की गई, प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विभाजन संलग्न 11 में दर्शाया गया है और इसका समस्त सार नीचे तालिका सं 11.2 में दिया गया है ।

तालिका सं 11.2

नियमित बाजार द्वारा गावों की आवश्यकता पूर्ति किए जाने वाले प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम सं.	नियमित बाजारों द्वारा आवश्यकता पूर्ति किए जाने वाले गाँवों की प्रतिशतता	राज्य के नाम
1.	80 % से अधिक	महाराष्ट, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और ऑध्र प्रदेश
2.	50 % से 80% तक	उड़ीसा, पंजाब, तमलिनाडु
3.	50 % से कम	असम, गोवा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल,

		अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर

टिप्पणी : हिमाचल प्रदेश में, अन्वेषकों ने जानकारी दी थी कि, प्रतिदर्श गॉवों को आवश्यकता पूर्ति के लिए खाद्यान्न के लिए कोई बाजार स्थापित नहीं की गई थी हालॉकि राज्य सरकार ने बाजार के विनियमन के लिए विधि निर्माण अधिनियमित किए ।

6.10 उपलब्ध भण्डारण क्षमता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन

6.10.1 गॉवों में भण्डारण क्षमता

कुशल विपणन प्रणाली में भण्डारण सुविधा एक महत्वपूर्ण अवयव है । गॉव की प्रोफाइल का अध्ययन करते हुए इस पहलू पर विचार किया गया था । गॉव में भण्डारण क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन वर्णन संलग्नक 12 में प्रस्तुत है और नीचे तालिका सं 12.1 में सार दिया गया है ।

तालिका सं.12.1

प्रतिदर्श गॉवों में उपलब्ध भण्डारण क्षमता

क्रम सं.	भण्डारण क्षमता (क्विंटल में)	गॉवों की संख्या	प्रतिदर्श गॉवों की कुल प्रतिशतता
1	200 से नीचे	1109	73.9
2.	200 ते 500 तक	70	4.7
3.	500 से 1000 तक	75	5.0
4	1000 से 1500 तक	73	4.9
5.	1500 से 2000 तक	22	1.4
6.	2000 से 2500 तक	18	1.2
7.	2500 से 3000 तक	19	1.2
8.	3000 से 3500 तक	19	1.3
9.	3500 से 4000 तक	7	0.5
10.	4000 से 4500 तक	11	0.7
11.	4500 से 5000 तक	13	0.9
12.	5000 से अधिक	64	4.3
कुल प्रतिदर्श गॉव		1500	100

तालिका सं. 12.1 में प्रस्तुत विवरण से ऐसा देखा गया है कि लगभग 73.9% गॉवों के पास 200 क्विंटल से कम की भण्डारण क्षमता है । ऐसा भी देखा गया है की कम प्रतिशतता वाले गॉवों के मामले में 200 क्विंटल से 5000 क्विंटल की श्रेणी में विभिन्न पैमानों पर भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी । यह आश्चर्य की बात है कि केवल 64 या कुल प्रतिदर्श गॉवों के 4.3% में 5000 से अधिक क्विंटल की भण्डारण क्षमता की जानकारी प्राप्त हुई थी ।

6.10.2 <u>प्रतिदर्श गॉवों में उपलब्ध सांस्थानिक भण्डारण</u>

उसी समय से कृषि विपणन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास जारी थे तथा सांस्थानिक भण्डारण की ओर ध्यान दिया जा रहा था । गॉवों में सांस्थानिक भण्डारण क्षमता की उपलब्धता को देखते हुए प्रतिदर्श गॉवों के विभाजन का विवरण संलग्नक 13 में प्रस्तुत है और इसका सार नीचे तालिका सं. 13.1 में दिया गया है :

<u>तालिका सं. 13.1</u>
<u>प्रतिदर्श गॉवों में सांस्थानिक भण्डारण उपलब्धता</u>

क्रम सं.	संस्थान	गॉवों की संख्या	राज्य
1.	को ऑपरेटिव	72	ऑंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आदि ।
2.	नियमित बाजार	शून्य	-
3.	केंद्रीय भांडागार निगम	शून्य	-
4.	राज्य भांडागार निगम	11	गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि
5.	ग्रामीण गोदाम	6	असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
6.	अन्य	27	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिकिकम और उत्तर प्रदेश आदि

ऐसा देखा गया है कि ऑंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के राज्यों से

विशेषतौर से सहकारी क्षेत्र (कोऑपरेटिव सेक्टर) में 72 गॉवों में सांस्थानिक भण्डार उपलब्ध है । सभी राज्यों में से सहकारी क्षेत्र ने गॉवों में भण्ड़ारण क्षमता का निर्माण करते हुए महाराष्ट्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है । विभिन्न राज्यों से राज्य भांडागार निगम, रूरल गोदाम के नेशनल ग्रिड के अंतर्गत निर्मित गोदामों तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों के गोदाम में भण्डारण सुविधा होने की जानकारी प्राप्त हुई थी । हालॉकि, प्रतिदर्श गॉवों में नियमित बाजार या केंद्रीय भांडागार निगम से गोदाम सुविधा न होने की जानकारी मिली थी ।

6.10.3 <u>प्रतिदर्श गॉवों के 10 कि.मी.की परिधि के अंतर्गत भण्डारण क्षमता</u>

इस अध्ययन के दौरान 10 कि.मी.की परिधि के अंतर्गत उपलब्ध भण्डारण क्षमता का भी अध्ययन किया गया । इसका ब्यौरा संलग्नक 14 में दर्शाया गया है । तालिका सं. 14.1 में विस्तृत ब्यौरे का सार निम्नलिखित के अनुसार दर्शाया गया है :-

<u>तालिका सं. 14.1</u>

<u>प्रतिदर्श गॉवों के 10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत उपलब्ध भण्डारण क्षमता</u>

क्रम सं.	क्विंटल में भण्डारण क्षमता	प्रतिदर्श गॉवों की संख्या	प्रतिदर्श गॉवों की कुल प्रतिशतता
1.	200 से कम	1174	78.2
2.	200 से 500 तक	25	1.7
3.	500 से 1000 तक	21	1.4
4.	1000 से 1500 तक	31	2.1
5.	1500 से 2000 तक	12	0.8
6.	2000 से 2500 तक	16	1.1
7.	2500 से 3000 तक	7	0.5
8.	3000 से 3500 तक	5	0.3
9.	3500 से 4000 तक	1	0.1
10.	4000 से 4500 तक	15	1.0
11.	4500 से 5000 तक	0	0
12.	5000 से अधिक	193	12.8
प्रतिदर्श गॉवों की कुल संख्या		1500	100

ऐसा देखा गया है कि 10 कि. मी. की परिधि के अंतर्गत पर्याप्त आकार की भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी जिसमें सांस्थानिक एवं अन्य भण्डारण क्षमता भी शामिल थी। 1500 गॉवों में से 1174 गॉवों के पास 200 क्विंटल से कम की भण्डारण क्षमता

थी । शेष गाँवों के पास 200 से 4500 क्विंटल रेंज की भण्डारण क्षमता थी । हालाँकि, कुल गाँवों की अपेक्षा ऐसे प्रतिदर्श गाँवों की प्रतिशतता बहुत ही कम थी । संयोगवश, 193 प्रतिदर्श गाँवों (12.8%) में 5000 क्विंटल से अधिक भण्डारण क्षमता की जानकारी प्राप्त हुई थी ।

6.10.4 प्रतिदर्श गाँवों के 10 कि.मी.की परिधि के अंतर्गत उपलब्ध सांस्थानिक भण्डारण

गाँव के बाहर किंतु 10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत सांस्थानिक भण्डारण सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का राज्यवार विवरण संलग्नक 1.5 में प्रस्तुत किया गया है । इसी का संक्षिप्त सार तालिका सं. 15.1 में दर्शाया गया है :-

तालिका सं. 15.1

10 कि.मी. के परिधि के अंदर सांस्थानिक भण्डारण सुविधा

क्रम सं.	संस्थान	गाँवों की संख्या	राज्य
1.	सहकारी सोसाइटी	135 (35.3%)	महाराष्ट्र, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आदि
2.	नियमित बाजार	118 (30.9%)	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश
3.	केंदीय भाण्डागार निगम	22 (5.8%)	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश,
4.	राज्य भाण्डागार निगम	86 (22.5%)	आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश,
5.	ग्रामीण गोदाम	8 (2.1%)	गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश,
6.	अन्य	13 (3.4%)	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश,

कुल	382 (100.00)	

ऐसा देखा गया है कि 1500 प्रतिदर्श गॉवों में से, 382 गॉव या 25.5% गॉवों के पास 10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत सांस्थानिक भण्डारण सुविधा थी । जैसा पूर्वोक्त वर्णित था, यह सहकारी क्षेत्र था जिसने गॉवों में भण्डारण क्षमता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । पुनः यह सहकारी क्षेत्र था जिसने 10 कि.मी. की परिधि कें अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । नियमित बाजारों की सांस्थानिक भण्डारण सुविधा, केंद्रीय भांडागार निगम, राज्य भाण्डागार निगम आदि ने भी इस प्रयास में योगदान किया ।

6.10.5 <u>प्रति प्रतिदर्श गॉव औसत सांस्थानिक भण्डारण क्षमता</u>

प्रति प्रतिदर्श गॉव में उपलब्ध सांस्थानिक भण्डारण क्षमता औसत का विस्तृत विवरण (10 कि.मी.की परिधि के अंतर्गत गॉव में एवं गॉव के बाहर) संलग्नक 16 में प्रस्तुत किया गया है और उसका सार तालिका सं. 16.1 में दिया गया है ।

<u>तालिका सं. 16.1</u>

<u>प्रति प्रतिदर्श गॉव उपलब्ध औसत सांस्थानिक भण्डारण क्षमता</u>

(10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत गॉव में एवं गॉव के बाहर)

क्रम सं.	श्रेणी	राज्य
1.	25,000 क्विंटल से अधिक	ऑंध्रप्रदेश (45,249), हरियाणा (1,07,464), पंजाब (27,845)
2.	10,000 क्विंटल से अधिक और 25,000 क्विंटल	कर्नाटक (12,726)
3.	5,000 क्विंटल से अधिक और 10,000 क्विंटल तक	असम, (1,143), गुजरात (9620), महाराष्ट्र, (93,32), उड़ीसा (5042), तमिलनाडु (9617), उत्तर प्रदेश (9107)
4.	5000 क्विंटल से कम	गोवा (2,000), असम (1,143), अरूणाचल प्रदेश (80), बिहार (351), हिमाचल प्रदेश (187), जम्मू व कश्मीर (11), केरल (3,384), मध्य प्रदेश (4,789), मणिपुर (94), नागालैंड (314), राजस्थान (123), सिक्किम (143), त्रिपुरा (7), पश्चिम बंगाल (2,710)

<u>टिप्पणी</u> : मेघालय और मिजोरम में प्रतिदर्श गॉवों से कोई भण्डारण क्षमता की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी ।

ऐसा देखा गया है कि प्रतिदर्श गॉव में एवं 10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत गॉव से बाहर उपलब्ध औसत सांस्थानिक भण्डारण क्षमता हरियाणा, ऑध्र प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों एवं कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि अन्य राज्यों में विकसित हो चुकी है । हालॉकि, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर राज्यों में यह उत्साहवर्धक नहीं थी ।

6.10.6 <u>भण्डारण की लागत</u> :

यहॉ ऐसा कहा जा सकता है कि उत्पादक कृषि स्तर पर परंपरागत भण्डारण संरचनाओं में या अपने घरों में जहां उन्हें कोई प्रभार नहीं देना पड़ता है, अपने उत्पादों का संग्रहण करता है । हालॉकि, जब उत्पाद सांस्थानिक भण्डारण में रखा जाता है उस पर भण्डारण लागत ली जाती है । विभिन्न राज्यों से आंकी गई भण्डारण की औसत लागत को संलग्नक 17 में दर्शाया गया है । ऐसा देखा गया कि सिक्किम के प्रतिदर्श गॉवों से 50 रूपये प्रति क्विंटल प्रति माह न्यूनतम लागत की जानकारी प्राप्त हुई, जबकि, बिहार के प्रतिदर्श गॉवों से 7.50 रूपये प्रति किवंटल प्रति माह अधिकतम लागत की जानकारी प्राप्त हुई !

6.11 <u>प्रतिदर्श गॉवों में कृषक परिवारों की औसत जनसंख्या</u> :

गॉवों में कृषक परिवारों की कुल संख्या के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का राज्यवार विवरण संलग्नक 18 में दर्शाया गया है उसका सार नीचे तालिका सं. 18.1 में प्रस्तुत है ।

<u>तालिका सं. 18.1</u>

<u>कृषक परिवारों की औसत जनसंख्या</u>

क्रम सं	श्रेणी	राज्य (औसत)
1.	2000 से अधिक	गोवा (2067)
2.	500 से अधिक और 2000 तक	केरल (718)
3.	400 से अधिक और 500 तक	महाराष्ट्र (468), ऑध्र प्रदेश (491) त्रिपुरा (437)
4.	300 से अधिक और 400 तक	गुजरात (335), पश्चिम बंगाल (326) मध्य प्रदेश (313)
5.	200 से अधिक और 300 तक	हरियाणा (240), राजस्थान (203) नागालैंड (239) तमिलनाडु (241)
6.	100 से अधिक और 200 तक	असम (126) बिहार (140) हिमाचल प्रदेश (124) जम्मू व कश्मीर (182) कर्नाटक (182) मणिपुर (196) मेघालय (101) मिजोरम 137 उड़ीसा (154) पंजाब (191) सिक्किम (108) पशचिम बंगाल (137)

		उत्तर प्रदेश (197)
7.	100 से कम	अरूणाचल प्रदेश (87)

प्रति गॉव कृषक परिवारों की औसत जनसंख्या जहां अधिकतम दर्शायी गई अर्थात गोवा में 2067 और उसके बाद केरल में जहॉ यह संख्या 718 थी । अरूणाचल प्रदेश में प्रति गॉव कृषक परिवार की औसत जनसंख्या 100 से कम थी, जब कि ऑध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा जैसे राज्यों में 400 से 500 के बीच की रेंज में थी ।

6.12 <u>प्रति प्रतिदर्श परिवार के परिवार सदस्यों की संख्या</u> :

सर्वेक्षण के दौरान चुनिंदा कृषको के संबंध में परिवार सदस्यों के विस्तृत विवरण का भी अध्ययन किया गया । अध्ययन का प्रयोजन परिवार के आकार के अनुसार प्रतिधारण की मात्रा की दुतरफी जॉच तथा खपत संदर्भ एवं अध्ययन के अंतर्गत कृषकों की कुल आवश्यकता का निर्धारण करना है ।

ऑकड़ा विश्लेषण से यह होता है कि अखिल भारतीय आधार पर प्रति परिवार सदस्यों की कुल संख्या बड़ी श्रेणी में अधिकतम (औसत प्रति परिवार 6.45 सदस्य) और उसके बाद मध्यम श्रेणी में (6.38) तथा न्यूनतम श्रेणी में न्यूनतम (5.85) हैं । बड़ी श्रेणी के मामले में प्रति परिवार सदस्यों की अधिक संख्या संयुक्त परिवार संरचना के कारण हो सकती है । 25 राज्यों में से, नागालैंड में वृहदतम परिवार आकार (औसत प्रति परिवार 12.03 सदस्य), उसके बाद हरियाणा (8.2) तथा राजस्थान (7.62) का स्थान आता है । सबसे छोटा परिवार (औसत) की जानकारी सिकिकम (औसत प्रति परिवार 5.03 सदस्य) तथा उसके बाद गुजरात (5.07) एवं केरल (5.04) से प्राप्त हुए।

प्रति परिवार औसत परिवार सदस्यों के संबंध में ऑकड़े संलग्नक 19.1 में दिए गए है, इसका सार तालिका सं. 19 में दिया गया है ।

<u>तालिका सं. 19.1</u>

परिवार सदस्यों की औसत सं.	**राज्यों के नाम**
5.00 से 5.50 तक	गुजरात, केरल, सिक्किम
5.51 से 6.00 तक	ऑध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, महाराष्ट्र
6.01 से 6.50 तक	अरूणाचल प्रदेश, असम, गोवा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटक
6.51 से 7.00 तक	जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, उड़ीसा
7.01 से 7.50 तक	बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
7.51 और अधिक	हरियाणा, नागालैंड और राजस्थान

परिशिष्ट -1

अंग्रेजी नाम, वानस्पतिक नाम और विभिन्न स्थानीय भाषाओं में नाम सहित विपणन योग्य अधिशेष और उसकी फसलोत्तर हानियों का आकलन कर सर्वेक्षण के लिए चयनित खाद्यान्नों की सूची

क्रम सं.	अंग्रेजी नाम	वानस्पतिक नाम	असमी	बंगाली	ड़िया	तेलुगु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	धान	ओराइजा सैटाइवाएल	धान	धान	धानो बियायामू	वडलु
2.	गेहू	ट्रिटिकम सैटाइवम एल. ट्रिटिकम एइसटिवम एल.	गौम गेहु	गम	गहम	गोदुमालु
3.	ज्वार ग्रेटमिलेट सौर्घम	एन्ड्रोपोगोन सौर्घम ब्रौट सार्घम वल्गेरी पार्स	--	ज्वार	जुआरा	जोन्ना
4.	बाजरा बुलरूस मिलेट स्पाइक्ड मिलेट पर्ल मिलेट	पेनिनसेटम टाइपोयडस एस एंड एच पेनिनसेटम टाइपोडियम		बाजरा	बाजरा	सज्जा
5.	मक्का	जियामस एल.	गोमधन	भुट्टा	मक्का	मोक्काजोन्ना
6.	जौ	हारडियम वल्गेरी एल.	जाधन	जौब्स	जाबा बर्लहि या जबधना	जौ
7.	रागी फिंगर मिलेट	एलुसाइनी कोराकैनाजी	--	मरवा	मंडिया	रागी, चोडी
8.	तुर अरहर	कैजेनस कजन एम कैजेनस इंडिकस	अरहर	अरहर	वरद	कांदुलु
9.	ड़िद काला चना	फैसिलोअस मुन्गो	मेटिमाह	मस्कलाई	बिरि	मिनुमुलु
10.	मूग हरा चना	फैसिलोअस औरियस	मैगम	सोनामग	मूंग	पचपेसर्लु
11.	चना	साइसर ऐरीटिनम	बुटमाह	चोला	बूट	चंगलु

12.	मसूर	लेन्स एस्कुलेन्टा	मसूरमाह	मुसुरी	मसूर	चिरूचेंगा

स्त्रोत: कृषि आई.सी.ए.आर, नई दिल्ली की नियम पुस्तिका

परिशिष्ट -2

निर्धारित राज्य एजेंसियों की सूची

क्रम सं.	राज्य	निर्धारित राज्य एजेंसियों के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	ऑंध्र प्रदेश	विपणन निदेशक, ऑंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
2.	अरूणाचल प्रदेश	कृषि निदेशक, अरूणाचल प्रदेश, नहारलगुन- 791101
3.	असम	कृषि निदेशक, असम सरकार, खानपारा, गुवाहाटी – 781002
4.	बिहार	बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंतभवन, बेली रोड, पटना – 800 001
5.	गोवा	सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार, गोवा सरकार, पणजी
6.	गुजरात	प्रबंध निदेशक, गुजरात राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सेक्टर 17/22 जी.एच.वी.रोड, गॉधी नगर-382 022
7.	हरियाणा	कृषि निदेशक, हरियाणा सरकार, सेक्टर -17, चंडीगढ़ -160017
8.	हिमाचल प्रदेश	कृषि अर्थ व्यवस्था विभाग, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय (हिमाचल प्रदेश) पालमपुर – 176062.
9.	जम्मू एवं कश्मीर	कृषि निदेशक, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू
10.	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य कृषि विपणन बोर्ड नं. 16, 11 राज भवन रोड, बेंगलूर -560 00
11.	केरल	कृषि निदेशक, केरल, तिरूवनंतपुरम
12.	मध्य प्रदेश	आयुक्त/सचिव, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26 किसान भवन, अरोरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
13.	महाराष्ट्र	प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पुणे
14.	मणिपुर	कृषि निदेशक, मणिपुर (कृषि विपणन युनिट) इम्पाल
15.	मेघालय	कृषि निदेशक, मेघालय सरकार, अपर सचिवालय बिल्डिंग, शिलांग -793001.
16.	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, प्लाट सं 120-ए, शहीद नगर, भुवनेश्वर – 751001
17.	पंजाब	विपणन निदेशक, राज्य विपणन विभाग, एस सी ओ सं. 148-149, सेक्टर 34- ए, चंडीगढ

18.	राजस्थान	सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

जारी....

परिशिष्ट- 2

क्रम सं.	राज्य	निर्धारित राज्य एजेंसियों के नाम
(1)	(2)	(3)
19.	सिक्किम	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो, योजना एवं विकास विभाग, तिब्बत रोड, गंगटोक 737101
20.	तमिलनाडु	कृषि विपणन निदेशक, तमिलनाडु सरकार, डॉ. जयललिता मलिगाय, थिरूमंगलम, मद्रास -600040
21.	त्रिपुरा	कृषि निदेशक, त्रिपुरा, अगरतला
22.	उत्तर प्रदेश	कृषि विपणन निदेशक, उत्तर प्रदेश, 23-सी, गोखले मार्ग, लखनऊ
23.	पश्चिम बंगाल	कृषि विपणन निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, पी-16ए इंडिया एक्सचेंज प्लेस एक्सटेंशन, कोलकात्ता – 700073.
24.	नागालैंड	राज्य, विपणन अधिकारी (नागालैंड), एग्रीलैंड बिल्डिंग, कोहिमा -717001
25.	मिजोरम	मिजोरम कृषि विपणन निगम लिमिटेड, आईजौल 796001 (मिजोरम)

परिशिष्ट-3

अध्ययन के लिए प्रतिदर्श जिलों और प्रस्तावित जिलों की संख्या के चयन के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों को मिलाना

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित राज्य के नाम	राज्य/केंद्र शासित राज्य में कुल जिलों की सं.	यूनिट में कुल जिलों की सं.	अध्ययन के लिए प्रस्तावित जिलों की सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	I) जम्मू एवं कश्मीर II) हमिाचल प्रदेश	14 12	26	6
II.	i) पंजाब ii) हरियाणा iii) चंडीगढ़	14 16 1	31	6
III.	i) उत्तर पदेश ii) दिल्ली	63 1	64	12
IV	i) गुज।रात ii) महाराष्ट iii) दीव एवं दमन iv) दादरा एवं नागर हवेली v) गोवा	19 31 2 1 2	55	11
V.	i) ऑंध्र प्रदेश ii) तमिलनाडु iii) पांडिचेरी	23 23 4	50	10
VI.	i) कर्नाटक ii) केरल iii) लक्षद्वीप	20 14 1	35	7
VII.	i) उड़ीसा ii) बंगाल iii) सिक्किम iv) अंडमान और निकोबार	27 17 4 2	50	10

VIII	i) असम ii) मेघालय	23 5	28	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IX.	i) अरूणाचल प्रदेश ii) नागालैंड iii) मणिपुर iv) मिजोरम v) त्रिपुरा	11 7 8 3 3	32	6
X.	i) राजस्थान	30	30	6
XI.	i) मध्य प्रदेश	45	45	9
XII	i) बिहार	55	55	11
समस्त भारत - कुल		501	501	100

परिशिष्ट-4

खाद्यान्नों का विपणनयोग्य अधिशेष और उसकी फसलोत्तर हानि के आकलन के लिए चयनित जिलों की राज्यवार सूची

क्रम सं.	राज्य के नाम	राज्य में जिलों की कुल सं.	अध्ययन के लिए जिलों की संख्या	जिलों के नाम	श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जम्मू एवं कश्मीर	14	3	1. जम्मू 2. उधमपुर 3. काठुआ	उच्च मध्यम निम्न
2.	हिमाचल प्रदेश	12	3	1. कांगड़ा 2. हमीरपुर 3. बिलासपुर	उच्च मध्यम निम्न
3.	पंजाब	14	3	1. संगरूर 2. फरीदकोट 3. होशियारपुर	उच्च मध्यम निम्न
4.	हरियाणा	16	3	1. हिसार 2. कुरूक्षेत्र 3. अम्बाला	उच्च मध्यम निम्न
5.	उत्तर प्रदेश	63	12	1. बुलंदशहर 2. इलाहाबाद 3. हरदोई 4. आजमगढ़ 5. जौनपुर 6. एटा 7. नैनीताल 8. गोरखपुर 9. सहारनपुर 10. बाँदा 11. लखनऊ 12.टिहरी गढ़वाल	उच्च उच्च उच्च उच्च मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम निम्न निम्न निम्न निम्न

क्रम सं.	राज्य के नाम	राज्य में जिलों की कुल सं.	अध्ययन के लिए जिलों की संख्या	जिलों के नाम	श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	महाराष्ट्र	31	6	1. अकोला 2. अहमदनगर 3. बांद्रा 4. औरंगाबाद 5. रत्नागिरी 6. ओस्मानाबाद	उच्च उच्च मध्यम मध्यम निम्न निम्न
7.	गुजरात	19	4	1. पंचमहल 2. बनासकंठा 3. सूरत 4. राजकोट	उच्च मध्यम मध्यम निम्न
8.	गोवा	2	1	1. उत्तरी गोवा	-
9.	ऑंध्र प्रदेश	23	5	1. कृष्णा 2. नैल्लौर 3. वारंगल 4. महबूबनगर 5. अदिलाबाद	उच्च मध्यम निम्न निम्न निम्न

10.	तमिलनाडु	23	5	1. तंजावुर 2. चेंगलापटटी 3. मदुरई 4. धर्मपुरी 5. कोयम्बटूर	उच्च मध्यम निम्न निम्न निम्न
11.	कर्नाटक	20	4	1. रायचूर 2. धारवाड 3. टुमकुर 4. दक्षिण कन्नड	उच्च मध्यम निम्न निम्न
12.	केरल	14	3	1. पालक्काड 2. एर्नाकुलम 3. तिरूवनंतपुरम	उच्च मध्यम निम्न

क्रम सं.	राज्य के नाम	राज्य में जिलों की कुल सं.	अध्ययन के लिए जिलों की संख्या	जिलों के नाम	श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	उड़ीसा	30	6	1. कोरापट 2. सम्बलपुर 3. कटक 4. बोलांगीर 5. मयूरभंज 6. फुलबनी	उच्च निम्न उच्च मध्यम उच्च निम्न
14.	पश्चिम बंगाल	17	3	1. बर्दवान 2. मुर्शिदाबाद 3. जलपाईगुड़ी	उच्च मध्यम निम्न
15.	सिक्किम	4	1	1. सिक्किम पश्चिम	उच्च
16.	असम	23	5	1 नौगांव 2. कामरूप 3. कार्बी –आंगलौंग 4. ग्वालपाड़ा 5. लखीमपुर	उच्च मध्यम मध्यम निम्न निम्न
17.	मेघालय	7	1	1. पश्चिमी गारो हिल	उच्च

18.	अरूणाचल प्रदेश	11	2	1. पासीघाट उच्च 2. जीरो	उच्च मध्यम
19.	नागालैंड	7	1	1. कोहिमा	उच्च
20.	मणिपुर	8	1	1. इम्फाल	उच्च
21.	मिजोरम	3	1	1. आइजोल पूर्व	उच्च
22.	त्रिपुरा	3	1	1. त्रिपुरा पश्चिम	उच्च
23.	राजस्थान	30	6	1. गंगानगर 2. जयपुर 3. उदयपुर 4. भीलवाड़ा 5. जोधपुर 6. कोटा	उच्च उच्च मध्यम मध्यम निम्न निम्न

जारी....4

क्रम सं.	राज्य के नाम	राज्य में जिलों की कुल सं.	अध्ययन के लिए जिलों की संख्या	जिलों के नाम	श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	मध्य प्रदेश	45	9	1. रायपुर 2. गुना 3. मंदसौर 4. छिंदवाड़ा 5. भिंड 6. विदिशा 7. घार 8. सतना 9. खंडवा	उच्च उच्च उच्च मध्यम मध्यम मध्यम निम्न निम्न निम्न
25.	बिहार	55	11	1. रोहतास 2. भोजपुर 3. पटना 4. समस्तीपुर 5. गया 6. पुर्णिया 7. मधेपुरा	उच्च उच्च उच्च मध्यम मध्यम मध्यम मध्यम

				8. दरभंगा	निम्न
				9. रॉची	निम्न
				10. दुमका	निम्न
				11. हजारीबाग	निम्न

उच्च - उच्च उत्पादन श्रेणी

मध्यम - मध्यम उत्पादन श्रेणी

निम्न - निम्न उत्पादन श्रेणी

जिलों की कुल सं. - सर्वेक्षण के लिए चयनित 100 जिले

परिशिष्ट- 5

योजना आयोग के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार विपणन योग्य एम एस पी एच एल सर्वेक्षण के अंतर्गत चुने गए 100 जिलों के विभाजन का विवरण

क्रम सं.	योजना आयोग क्षेत्र	राज्य	क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चुनिंदा जिले
1.	2.	3.	4.
1.	पश्चिमी हिमालय क्षेत्र	1. हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा
			2. हमीरपुर
			3. बिलासपुर
		2. जम्मू एवं कश्मीर	1. जम्मू
			2. उधमपुर
			3. कठुआ
		3. उत्तर प्रदेश	1. नैनीताल
			2. टिहरी गढ़वाल
2.	पूर्व हिमालय क्षेत्र	1. अरूणाचल प्रदेश	1. पासीघाट
			2. जीरो
		2. असम	1. कामरूप
			2. कार्बी आलौंग
			3. ग्वालपाड़ा
			4. नौगांव
			5. लखीमपुर
		3. पश्चिम बंगाल	1. जलपाईगुड़ी
		4. मणिपुर	1. इम्पाल
		5. मेघालय	1. पश्चिम गारे हिल्स
		6. मिजोरम	1. आइजोल
		7. नागालैंड	1. कोहिमा
		8. त्रिपुरा	1. त्रिपुरा पश्चिम

3.	निचले गंगा के मैदानी क्षेत्र	1. पश्चिम बंगाल	1. मुर्शिदाबाद
			2. बर्दवान
4.	मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र	1. बिहार	1. दरभंगा
			2. समस्तीपुर
			3. पुर्णिया
			4. मधेपुरा
			5. रोहतास
			6. भोजपुर
			7. पटना
			8. गया

क्रम सं.	**योजना आयोग क्षेत्र**	**राज्य**	**क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले चुनिंदा जिले**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
		2. उत्तर प्रदेश	1. गोरखपुर
			2. बाँदा
			3. एटा
			4. जौनपुर
			5. आजमगढ़
			6. हरदोई
5.	ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र	1. उत्तर प्रदेश	1. बुलंद शहर
			2. इलाहाबाद
			3. सहारनपुर
			4. लखनऊ
6.	गंगा पार का मैदानी क्षेत्र	1. पंजाब	1. फरीदकोट
			2. संगरूर
			3. होशियारपुर
		2. हरियाणा	1. अंबाला
			2. कुरूक्षेत्र
			3. हिस्सार
		3. राजस्थान	1. श्री गंगानगर
7.	पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र	1. बिहार	1. दुमका
			2. हजारीबाग
			3. राँची
		2. महाराष्ट्र	1. भंडारा
		3. मध्यप्रदेश	1. रायपुर
		4. उड़ीसा	1. कोरापुट
			2. सम्बलपुर

			3. कटक
			4. बोलांगीर
			5. म्यूरभंज
			6. फुलबनी
8.	मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र	1. मध्य प्रदेश	1. सतना
			2. विदिशा
			3. भिंड
			4. गुना
			5. छिंदवाड़ा
			6. रायपुर
क्रम सं.	**योजना आयोग क्षेत्र**	**राज्य**	**क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले चुनिंदा जिले**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
		2. राजस्थान	1. उदयपुर
			2. जयपुर
			3. भीलवाड़ा
			4. जोधपुर
			5. कोटा
9.	पश्चिमी पठार और पहाडी क्षेत्र	1. महाराष्ट्र	1. अकोला
			2. अहमदनगर
			3. ओस्मानाबाद
			4. औरंगाबाद
		2. मध्यप्रदेश	1. खंडवा
			2. मंदसौर
			3. घार
10.	दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्र	1. ऑध्र प्रदेश	1. महबूब नगर
			2. वारंगल
			3. अदिलाबाद
		2. कर्नाटक	1. रायचूर
			2. धारवाड़
			3. टुमकुर
		3. तमिलनाडु	1. धर्मपुरी
			2. कोयम्बतूर
11.	पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ी क्षेत्र	1. ऑध्र प्रदेश	1. कृष्णा
			2. नेल्लौर
		2. तमिलनाडु	1. चेंगलपत्तर एमजीआर
			2. तंजावुर

			3. मदुरै
12.	पश्चिमी तटीय मैदान एवं घाट क्षेत्र	1. गोवा	1. गोवा
		2. महाराष्ट्र	1. रत्नागीरी
		3. कर्नाटक	1. दक्षिण कन्नड़
		4. केरल	1. त्रिवेन्द्रम
			2. एरनाकुलम
			3. पालक्काड

क्रम सं.	**योजना आयोग क्षेत्र**	**राज्य**	**क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले चुनिंदा जिले**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
13.	गुजरात मैदान एवं पहाड़ी क्षेत्र	1. गुजरात	1. सूरत
			2. पंचमहल
			3. बनासकाठा
			4. राजकोट
14.	पश्चिमी सूखा क्षेत्र	-	-
15.	द्वीप क्षेत्र	-	-

संलग्नक 1

जनसंख्या के आकार के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की कुल संख्या	जनसंख्या सहित गाँवों की संख्या								
			100 से कम	101 से 300 तक	301 से 500 तक	501 से 1000 तक	1001 से 1500 तक	1501 से 2000 तक	2001 से 2500 तक	2500 से अधिक	औसत
1.	2	3	4	5	6	7.	8.	9	10.	11.	12.
1.	ऑध्र प्रदेश	75	0	0	1	1	8	4	8	53	4569
2.	अरूणाचल पदेश	30	2	11	4	8	4	0	1	0	577
3.	असम	75	1	12	12	25	13	5	1	6	954
4.	बिहार	165	2	14	22	25	22	12	15	53	2348
5.	गोवा	15	0	0	0	1	1	1	1	11	4944
6.	गुजरात	60	0	0	2	5	5	7	4	37	4349

7.	हरियाणा	45	0	0	2	9	3	8	5	18	2876
8.	हिमाचल पदेश	45	1	9	6	15	6	3	3	2	886
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	0	2	4	11	6	11	4	7	1620
10.	कर्नाटक	60	1	3	3	11	3	6	6	27	3024
11.	केरल	45	0	0	0	0	0	0	0	45	25048
12.	मध्य प्रदेश	135	2	10	13	29	23	9	10	39	2584
13.	महाराष्ट्र	90	0	0	5	15	14	9	10	37	3592
14.	मणिपुर	15	0	2	1	2	1	0	2	7	3061
15.	मेघालय	15	0	6	4	3	1	0	0	1	732
16.	मिजोरम	15	0	1	0	2	1	0	2	9	4532
17.	नागालैंड	15	0	1	0	3	3	2	2	4	2255
18.	उड़ीसा	90	0	9	12	19	18	11	7	14	1440
19.	पंजाब	45	0	2	1	7	7	5	3	20	2679
20.	राजस्थान	90	2	9	7	17	10	9	5	31	2497
21.	सिक्किम	15	0	2	2	5	4	2	0	0	956
22.	तमिलनाडु	75	0	2	1	6	3	2	3	58	5735
23.	त्रिपुरा	15	0	0	0	1	0	0	2	12	7507
24.	उत्तर प्रदेश	180	0	9	15	40	27	19	22	48	2065
25.	पश्चिम बंगाल	45	0	0	1	2	5	6	5	26	4298
	अखिल भारत	1500	11	104	118	262	188	131	121	565	3422

संलग्नक 2

भौगोलिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर) के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या										कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत				
			कुल भौगोलिक क्षेत्र					कुल कृषि क्षेत्र									
			500 से कम	500 से 1500	1500 से 3000	3000 से 5000	5000 से अधिक	500 से कम	500 से 1500	1500 से 3000	3000 से 5000	5000 से अधिक	< 30 %	30 - 50 %	50 - 70 %	70 - 90%	> 90 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ऑध्र प्रदेश	75	8	32	24	4	7	25	37	7	6	0	11	12	14	25	13
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	23	7	0	0	0	28	2	0	0	0	3	6	6	10	5
3.	असम	75	68	7	0	0	0	74	1	0	0	0	3	4	28	34	6
4.	बिहार	165	126	35	4	0	0	142	23	0	0	0	8	19	39	77	22
5.	गोवा	15	2	9	4	0	0	9	3	3	0	0	4	2	3	4	2
6.	गुजरात	60	12	32	10	5	1	20	26	9	0	0	1	3	8	33	15
7.	हरियाणा	45	18	20	3	4	0	23	15	4	5	0	0	0	2	25	18
8.	हिमाचल प्रदेश	45	44	1	0	0	0	45	0	0	3	0	9	17	13	3	3
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	24	18	3	0	0	41	4	0	0	0	16	13	10	4	2
10.	कर्नाटक	60	12	25	16	6	1	20	26	9	4	1	7	5	7	20	21
11.	केरल	45	0	4	25	12	4	2	13	22	8	0	2	1	7	24	11
12	मध्य प्रदेश	135	49	65	18	2	1	71	52	11	1	0	5	8	24	69	29

संलग्नक 2

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या										कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत				
			कुल भौगोलिक क्षेत्र					कुल कृषि क्षेत्र									
			500 से कम	500 से 1500	1500 से 3000	3000 से 5000	5000 से अधिक	500 से कम	500 से 1500	1500 से 3000	3000 से 5000	5000 से अधिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	महाराष्ट्र	90	31	33	18	5	3	44	25	17	3	1	16	2	12	31	29
14.	मणिपुर	15	11	3	1	0	0	13	2	0	0	0	0	5	5	5	0
15.	मेघालय	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	2	0	3	6	4
16.	मिजोरम	15	9	5	1	0	0	15	0	0	0	0	11	1	2	1	0
17.	नागालैंड	15	2	4	3	2	4	7	6	1	1	1	5	4	1	4	1
18.	उड़ीसा	90	56	30	4	0	0	80	10	0	0	0	20	18	21	25	6
19.	पंजाब	45	17	20	6	1	1	19	20	6	0	0	0	1	5	16	23
20.	राजस्थान	90	35	32	10	5	8	52	25	6	6	1	9	9	28	35	9
21.	सिक्किम	15	12	3	0	0	0	14	1	0	0	0	3	2	2	5	3
22.	तमिलनाडु	75	20	38	12	5	0	38	35	1	1	0	7	13	30	22	3
23.	त्रिपुरा	15	3	9	1	1	1	14	1	0	0	0	12	2	0	1	0
24.	उत्तर प्रदेश	180	147	30	3	0	0	165	12	3	0	0	10	17	41	73	39
25.	पश्चिम बंगाल	45	22	19	3	1	0	34	10	0	1	0	4	13	7	14	7
	अखिल भारत	1500	766	481	169	53	31	1010	349	98	39	4	168	177	318	566	271

संलग्नक 3

प्रतिदर्श गाँवों का प्रोफाइल: भौगोलिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र और उसकी प्रतिशतता शेयर

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की कुल संख्या	हेक्टेयर में भौगोलिक क्षेत्र			हेक्टेयर में कृषि क्षेत्र			भौगोलिक क्षेत्र में कृषि किए क्षेत्र का प्रतिशत		
			न्यून-तम	अधिक-तम	औसत	न्यून-तम	अधिक-तम	औसत	न्यून-तम	अधिक-तम	औसत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	ऑध्र प्रदेश	75	210.09	8625	1865.26	135.3	4635	1074.57	9.46	96.95	62.61
2.	अरूणाचल पदेश	30	35	620	304.87	30	609.9	203.7	25.52	98.37	65.5
3.	असम	75	34	746	246.64	25.8	609	182	17.51	97.95	74.08
4.	बिहार	165	27.52	2068	379.22	22.4	1196.8	255.47	8.98	96.96	70.98
5.	गोवा	15	133.14	2153.4	1095.42	75.6	1854.72	650.66	9.63	94.66	53.91
6.	गुजरात	60	98	5080.1	1326.54	88	4691.33	1074.73	26.63	97.57	78.92
7.	हरियाणा	45	90	4555	992.14	72	4189	877.49	63.36	94 .26	86.92
8.	हिमाचल प्रदेश	45	17.59	574.42	157.61	8.94	181.6	67.41	6.64	92.14	48.66
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	47.8	1917	640.64	31.6	726	222.96	6.54	99	42.03
10.	कर्नाटक	60	94	5815	1470.25	64	5610	1038.24	6.83	134.12	72.92
11.	केरल	45	1044	8353	2808.87	300	4755	2042.83	3.59	98.68	76.4
12.	मध्य प्रदेश	135	84	8020	915.09	30	3084.51	665.4	7.41	99.53	76.7
13.	महाराष्ट्र	90	80	6641	1241.89	7.27	5971	941.33	0.5	98.68	69.69
14.	मणिपुर	15	65.8	2094.74	500.3	58	849	270.67	34.94	88.15	62.94
15.	मेघालय	15	28	237	113.03	22	231	78.28	19.3	97.47	73.02
16.	मिजोरम	15	128.8	1692	541.16	25	425	152.45	12.53	82.71	31.07

जारी ....

पिछले पृष्ठ से जारी :

17.	नागालैंड	15	350	7700	2910	70	6000	1007.71	1.17	92.31	46.9
18.	उड़ीसा	90	43	2783	510.58	12.2	1115.2	242.13	4.87	95.34	55.03
19.	पंजाब	45	107	7075	961.85	82	2682	768.96	36.47	97.61	85.05
20.	राजस्थान	90	95	9456	1390.08	28	5565	829.9	14.33	106.17	66.47
21.	सिक्किम	15	35	641.76	238.4	17.65	531.89	119.59	7.51	95.39	61.16
22.	तमिलनाडु	75	71.27	4343	1118.65	51.34	3143	601.03	20.55	93.06	60.62
23.	त्रिपुरा	15	304.46	5418.96	1406.09	81.25	622.57	236.08	3.73	88.79	25.15
24.	उत्तर प्रदेश	180	14	2168	330.76	8.77	1896	238.46	8.14	111.16	72.43
25.	पश्चिम बंगाल	45	83	3341.6	647.88	42	3246.7	412.01	14.75	97.43	64.14

संलग्नक 4

सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता और सिंचाई के स्त्रोत के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	प्रतिदर्श गाँव				सिंचाई स्त्रोतों के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों की संख्या									
			असिंचित		सिंचित		तालाब		नहर		खुले कुएँ		टयुबवेल		अन्य	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ऑध्र प्रदेश	75	5	6.67	70	93.33	39	52	22	29.33	36	48	39	52	6	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	9	30	21	70	0	0	5	16.67	0	0	0	0	16	53.33
3.	असम	75	35	46.67	40	53.33	8	10.67	9	12	2	2.67	22	29.33	24	32
4.	बिहार	165	1	0.61	164	99.39	30	18.18	43	26.06	66	40	111	67.27	17	10.3
5.	गोवा	15	5	33.33	10	66.67	9	60	3	20	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	60	3	5	57	95	6	10	29	48.33	50	83.33	19	31.67	2	3.33
7.	हरियाणा	45	0	0	45	100	0	0	17	37.78	0	0	39	86.67	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	45	22	48.89	23	51.11	3	6.67	0	0	0	0	3	6.67	18	40
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	13	28.89	32	71.11	3	6.67	17	37.78	10	22.22	5	11.11	12	26.67
10.	कर्नाटक	60	16	26.67	44	73.33	6	10	8	13.33	23	38.33	31	51.67	6	10
11.	केरल	45	4	8.89	41	91.11	27	60	30	66.67	33	73.33	15	33.33	13	28.89
12.	मध्य प्रदेश	135	4	2.96	131	97.04	11	8.15	27	20	111	82.22	50	37.04	34	25.19
13.	महाराष्ट्र	90	19	21.11	71	78.89	11	12.22	11	12.22	62	68.89	13	14.44	10	11.11
14.	मणिपुर	15	15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	15	5	33.33	10	66.67	0	0	6	40	0	0	1	6.67	7	46.67
16.	मिजोरम	15	1	6.67	14	93.33	0	0	14	93.33	0	0	0	0	0	0

जारी....

संलग्नक 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.	नागालैंड	15	0	0	15	100	0	0	14	93.33	1	6.67	2	13.33	3	2
18.	उड़ीसा	90	8	8.89	82	91.11	25	27.78	49	54.44	49	54.44	16	17.78	4	46.67
19.	पंजाब	45	1	2.22	44	97.78	0	0	27	60	0	0	37	82.22	8	17.78
20.	राजस्थान	90	2	2.22	88	97.78	14	15.56	26	28.89	39	43.33	26	28.89	1	12.22
21.	सिक्किम	15	6	40	9	60	0	0	6	40	0	0	0	0	3	20
22.	तमिलनाडु	75	0	0	75	100	40	53.33	32	42.67	51	68	27	36	0	0
23.	त्रिपुरा	15	1	6.67	14	93.33	10	66.67	10	66.67	3	20	6	40	1	93.33
24.	उत्तर प्रदेश	180	1	0.56	179	99.44	9	5	113	62.78	8	4.44	131	72.78	2	16.11
25.	पश्चिम बंगाल	45	2	4.44	43	95.56	31	68.89	16	35.56	2	4.44	27	60	2	46.67
	अखिल भारत	1500	178	11.87	132	88.13	282	18.8	534	35.6	546	36.4	620	41.33	296	19.73

संलग्नक 5

वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत औसत बुआई क्षेत्र

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1993-94 के दौरान बुआई क्षेत्र					1994-95 के दौरान बुआई क्षेत्र				
		सिंचित क्षेत्र		असिंचित क्षेत्र		कुल क्षेत्र	सिंचित क्षेत्र		असिंचित क्षेत्र		कुल क्षेत्र
		हेक्टेयर	%	हेक्टेयर	%		हेक्टेयर	%	हेक्टेयर	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ऑध्र प्रदेश	495.36	71.32	199.23	28.68	694.59	455.43	69.19	202.79	30.81	658.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	69.64	35.09	128.81	64.91	198.45	68.11	33.34	136.2	66.66	204.32
3.	असम	22.66	14.29	135.91	85.71	158.57	24.98	14.59	146.17	85.41	171.15
4.	बिहार	187.28	61.8	115.77	38.2	303.05	201.90	64.06	113.27	35.94	315.17
5.	गोवा	32.21	19.71	131.21	80.29	163.42	32.21	19.71	131.21	80.29	163.42
6.	गुजरात	156.08	29.48	373.45	70.52	529.53	178.10	31.96	379.21	68.04	557.3
7.	हरियाणा	836.64	92.03	72.44	7.97	909.08	824.83	92.02	71.53	7.98	896.36
8.	हिमाचल पदेश	28.63	25.88	82.02	74.12	110.65	27.96	25.93	79.87	74.07	107.83
9.	जम्मू एवं कश्मीर	63.67	18.29	284.47	81.71	348.14	66.08	18.62	288.75	81.38	354.83
10.	कर्नाटक	149.83	29.11	364.92	70.89	514.75	126.85	22.01	449.56	77.99	576.41
11.	केरल	634.18	59.08	439.18	40.92	1073.36	629.27	60.59	409.3	39.41	1038.56
12.	मध्य प्रदेश	180.23	37.64	298.64	62.36	478.87	196.87	38.99	308.08	61.01	504.95
13.	महाराष्ट्र	73.04	12.03	534.15	87.97	607.19	78.74	12.98	527.67	87.04	606.41
14.	मणिपुर	0	0	282.67	100	282.67	0.00	0	282.67	100	282.67
15.	मेघालय	5.87	8.46	63.47	91.54	69.33	12.80	18.34	57	81.66	69.8

16.	मिजोरम	68.27	46.5	78.54	53.5	146.82	69.46	49.23	71.64	50.77	141.09
17.	नागालैंड	249.13	50.07	248.47	49.93	497.6	171.97	52.55	155.3	47.45	327.27

जारी....

संलग्नक 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	उड़ीसा	86.57	36.99	147.48	63.01	234.05	86.83	38.55	138.43	61.45	225.26
19.	पंजाब	1050.81	97.21	30.20	2.79	1081.01	1055.43	97.63	25.62	2.37	1081.05
20.	राजस्थान	151.4	30.97	337.46	69.03	488.86	169.92	30.99	378.47	69.01	548.39
21.	सिक्किम	15.86	13.15	104.74	86.85	120.59	15.86	13.61	100.65	86.39	116.51
22.	तमिलनाडु	241.71	71.42	96.71	28.58	338.42	43.79	69.48	107.10	30.52	350.89
23.	त्रिपुरा	141.59	39.67	215.32	60.33	356.91	144.82	40.42	213.51	59.58	358.33
24.	उत्तर प्रदेश	197.29	78.29	54.71	21.71	252.00	201.19	80.30	49.36	19.70	250.55
25.	पश्चिम बंगाल	238.77	47.78	260.96	52.22	499.73	242.64	48.01	262.73	51.99	505.37
	अखिल भारत	5376.71	51.41	5080.91	48.59	10457.62	5326.01	51.15	5086.10	48.85	10412.12

संलग्नक 6

गाँवों में उगाई गई फसलों के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

(1993-94 एवं 1994-95 के ऑकड़ों के आधार पर)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या जिसमें फसल उगाई गई											
			धान	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी	गेहू	जौ	अरहर	मूंग	उड़द	चना	मसूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ऑध्र प्रदेश	75	73	35	11	34	18	25	0	43	12	20	25	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	30	0	0	17	0	18	0	4	17	8	0	5
3.	असम	75	74	0	0	27	0	51	0	32	6	61	0	37
4.	बिहार	165	158	8	8	108	55	151	44	76	63	21	91	93
5.	गोवा	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	60	30	47	38	20	14	40	0	32	25	37	37	0
7.	हरियाणा	45	39	15	21	26	0	45	18	6	10	11	21	32
8.	हिमाचल प्रदेश	45	32	0	2	45	16	45	19	1	4	16	24	10
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	41	0	17	38	0	45	0	0	15	36	36	0
10.	कर्नाटक	60	35	39	13	13	28	30	0	34	17	5	35	0
11.	केरल	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	135	76	95	21	79	32	125	45	93	79	81	81	65
13.	महाराष्ट्र	90	50	65	46	27	21	72	0	59	45	44	44	12

14.	मणिपुर	15	15	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0

जारी.....

<u>संलग्नक 6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.	नागालैंड	15	15	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	90	90	21	0	74	39	47	0	65	40	33	74	0
19.	पंजाब	45	43	0	18	21	0	45	27	16	23	5	27	20
20.	राजस्थान	90	10	33	40	51	0	88	71	6	25	31	38	28
21.	सिक्किम	15	9	0	0	15	0	9	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	75	73	38	18	10	21	0	0	30	18	35	22	0
23.	त्रिपुरा	15	15	0	0	12	0	13	0	2	9	10	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	180	166	63	60	113	35	177	86	108	70	98	81	78
25.	पश्चिम बंगाल	45	45	1	0	5	0	39	0	9	0	14	23	30
	अखिल भारत	1500	1209	460	313	776	279	1065	310	616	478	566	695	410

संलग्नक 7

चुनिंदा फसलों के अंतर्गत औसत कृषित क्षेत्र (हेक्टेयर)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की कुल संख्या	औसत कृषित क्षेत्र	अनाज													
				धान		ज्वार		बाजरा	मक्का			रागी		गेहूं		जौ	
				क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ऑध्र प्रदेश	75	544.79	417.52	76.64	93.97	17.25	4.86	0.89	25.13	4.61	1.62	0.30	1.69	0.31	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	198.80	182.51	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52	7.30	0.00	0.00	1.03	0.52	0.00	0.00
3.	असम	75	145.86	128.16	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.88	0.00	0.00	10.31	7.07	0.00	0.00
4.	बिहार	165	270.22	142.63	52.78	3.05	1.13	0.07	0.03	19.01	7.04	3.69	1.37	99.06	36.66	2.73	1.01
5.	गोवा	15	163.42	138.42	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	60	471.74	75.00	15.90	89.46	18.96	186.00	39.43	68.41	14.50	0.35	0.07	48.19	10.22	0.00	0.00
7.	हरियाणा	45	841.15	246.19	29.27	9.56	1.14	43.20	5.14	7.44	0.88	0.00	0.00	527.40	62.70	7.27	0.86
8.	हिमाचल प्रदेश	45	106.15	10.61	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67	40.20	1.22	1.15	52.43	49.39	0.38	0.36
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	337.52	78.06	23.13	0.00	0.00	9.96	2.95	79.02	23.41	0.00	0.00	166.70	49.39	0.00	0.00

10.	कर्नाटक	60	492.72	172.35	34.98	203.22	41.24	23.70	4.81	4.55	0.92	45.74	9.28	36.02	7.31	0.00	0.00
11.	केरल	45	998.56	998.56	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	135	357.42	84.28	23.58	50.73	14.19	5.64	1.58	27.71	7.75	0.25	0.07	185.10	51.79	3.82	1.07
13.	महाराष्ट्र	90	474.03	60.25	12.71	274.58	57.92	82.60	17.43	12.29	2.59	0.42	0.09	43.47	9.17	0.00	0.00
14.	मणिपुर	15	282.67	258.67	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	4.25	0.00	0.00	12.00	4.25	0.00	0.00

जारी...

<u>संलग्नक 7</u>

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की कुल संख्या	कृषित औसत क्षेत्र	अनाज													
				धान		ज्वार		बाजरा	मक्का			रागी		गेहूं		जौ	
				क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	मेघालय	15	69.80	69.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	15	141.09	118.85	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	15	318.20	278.29	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05	9.44	0.00	0.00	6.47	2.03	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	90	190.49	169.25	88.85	0.83	0.44	0.00	0.00	9.82	5.16	8.47	4.45	1.20	0.63	0.00	0.00
19.	पंजाब	45	1065.79	427.99	40.16	0.00	0.00	8.82	0.83	30.42	2.85	0.00	0.00	575.44	53.99	13.73	1.29
20.	राजस्थान	90	483.29	2.69	0.56	39.90	8.26	2.21	0.46	64.13	13.27	0.00	0.00	138.10	28.64	17.32	3.58
21.	सिक्किम	15	116.51	15.15	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.92	55.72	0.00	0.00	17.77	15.25	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	75	323.54	218.84	67.64	84.03	25.97	2.54	0.79	11.92	3.68	6.87	2.12	0.04	0.01	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	15	339.51	329.29	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	1.01	0.00	0.00	6.80	2.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	180	215.97	67.75	31.37	7.58	3.51	5.42	2.51	14.22	6.58	1.34	0.62	115.90	53.66	4.38	2.03

25.	पश्चिम बंगाल	45	495.86	448.31	90.41	0.09	0.02	0.00	0.00	6.69	1.35	0.00	0.00	40.80	8.23	0.00	0.00
	अखिल भारत	1500	377.80	175.48	46.45	45.63	12.08	16.87	4.47	22.90	6.06	3.43	0.91	97.75	25.87	2.85	0.75

संलग्नक 7

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	औसत कृषित क्षेत्र	अरहर		मूंग		उड़द		चना		मसूर	
				क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ऑध्र प्रदेश	75	544.79	24.65	4.52	47.37	8.70	39.34	7.22	2.08	0.38	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	198.80	0.88	0.44	2.59	1.30	1.83	0.92	0.00	0.00	0.22	0.11
3.	असम	75	145.86	1.68	1.15	1.23	0.84	5.58	3.83	0.00	0.00	4.26	2.92
4.	बिहार	165	270.22	2.81	1.04	17.28	6.39	3.08	1.14	9.64	3.57	11.76	4.35
5.	गोवा	15	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	60	471.74	19.70	4.18	26.60	5.64	18.19	3.86	18.41	3.90	0.00	0.00
7.	हरियाणा	45	841.15	0.76	0.09	1.84	0.22	1.84	0.22	47.59	5.66	1.12	0.13
8.	हिमाचल प्रदेश	45	106.15	0.00	0.00	0.20	0.19	1.18	1.11	0.22	0.21	1.22	1.15
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	337.52	0.41	0.12	2.16	0.64	9.68	2.87	3.83	1.13	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	60	492.72	30.68	6.23	10.81	2.19	3.48	0.71	38.23	7.76	0.00	0.00
11.	केरल	45	998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.	मध्य प्रदेश	135	357.42	8.55	2.39	5.18	1.45	18.88	5.28	96.44	26.98	18.48	5.17
13.	महाराष्ट्र	90	474.00	50.28	10.61	22.69	4.79	20.20	4.26	22.82	4.81	0.04	0.01
14.	मणिपुर	15	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	15	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

जारी....

<u>संलग्नक 7</u>

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	औसत कृषित क्षेत्र	अरहर		मूंग		उड़द		चना		मसूर	
				क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मिजोरम	15	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	15	318.20	6.93	2.18	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	90	190.49	4.47	2.35	17.45	9.16	10.48	5.50	1.78	0.93	0.00	0.00
19.	पंजाब	45	1065.79	2.25	0.21	10.09	0.95	0.20	0.02	1.50	0.14	1.39	0.13
20.	राजस्थान	90	483.29	0.02	0.00	27.61	5.71	6.00	1.24	28.64	5.93	2.82	0.58
21.	सिक्किम	15	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	75	323.54	4.78	1.48	3.29	1.02	5.53	1.71	3.85	1.19	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	15	339.51	2.27	0.67	6.66	1.96	7.13	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	180	215.97	8.91	4.13	1.82	0.84	2.88	1.33	13.92	6.45	7.10	3.29
25.	पश्चिम बंगाल	45	495.86	0.00	0.00	1.14	0.23	2.53	0.51	2.37	0.48	2.61	0.53

	अखिल भारत	1500	377.80	9.22	2.44	11.32	3.00	8.54	2.26	18.83	4.98	4.39	1.16

संलग्नक 8

प्रतिगॉव प्रतिदर्श कृषकों की औसत संख्या का राज्यवार श्रेणीवार विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गॉवों की संख्या	कृषकों की औसत संख्या	प्रतिगॉव कृषकों की श्रेणीवार औसत संख्या					
				छोटे	%	मध्यम	%	बड़े	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ऑध्र प्रदेश	75	491	339	69	108	22	44	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	87	53	61	22	25	12	14
3.	असम	75	126	81	64	30	23	15	12
4.	बिहार	165	140	94	67	31	22	15	10
5.	गोवा	15	2067	1699	82	296	14	72	3
6.	गुजरात	60	208	159	47	32	10	17	5
7.	हरियाणा	45	241	159	66	56	23	26	11
8.	हिमाचल प्रदेश	45	121	83	67	26	21	12	10
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	176	108	61	43	25	25	14
10.	कर्नाटक	60	182	112	62	47	26	23	12
11.	केरल	45	718	433	60	192	27	93	13
12.	मध्य प्रदेश	135	313	221	71	65	21	27	8
13.	महाराष्ट्र	90	448	292	62	107	23	49	11
14.	मणिपुर	15	196	103	53	57	29	36	19
15.	मेघालय	15	101	78	77	16	16	7	7
16.	मिजोरम	15	136	78	57	37	27	21	16
17.	नागालैंड	15	239	132	55	66	28	41	17
18.	उड़ीसा	90	154	94	61	40	26	20	13
19.	पंजाब	45	190	120	63	47	25	23	12
20.	राजस्थान	90	203	136	67	44	22	23	11
21.	सिक्किम	15	108	84	77	17	16	7	7
22.	तमिलनाडु	75	241	158	66	57	24	26	11
23.	त्रिपुरा	15	437	295	67	95	22	47	11
24.	उत्तर प्रदेश	180	195	141	71	37	19	17	9
25.	पश्चिम बंगाल	45	326	215	66	75	23	36	11
	अखिल भारत	1500	314	219	70	66	21	29	9

संलग्नक 9

प्रतिगाँव प्रतिदर्श कृषकों की औसत संख्या का राज्यवार श्रेणीवार विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	की दूरी पर प्रतिदर्श गाँवों की संख्या						
			5 कि.मी. से कम	5 से 10 कि.मी.	10 से 15 कि.मी.	15 से 20 कि.मी.	20 से 25 कि.मी.	25 कि.मी. से अधिक	निकटतम बाजार की औसत दूरी (कि.मी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ऑध्र प्रदेश	75	14	16	19	15	6	5	11.11
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	10	5	6	3	3	3	12.5
3.	असम	75	52	18	5	0	0	0	4.19
4.	बिहार	165	82	44	26	8	2	3	5.96
5.	गोवा	15	2	5	6	1	0	1	10.2
6.	गुजरात	60	18	6	13	5	7	11	14.5
7.	हरियाणा	45	11	14	13	3	3	1	8.81
8.	हिमाचल प्रदेश	45	45	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	30	7	2	4	2	0	3.98
10.	कर्नाटक	60	5	9	14	13	9	10	16.04
11.	केरल	45	21	14	8	1	0	1	5.71
12.	मध्य प्रदेश	135	21	34	31	26	10	13	12.74
13.	महाराष्ट्र	90	19	29	13	10	5	14	13.17
14.	मणिपुर	15	5	8	1	1	0	0	6.8
15.	मेघालय	15	7	6	2	0	0	0	4.83
16.	मिजोरम	15	6	2	0	0	2	5	21.93
17.	नागालैंड	15	5	2	2	2	2	2	12.4
18.	उड़ीसा	90	54	22	11	3	0	0	4.57
19.	पंजाब	45	18	15	8	4	0	0	6.77
20.	राजस्थान	90	6	8	21	11	15	29	20.14
21.	सिक्किम	15	4	2	5	0	1	3	12.67
22.	तमिलनाडु	75	12	22	26	10	4	1	9.97
23.	त्रिपुरा	15	11	2	2	0	0	0	3.27
24.	उत्तर प्रदेश	180	72	44	42	17	3	2	7.54
25.	पश्चिम बंगाल	45	23	17	4	0	1	0	5.67
	अखिल भारत	1500	553	351	280	137	75	104	9.36

संलग्नक 10

फीडर सड़कों की स्थिति के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गॉवों की संख्या	निकटतम बाजार से जुड़े प्रतिदर्श गॉवों की संख्या					
			पक्की सड़क		कच्ची सड़क		आंशिक रूप से कच्ची/ पक्की सड़क	
			गॉवों की संख्या	प्रतिशत	गॉवों की संख्या	प्रतिशत	गॉवों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ऑध्र प्रदेश	75	53	70.67	4	5.33	18	24
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	18	60	6	20	6	20
3.	असम	75	9	12	28	37.33	38	50.67
4.	बिहार	165	49	29.7	39	23.64	77	46.67
5.	गोवा	15	15	100	0	0	0	0
6.	गुजरात	60	51	85	1	1.67	8	13.33
7.	हरियाणा	45	43	95.56	0	0	2	4.44
8.	हिमाचल प्रदेश	45	0	0	0	0	45	100
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	10	22.22	5	11.11	30	66.67
10.	कर्नाटक	60	30	50	2	3.33	28	46.67
11.	केरल	45	29	64.44	0	0	16	35.56
12.	मध्य प्रदेश	135	76	56.3	12	8.89	47	34.81
13.	महाराष्ट्र	90	77	85.56	0	0	13	14.44
14.	मणिपुर	15	3	20	1	6.67	11	73.33
15.	मेघालय	15	6	40	4	26.67	5	33.33
16.	मिजोरम	15	11	73.33	0	0	4	26.67
17.	नागालैंड	15	9	60	1	6.67	5	33.33
18.	उड़ीसा	90	44	48.89	7	7.78	39	43.33
19.	पंजाब	45	43	95.56	0	0	2	4.44
20.	राजस्थान	90	75	83.33	0	0	15	16.67
21.	सिक्किम	15	8	53.33	6	40	1	6.67
22.	तमिलनाडु	75	67	89.33	0	0	8	10.67
23.	त्रिपुरा	15	3	20	3	20	9	60
24.	उत्तर प्रदेश	180	104	57.78	13	7.22	63	35
25.	पश्चिम बंगाल	45	7	15.56	8	17.78	30	66.67
	अखिल भारत	1500	840	56.00	140	9.33	520	34.67

संलग्नक 11

निकटतम बाजार के प्रकार के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की कुल संख्या	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या जिनमें बाजार से संबंध है							
			मुख्य बाजार		गौण बाजार		नियमित बाजार		अनियमित बाजार	
			गाँवों की संख्या	कॉलम 3 का प्रतिशत	गाँवों की संख्या	कॉलम 3 का प्रतिशत	गाँवों की संख्या	कॉलम 3 का प्रतिशत	गाँवों की संख्या	कॉलम 3 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ऑध्र प्रदेश	75	72	96	3	4	71	94.67	4	5.33
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	30	100	0	0	3	10	27	90
3.	असम	75	66	88	9	12	1	1.33	73	97.33
4.	बिहार	165	161	97.58	4	2.42	164	99.39	1	0.61
5.	गोवा	15	14	93.33	0	0	7	46.67	8	53.33
6.	गुजरात	60	43	71.67	15	25	53	88.33	7	11.67
7.	हरियाणा	45	41	91.11	4	8.89	43	95.56	1	2.22
8.	हिमाचल प्रदेश	45	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	30	66.67	15	33.33	1	2.22	44	97.78
10.	कर्नाटक	60	59	98.33	1	1.67	58	96.67	2	3.33
11.	केरल	45	33	73.33	12	26.67	0	0	45	100
12.	मध्य प्रदेश	135	134	99.26	1	0.74	121	89.63	13	9.63
13.	महाराष्ट्र	90	79	87.78	11	12.22	90	100	0	0
14.	मणिपुर	15	15	100	0	0	0	0	15	100
15.	मेघालय	15	15	100	0	0	0	0	15	100

16.	मिजोरम	15	10	66.67	5	33.33	3	20	12	80
17.	नागालैंड	15	9	60	6	40	0	0	15	100
18.	उड़ीसा	90	83	92.22	7	7.78	61	67.78	29	32.22
19.	पंजाब	45	25	55.56	20	44.44	31	68.89	14	31.11
20.	राजस्थान	90	56	62.22	33	36.67	86	95.56	4	4.44
21.	सिक्किम	15	14	93.33	1	6.67	6	40	9	60
22.	तमिलनाडु	75	66	88	9	12	56	74.67	19	25.33
23.	त्रिपुरा	15	15	100	0	0	3	20	12	80
24.	उत्तर प्रदेश	180	152	84.44	28	15.56	166	92.22	14	7.78
25.	पश्चिम बंगाल	45	33	73.33	12	26.67	7	15.56	38	84.44
	अखिल भारत	1500	1255	83.67	196	13.07	1031	68.73	421	28.07

संलग्नक 12

गॉवों में उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गॉवों की संख्या	प्रतिदर्श गॉवों की संख्या जिनमें कुल भण्डारण क्षमता (क्विंटल है)											
			200 से कम	200 से 500	500 से 1000	1000 से 1500	1500 से 2000	2000 से 2500	2500 से 3000	3000 से 3500	3500 से 4000	4000 से 4500	4500 से 5000	5000 से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ऑध्र प्रदेश	75	55	5	3	3	0	1	1	2	0	1	0	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	13	5	5	3	2	0	0	1	0	0	0	1
3.	असम	75	17	10	9	15	2	4	4	2	2	2	4	4
4.	बिहार	165	90	21	16	10	8	4	2	2	0	2	0	10
5.	गोवा	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	60	58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.	हरियाणा	45	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	45	21	10	10	3	0	1	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	60	53	0	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0
11.	केरल	45	11	6	5	5	5	1	2	0	0	0	4	6
12.	मध्य प्रदेश	135	128	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1
13.	महाराष्ट्र	90	54	0	0	16	0	1	1	1	0	0	3	5
14.	मणिपुर	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	नागालैंड	15	5	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	6
18.	उड़ीसा	90	72	4	2	2	0	2	4	1	0	0	0	3
19.	पंजाब	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	राजस्थान	90	88	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21.	सिक्किम	15	11	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	75	64	1	4	0	1	0	0	0	1	0	0	4
23.	त्रिपुरा	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	180	152	0	0	8	0	0	2	3	1	1	2	11
25.	पश्चिम बंगाल	45	8	3	7	2	3	3	1	4	3	4	0	7
	अखिल भारत	1500	1109	70	75	73	22	18	19	19	7	11	13	64

संलग्नक 13

गाँवों में सांस्थानिक भण्डारण सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	सहकारी		नियमित बाजार		केंद्रीय भांडागार निगम		राज्य भांडागार निगम		गामीण		अन्य	
			गाँवों की संख्या	%	गाँवों की संख्या	%	गाँवों की संख्या	%	गाँवों की संख्या	%	गाँवों की संख्या	%	गाँवों की संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ऑध्र प्रदेश	75	2	2.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	75	2	2.67	0	0	0	0	0	0	2	2.67	0	0
4.	बिहार	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गोवा	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	60	1	1.67	0	0	0	0	1	1.67	0	0	0	0
7.	हरियाणा	45	1	2.22	0	0	0	0	1	2.22	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	60	7	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.3
11.	केरल	45	1	2.22	0	0	0	0	3	6.67	0	0	5	11
12.	मध्य प्रदेश	135	4	2.96	0	0	0	0	3	2.22	1	0.74	0	0
13.	महाराष्ट्र	90	29	32.2	0	0	0	0	1	1.11	3	3.33	3	3.3
14.	मणिपुर	15	1	6.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	15	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

जारी .....

संलग्नक 13

17.	नागालैंड	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	90	6	6.67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1
19.	पंजाब	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	राजस्थान	90	2	2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	सिक्किम	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
22.	तमिलनाडु	75	9	12	0	0	0	0	2	2.67	0	0	0	0
23.	त्रिपुरा	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	180	7	3.89	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8.3
25.	पश्चिम बंगाल	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अखिल भारत	1500	72	4.8	0	0	0	0	11	0.76	6	0.4	27	1.8

संलग्नक 14

10 कि.मी. के दायरे में गाँवों के लिए उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन (भण्डारण क्षमता क्विंटल में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की संख्या	10 कि. मी. के दायरे में भण्डारण सुविधा रखने वाले प्रतिदर्श गाँवों की संख्या											
			200 से कम	200 से 500	500 से 1000	1000 से 1500	1500 से 2000	2000 से 2500	2500 से 3000	3000 से 3500	3500 से 4000	4000 से 4500	4500 से 5000	5000 से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ऑध्र प्रदेश	75	38	4	1	1	1	2	0	0	0	2	0	26
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	75	63	3	1	0	2	2	0	2	0	0	0	2

4.	बिहार	165	162	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
5.	गोवा	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6.	गुजरात	60	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.	हरियाणा	45	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
8.	हिमाचल प्रदेश	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	60	43	1	3	5	3	2	0	0	0	0	0	3
11.	केरल	45	39	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	2
12.	मध्य प्रदेश	135	113	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	15
13.	महाराष्ट्र	90	39	5	1	12	0	3	3	1	0	1	0	25
14.	मणिपुर	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>संलग्नक 14</u>

15.	मेघालय	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	90	63	4	6	0	1	3	2	1	0	3	0	7
19.	पंजाब	45	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
20.	राजस्थान	90	84	1	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0
21.	सिक्किम	15	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	75	35	3	4	6	1	0	0	0	1	2	0	23

23.	त्रिपुरा	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	180	143	0	0	0	1	0	0	1	0	4	0	31
25.	पश्चिम बंगाल	45	23	2	0	1	1	0	1	0	0	1	0	16
	अखिल भारत	1500	1174	25	21	31	12	16	7	5	1	15	0	193

संलग्नक 15

10 कि.मी. के दायरे में गॉव के बाहर सांस्थानिक भण्डारण सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गॉवों की संख्या	सहकारी क्षेत्र		नियमित बाजार		केंद्रीय भांडागार निगम		राज्य भांडागार निगम		गामीण गोदाम		अन्य	
			गॉवों की संख्या	%	गॉवों की संख्या	%	गॉवों की संख्या	%	गॉवों की संख्या	%	गॉवों की संख्या	%	गॉवों की संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ऑध्र प्रदेश	75	2	2.67	30	40.00	1	1.33	5	6.67	0	0	1	1.33
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	75	10	13.33	0	0	0	0	1	1.33	0	0	0	0
4.	बिहार	165	1	0.61	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.21
5.	गोवा	15	0	0	3	20.00	0	0	0	0	3	20.00	0	0
6.	गुजरात	60	1	1.67	0	0	0	0	1	1.67	0	0	1	1.67
7.	हरियाणा	45	3	6.67	1	2.22	5	11.11	30	66.67	0	0	2	4.44
8.	हिमाचल प्रदेश	45	0	0	1	2.22	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	1	2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	कर्नाटक	60	9	15.00	9	15.00	0	0	5	8.83	0	0	1	1.67
11.	केरल	45	1	2.22	0	0.00	0	0.00	3	6.67	0	0.00	0	0.00
12.	मध्य प्रदेश	135	9	6.67	3	2.22	2	1.48	12	8.89	0	0.00	0	0.00
13.	महाराष्ट्र	90	37	41.44	11	12.22	0	0.00	11	12.22	1	1.11	4	4.44
14.	मणिपुर	15	13	86.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

जारी .....

<u>संलग्नक 15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.	मिजोरम	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	90	9	10.00	15	16.67	3	3.33	2	2.22	1	1.11	1	1.11
19	पंजाब	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	राजस्थान	90	4	4.44	2	2.22	0	0.00	1	1.11	0	0	0	0
21.	सिक्किम	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
22	तामिलनाडु	75	17	22.67	22	29.33	5	6.67	4	5.33	2	2.67	0	00
23	त्रिपुरा	15	1	6.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	उत्तर प्रदेश	180	15	8.33	19	10.56	4	2.22	9	5.00	1	0.56	1	0.56
25	पश्चिम बंगाल	45	2	4.44	2	4.44	0	0	0	0	0	0	0	0
	अखिल भारत	1500	135	9.00	118	7.87	22	1.47	86	5.73	8	0.53	13	0.87

संलग्नक 16

प्रति प्रतिदर्श गाँवों में उपलब्ध औसत सांस्थानिक भण्डारण क्षमता

क्रम संख्या	राज्य का नाम	क्विंटल में औसत सांस्थानिक भण्डारण क्षमता		
		गाँवों में	गाँवों के बाहर	कुल
1	2	3	4	5
1	ऑध्र प्रदेश	920	44329	45249
2.	अरूणाचल प्रदेश	80	-	80
3.	असम	169	974	1143
4.	बिहार	321	30	351
5.	गोवा	-	2000	2000
6.	गुजरात	253	9367	9620
7.	हरियाणा	578	106886	107464
8.	हिमाचल प्रदेश	187	0	187
9.	जम्मू एवं कश्मीर	-	11	11
10.	कर्नाटक	175	12551	12726
11.	केरल	2423	961	3384
12.	मध्य प्रदेश	203	4586	4789
13.	महाराष्ट्र	1849	7483	9332
14.	मणिपुर	7	87	94
15.	मेघालय	0	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-
17.	नागालैंड	314	-	314
18.	उड़ीसा	706	4336	5042
19.	पंजाब	-	27845	27845
20.	राजस्थान	32	91	123
21.	सिक्किम	93	508	601
22.	तमिलनाडु	1131	486	1617
23.	त्रिपुरा	-	7	7
24.	उत्तर प्रदेश	293	8814	9107
25.	पश्चिम बंगाल	596	2114	2710
	अखिल भारत	10330	233466	243796

संलग्नक 17

कुछ राज्यों में चुनिंदा प्रतिदर्श गाँवों में भण्डारण की औसत लागत

भण्डारण की औसत लागत (रूपये / क्विंटल / माह)*

क्रम संख्या	राज्य का नाम	गाँव में	गाँव के बाहर
1	2	3	4
1	ऑध्र प्रदेश	--	1.50-1.70
2.	असम	---	1.01
3.	बिहार	7.50	7.50
4.	गुजरात	1.00	1.00
5.	हरियाणा	1.70	1.70
6.	कर्नाटक	5.00	1.25-5.00
7.	केरल	2.50	1.50
8.	मध्य प्रदेश	1.90	2.75
9.	महाराष्ट्र	2.10	2.15
10.	उडिसा	1.00	0.80-1.00
11.	पंजाब	--	1.45-1.80
12.	राजस्थान	--	2.10
13.	सिक्किम	0.50	0.50
14.	तमिलनाडु	0.70	1.50-3.50
15.	उत्तर प्रदेश	3.30	1.90-3.30

- **पूर्णांकित**
- **संलग्नक 18**

गाँवों में कृषक परिवारों की कुल संख्या के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिदर्श गाँवों की कुल संख्या	कुल कृषक परिवारों वाले प्रतिदर्श गाँवों की संख्या							
			50 से कम	50 से 100	100 से 200	201 से 300	301 से 400	401 से 500	500 से अधिक	औसत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ऑध्र प्रदेश	75	0	2	17	9	12	5	30	490.83
2.	अरूणाचल प्रदेश	30	9	11	8	2	0	0	0	86.6

3.	असम	75	17	20	26	7	3	2	0	125.8
4.	बिहार	165	29	47	56	22	4	5	2	140.28
5.	गोवा	15	0	0	2	0	0	1	12	2066.6
6.	गुजरात	60	5	6	15	4	9	6	15	335.37
7.	हरियाणा	45	6	13	11	5	3	1	6	240.49
8.	हिमाचल प्रदेश	45	8	16	11	7	3	0	0	123.56
9.	जम्मू एवं कश्मीर	45	3	8	19	11	3	0	1	176.18
10.	कर्नाटक	60	10	14	15	10	6	3	2	181.7
11.	केरल	45	1	1	3	7	1	4	28	717.91
12.	मध्य प्रदेश	135	5	15	33	31	16	15	20	313.41
13.	महाराष्ट्र	90	1	13	21	11	13	7	24	467.81
14.	मणिपुर	15	1	2	6	2	3	1	0	196.47
15.	मेघालय	15	5	7	1	1	0	1	0	101.33
16.	मिजोरम	15	2	4	8	0	1	0	0	136.87
17.	नागालैंड	15	1	1	5	3	3	1	1	238.87
18.	उड़ीसा	90	15	21	31	16	2	3	2	153.78
19.	पंजाब	45	5	12	13	7	3	2	3	190.6
20.	राजस्थान	90	15	21	18	17	5	5	9	203.36
21.	सिक्किम	15	1	7	6	1	0	0	0	108.13
22.	तमिलनाडु	75	6	13	21	11	10	6	8	241.37
23.	त्रिपुरा	15	0	0	1	5	3	0	6	437.13
24.	उत्तर प्रदेश	180	18	33	70	31	15	2	11	197.13
25.	पश्चिम बंगाल	45	1	4	10	7	12	4	7	326.40
	अखिल भारत	1500	164	291	427	227	130	74	187	258.42

संलग्नक 19

प्रति परिवार सदस्यों की औसत संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	छोटी श्रेणी			मध्यम श्रेणी			बड़ी श्रेणी			सभी श्रेणियाँ		
		12 वर्ष से कम	12 वर्ष से अधिक	प्रति परिवार कुल सदस्यों की संख्या	12 वर्ष से कम	12 वर्ष से अधिक	प्रति परिवार कुल सदस्यों की संख्या	12 वर्ष से कम	12 वर्ष से अधिक	प्रति परिवार कुल सदस्यों की संख्या	12 वर्ष से कम	12 वर्ष से अधिक	प्रति परिवार कुल सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ऑध्र प्रदेश	0.70	4.29	4.99	0.84	4.90	5.74	0.76	5.00	5.76	0.77	4.73	5.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.12	4.87	5.99	1.06	5.27	6.33	0.99	5.60	6.59	1.06	5.25	6.31
3.	असम	1.64	3.97	5.61	1.36	4.95	6.31	1.32	5.61	6.93	1.44	4.84	6.28
4.	बिहार	1.62	4.74	6.36	1.78	5.38	7.16	1.73	6.10	7.83	1.71	5.41	7.12
5.	गोवा	0.80	4.98	5.78	0.53	6.04	6.57	0.82	5.71	6.53	0.72	5.58	6.30
6.	गुजरात	0.61	4.27	4.88	0.48	4.61	5.09	0.54	4.70	5.24	0.54	4.53	5.07
7.	हरियाणा	1.45	5.06	6.51	1.69	6.33	8.02	2.35	7.71	10.06	1.83	6.37	8.20
8.	हिमाचल प्रदेश	0.59	1.93	2.52	0.66	2.40	3.06	0.90	2.56	3.46	0.72	2.30	3.02
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1.41	4.74	6.15	1.35	5.78	7.13	1.43	5.81	7.24	1.40	5.44	6.84
10.	कर्नाटक	1.01	4.93	5.94	1.17	5.09	6.26	1.33	6.24	7.57	1.17	5.42	6.59
11.	केरल	0.46	4.43	4.89	0.42	4.61	5.03	0.54	4.66	5.20	0.47	4.57	5.04
12.	मध्य प्रदेश	1.36	4.71	6.07	1.39	5.70	7.09	1.56	6.63	8.19	1.44	5.68	7.12
13.	महाराष्ट्र	1.00	4.30	5.30	0.99	4.48	5.47	1.04	5.11	6.15	1.01	4.63	5.64
14.	मणिपुर	1.25	4.80	6.05	1.69	4.78	6.47	1.44	5.78	7.22	1.46	5.12	6.58
15.	मेघालय	1.30	4.13	5.43	1.22	4.51	5.73	1.18	5.00	6.18	1.23	4.55	5.78

जारी .....

संलग्नक 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मिजोरम	1.43	5.27	6.70	1.22	5.69	6.91	0.78	6.76	7.54	1.14	5.91	7.05
17.	नागालैंड	1.88	8.67	10.55	1.20	10.00	11.20	1.91	12.45	14.36	1.66	10.37	12.03
18.	उड़ीसा	1.39	4.76	6.15	1.42	5.33	6.75	1.59	6.00	7.59	1.47	5.36	6.83
19	पंजाब	0.89	4.68	5.57	1.07	4.84	5.91	1.19	5.80	6.99	1.05	5.11	6.16
20.	राजस्थान	1.51	5.63	7.14	1.39	6.34	7.73	1.69	6.30	7.99	1.53	6.09	7.62
21.	सिक्किम	0.83	4.15	4.98	0.69	4.33	5.02	0.71	4.40	5.11	0.74	4.29	5.03
22	तामिलनाडु	0.67	4.51	5.18	0.80	4.57	5.37	0.94	5.01	5.95	0.80	4.70	5.50
23	त्रिपुरा	1.08	4.40	5.48	1.11	5.11	6.22	1.42	5.96	7.38	1.20	5.16	6.36
24	उत्तर प्रदेश	1.57	5.17	6.74	1.56	5.69	7.25	1.60	6.12	7.72	1.58	5.66	7.24
25	पश्चिम बंगाल	0.92	4.48	5.40	1.14	5.36	6.50	1.08	6.26	7.34	1.05	5.37	6.42
	अखिल भारत	1.14	4.71	5.85	1.13	5.28	6.41	1.23	5.89	7.12	1.17	5.30	6.45

जनसंख्या के आकार के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन चित्र-1

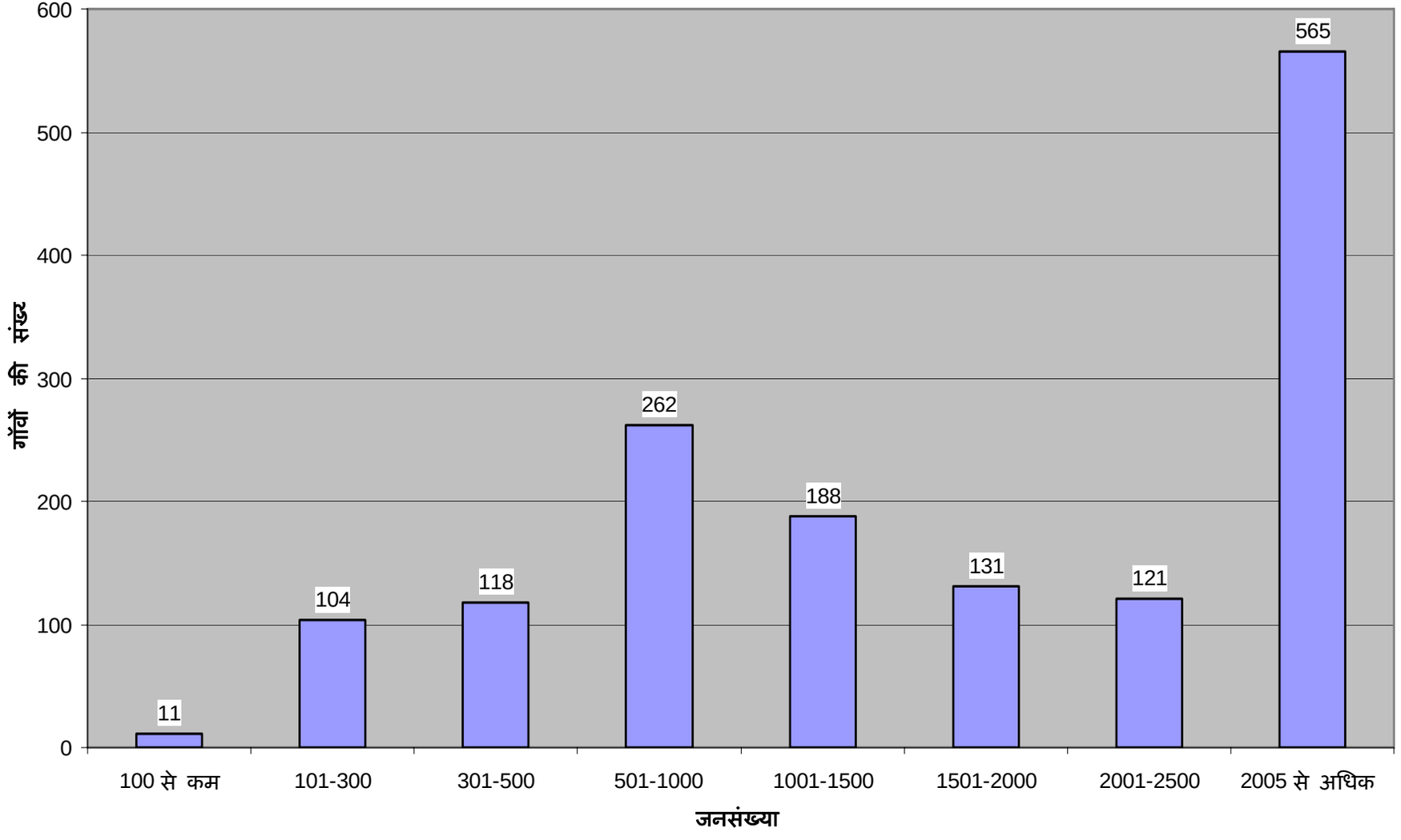

कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत के रूप में कुल कृषि किया गया क्षेत्र

चित्र-2

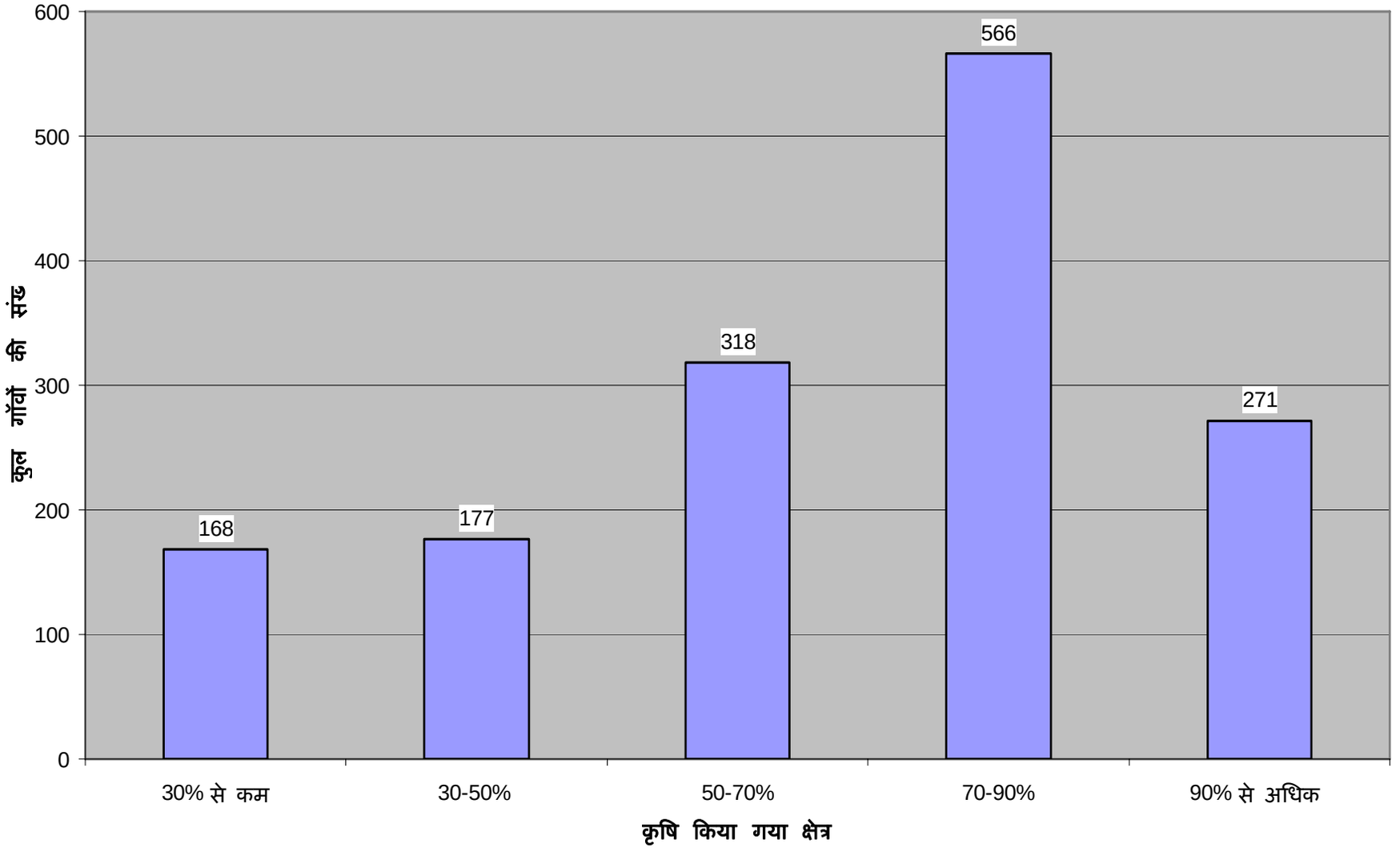

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत औसत बुआई क्षेत्र

चित्र -4

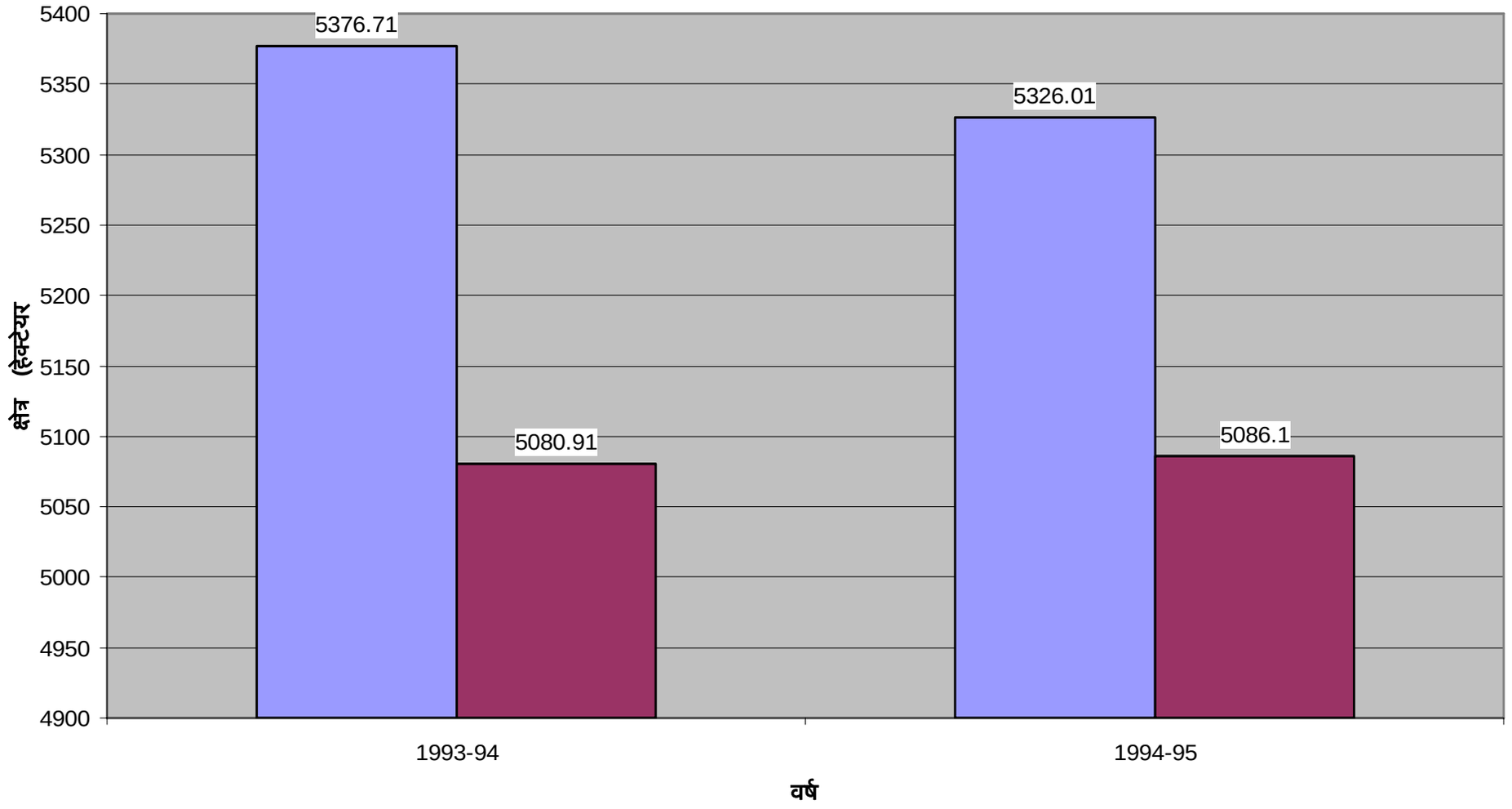

वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 के औसत आँकडों पर आधारित गाँवों में उगाई गई चित्र -5
फसलों के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

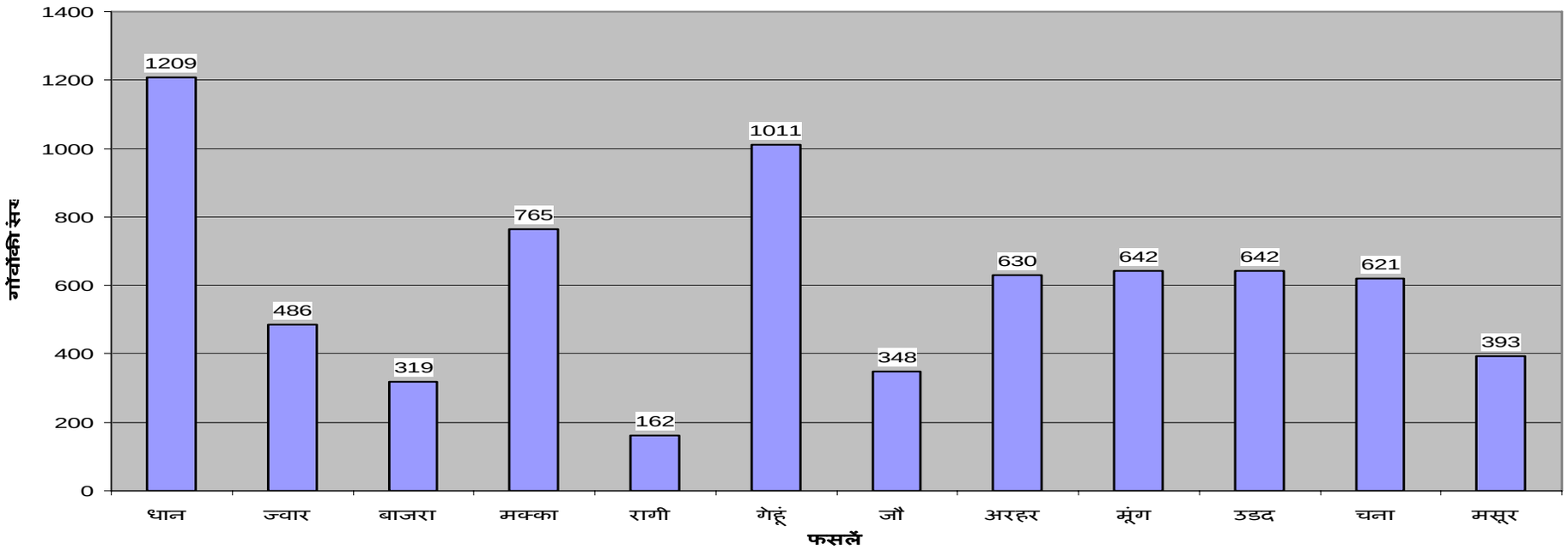

प्रति गाँव प्रतिदर्श कृषकों की औसत संख्या का विभाजन चित्र -6

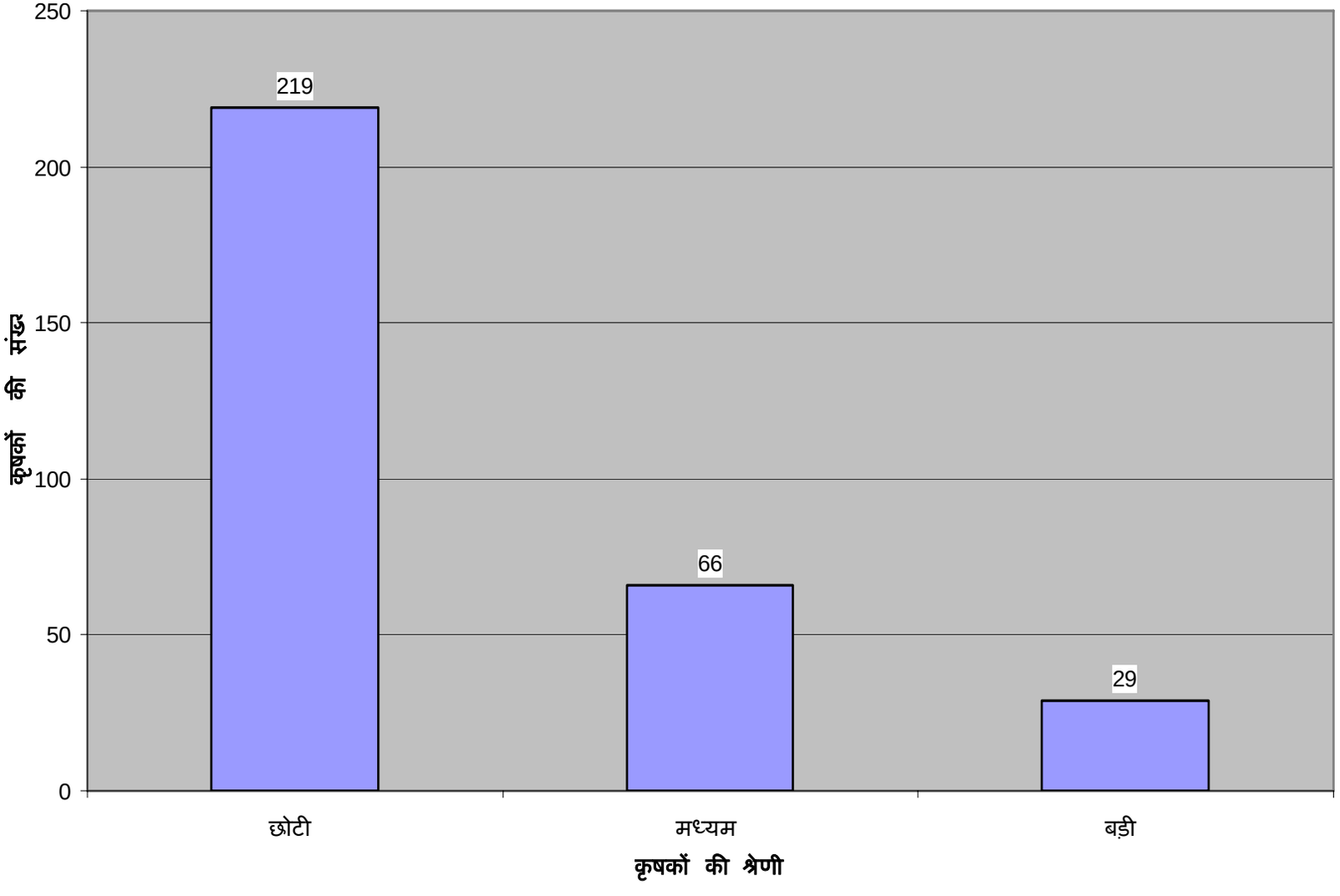

निकटतम बाजार से दूरी के आधार पर प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन चित्र -7

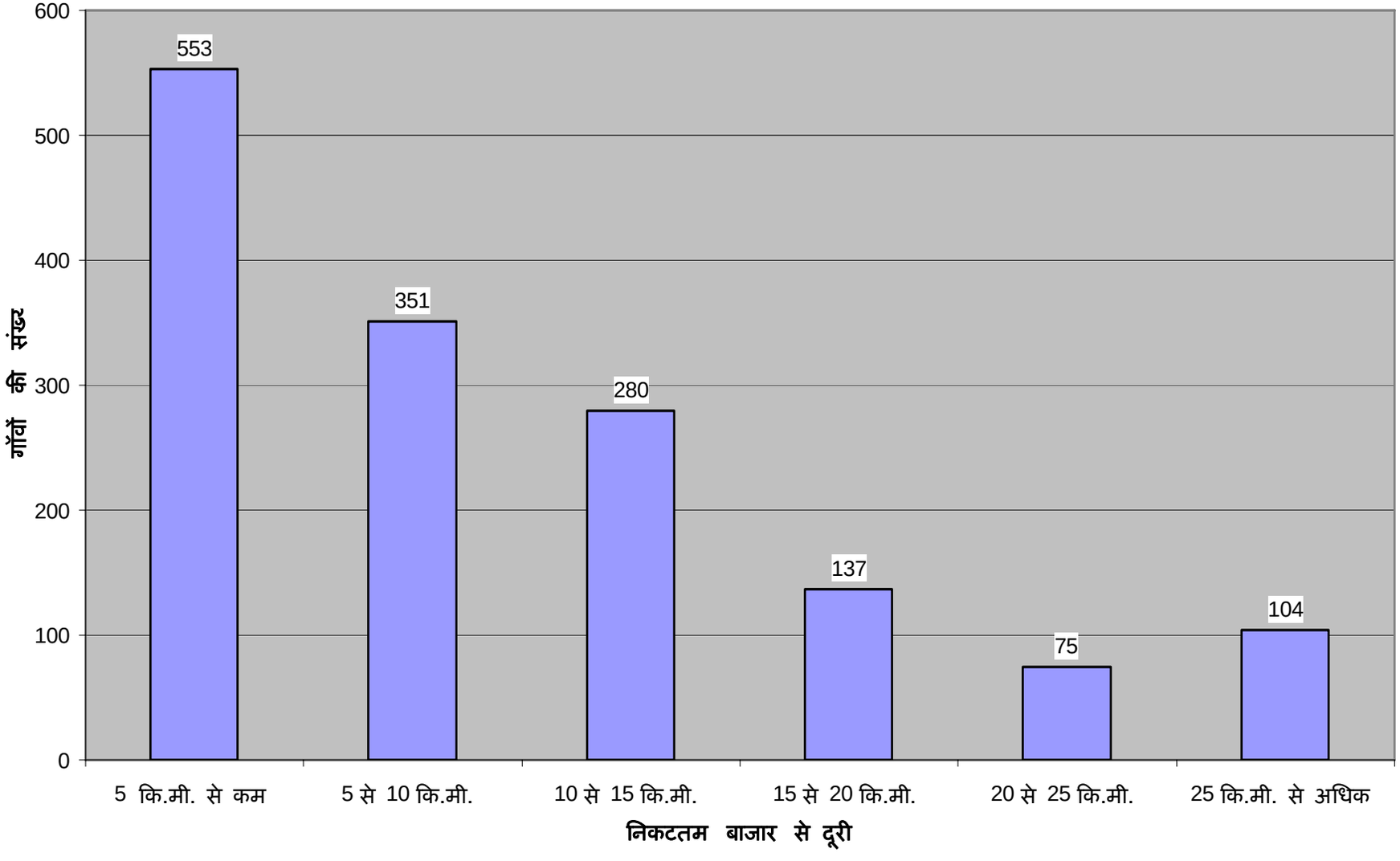

फीडर सडक की स्थिति के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन चित्र -8

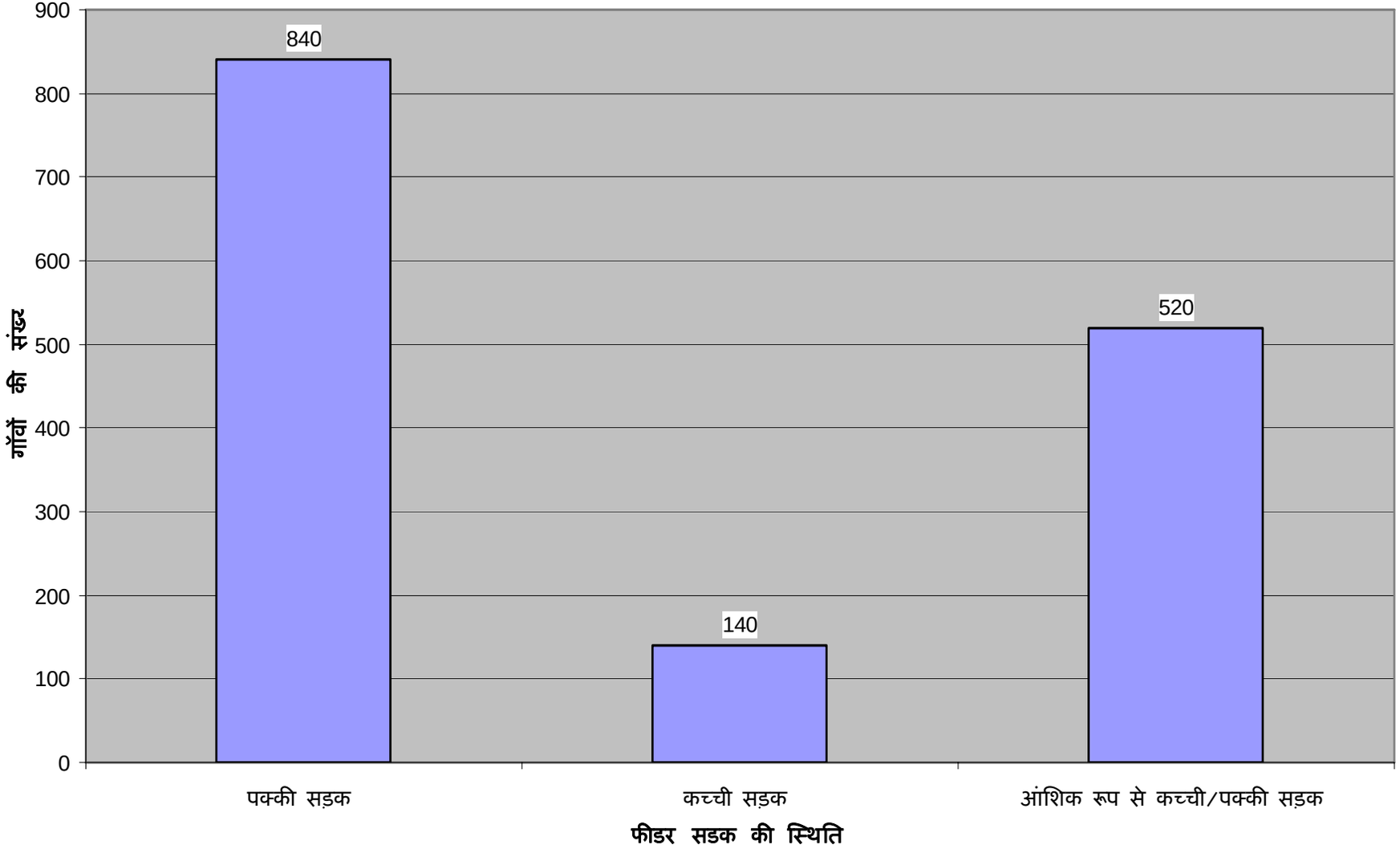

निकटतम बाजार के प्रकार के अनुसार प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन चित्र -9

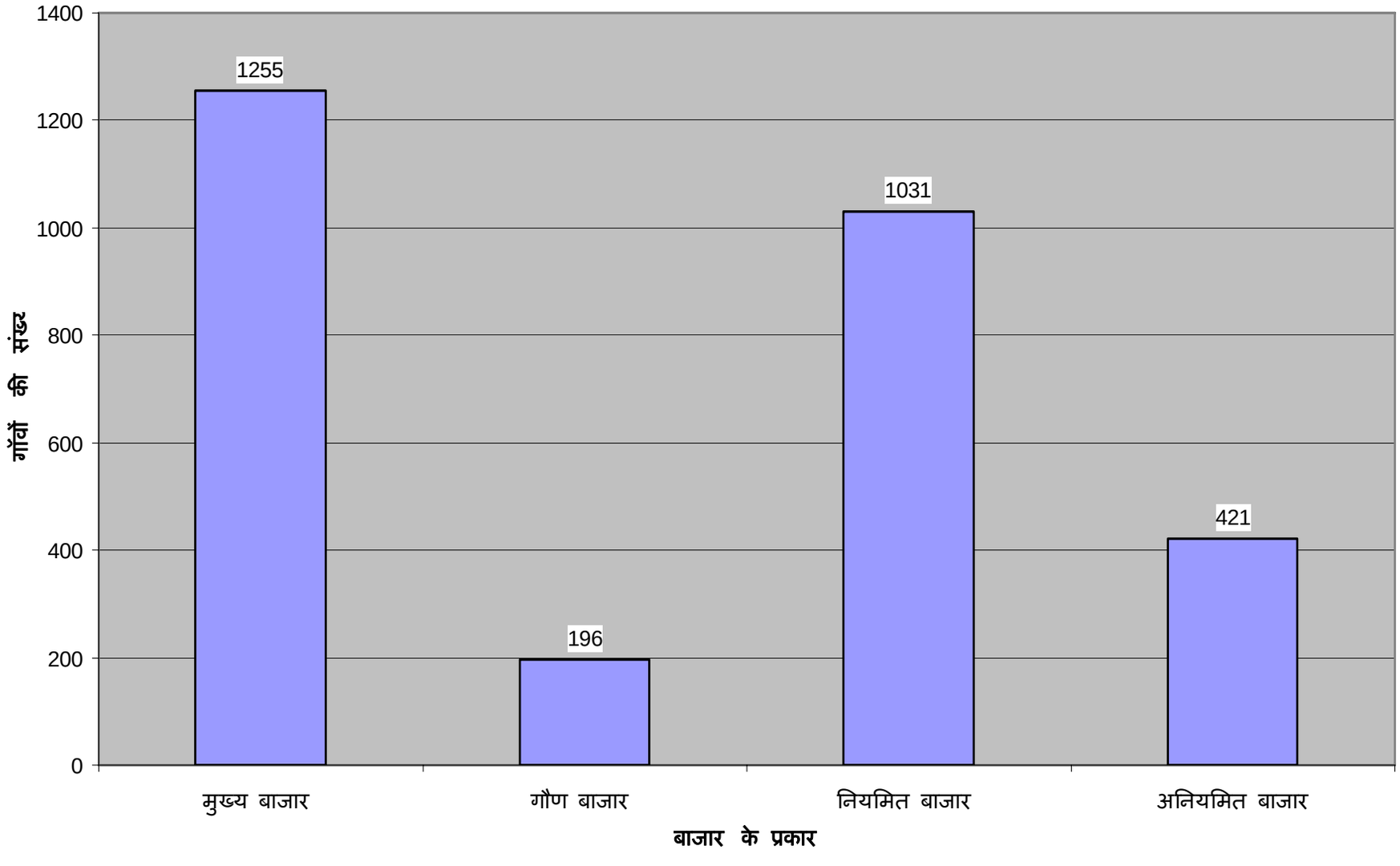

गाँवों में सांस्थानिक भण्डारण सुविधाओ की उपलब्धता के अनुसार चित्र -10
प्रतिदर्श गाँवों का विभाजन

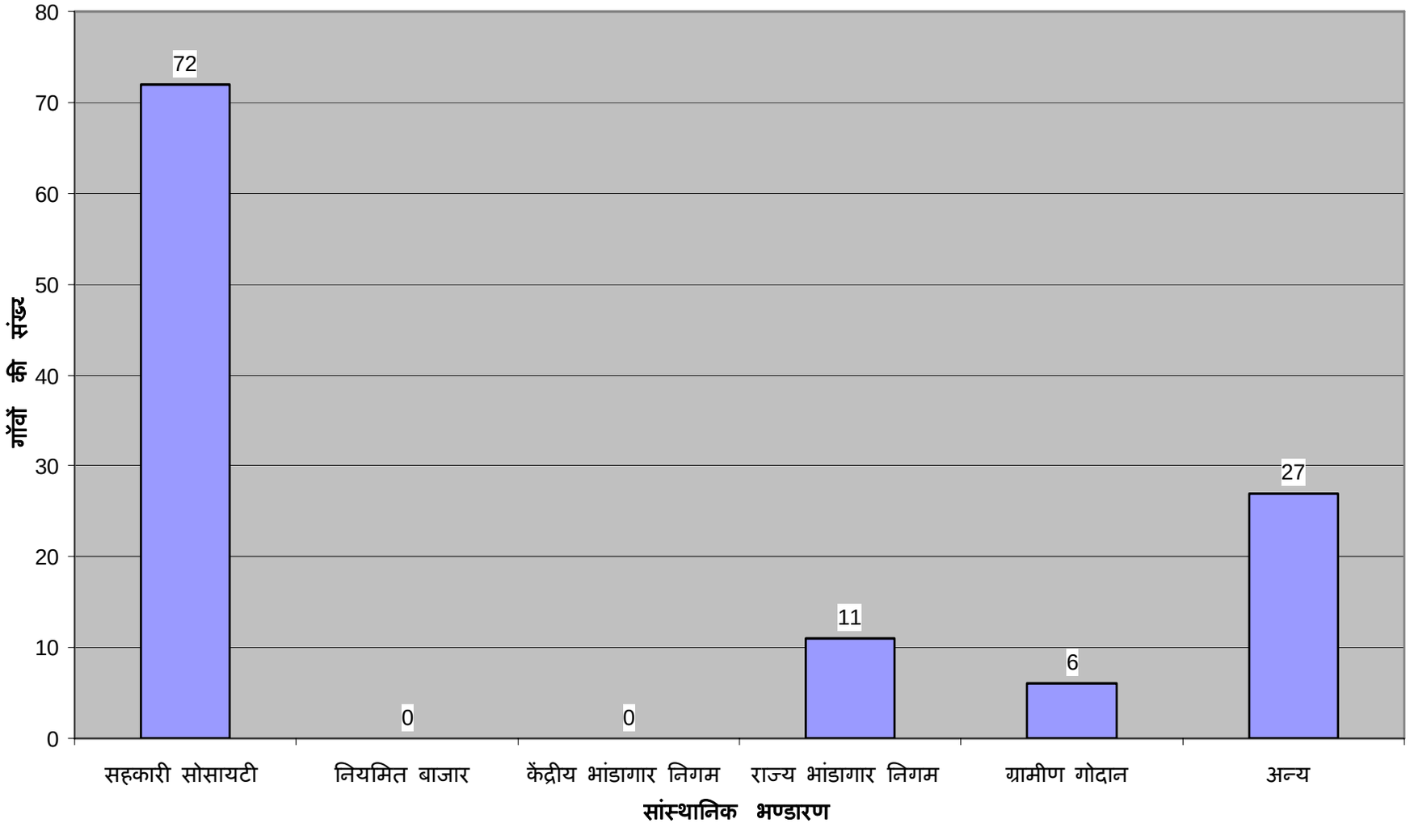

गॉव के बाहर किंतु 10 कि.मी. के दायरे के भीतर सांस्थानिक भण्डारण सुविधाओं की उपलब्धता के नुसार प्रतिदर्श गॉवों की संख्या **चित्र-11**

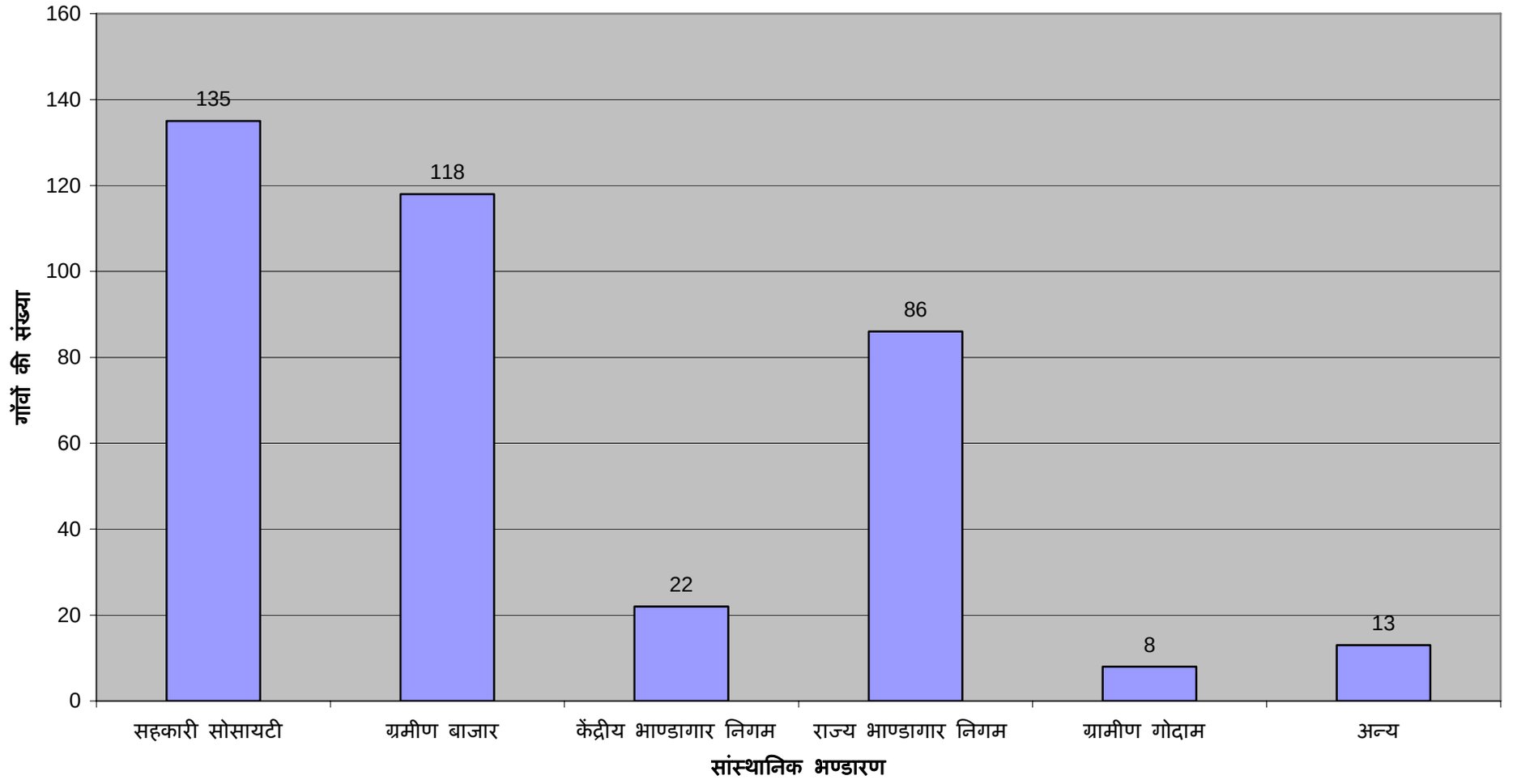

गॉवों में कृषकों की कुल संख्या के अनुसार प्रतिदर्श गॉवों का विभाजन **चित्र -12**

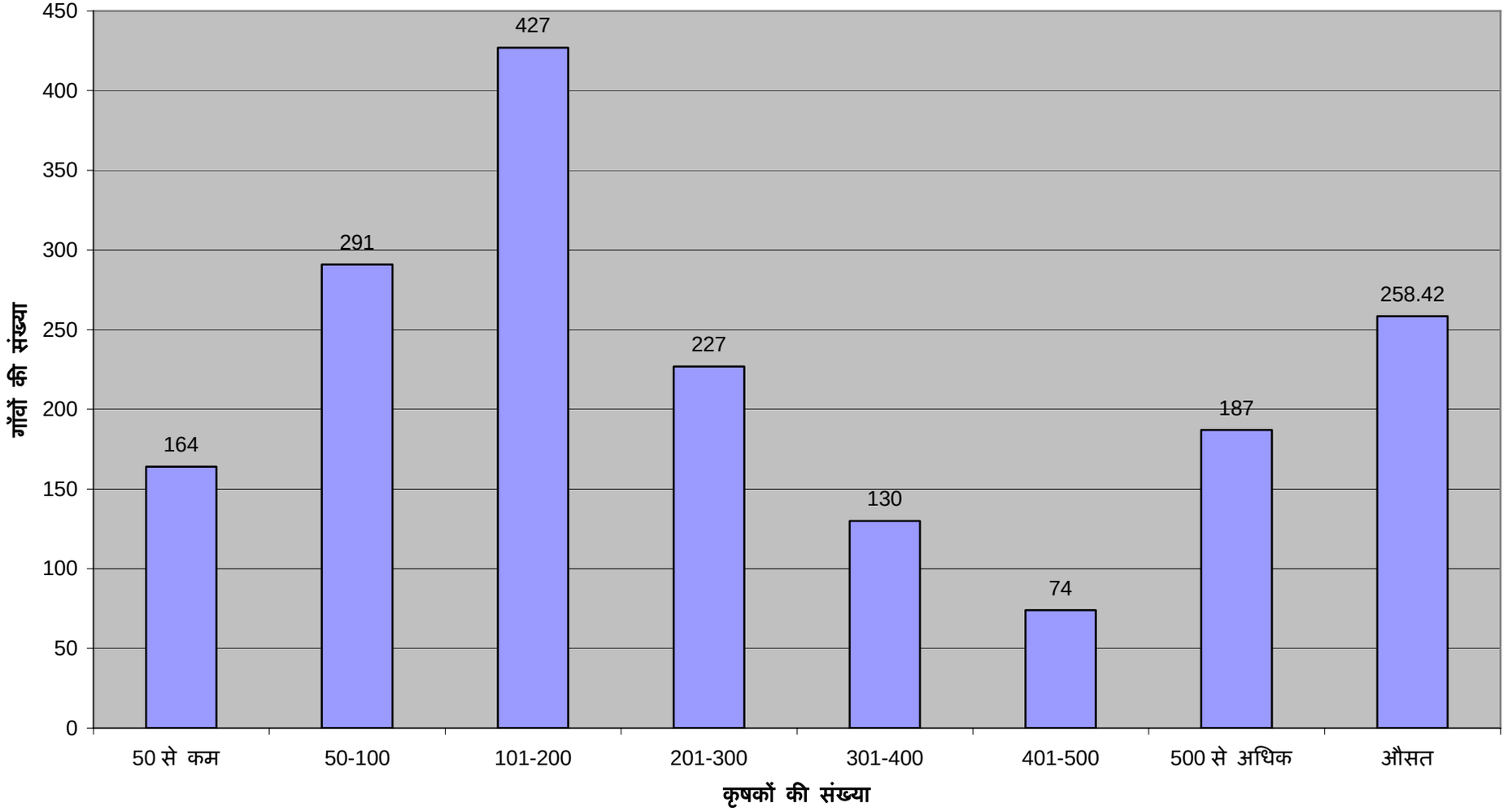

आभार

मुख्य परियोजना समन्वयकर्ता

1. **डॉ. जी. आर. भाटिया**
   अपर कृषि विपणन सलाहकार (तारीख 14.1.2001 से)

2. **श्री एच. पी. सिंह**
   संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार
   (तारीख 10.11.2002 से)

3. **श्री आर.जे. वर्मा,**
   संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार
   (13.01.2002 तक)

परियोजना समन्वयकर्ता

4. **श्री बी. डी. शेरकर**
   उप कृषि विपणन सलाहकार
   (तारीख 1.9.2002 से)

5. **श्री आर. ए. खानोरकर**
   उप कृषि विपणन सलाहकार
   (तारीख 31.8.2002 तक)

क्षेत्रीय/उप-कार्यालय स्तर के परियोजना समन्वयकर्ता

1. श्री संतरी प्रसाद, उप कृषि विपणन सलाहकार, नई दिल्ली
2. श्री डी.पी. सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, नई दिल्ली
3. श्री हर प्रसाद , उप कृषि विपणन सलाहकार, चंडीगढ़
4. डॉ जमनलाल, उप कृषि विपणन सलाहकार, जयपुर
5. श्री आर.एम.करपटे, उप कृषि विपणन सलाहकार, कलकत्ता
6. श्री एस.के. मलिक, उप कृषि विपणन सलाहकार, कलकत्ता
7. डॉ बी. के. सिन्हा, उप कृषि विपणन सलाहकार, गुवाहाटी
8. श्री एस.डी. फडके, उप कृषि विपणन सलाहकार, भोपाल
9. डॉ. एस.एस.पी. राव, उप कृषि विपणन सलाहकार, भोपाल
10. डॉ. शणमुगम, उप कृषि विपणन सलाहकार, चेन्नै
11. डॉ. नारायण सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, कोचीन
12. श्री आर.एस.सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, मुम्बई
13. श्री के.पी. सिंह, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, जम्मू
14. श्री शफीक अहमद, वरिष्ठ विपणन अधिकारी

15. श्री एच.एन. अब्बासी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, पटना
16. श्री वी. एल. वैरागर, वरिष्ठ विपणन अधिकारी
17. श्री ई. मोहन नायडू, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, हैदराबाद
18. डॉ. सजनी कुमार, बैंगलूर
19. श्री ई.एस. पॉलास, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, बैंगलूर
20. श्री टी.के.रे., वरिष्ट विपणन अधिकारी
21. श्री एन.एल सिंह, विपणन अधिकारी
22. श्री एम.एस. बनकर, विपणन अधिकारी
23. श्री एस. डी. कथालकर, विपणन अधिकारी
24. श्री पी.जी. चौधरी, विपणन अधिकारी
25. श्री एम.पी. पराशर, विपणन अधिकारी
26. श्री मनोज कुमार, विपणन अधिकारी
27. श्री मनीष चौधरी, विपणन अधिकारी
28. श्री भवेश कुमार जोशी, विपणन अधिकारी

<u>सहायक परियोजना समन्वयकर्ता (राज्य स्तर)</u>

(पुनर्नियोजित अधिकारी)

29. श्री नंदैह्ययया, विपणन अधिककारी, हैदराबाद
30. श्री ए.के. दास, विपणन अधिकारी, कोलकाता
31. श्री एन.जी.दास, विपणन अधिकारी, कोलकाता
32. श्री जय प्रकाश, विपणन अधिकारी, पटना
33. श्री एम. के. द्विवेदी, विपणन अधिकारी, पटना
34. श्री एम जगन मोहन राव, विपणन अधिकारी, गोवा
35. श्री एच.सी. वत्सल, विपणन अधिकारी, अहमदाबाद
36. श्री आर. के. मीणा, विपणन अधिकारी, चंडीगढ़
37. श्री के.सी. राऊत, विपणन अधिकारी, चंडीगढ़
38. श्री आर.आर. एस राठौर, विपणन अधिकारी, चंडीगढ़
39. श्री ए.एस. शर्मा, विपणन अधिकारी, जम्मू तवी
40. श्री एन.के. मिश्रा, विपणन अधिकारी, जम्मू तवी
41. श्री बी. पुरोहित, विपणन अधिकारी, बैंगलूर
42. श्री. एस नुहू कन्नू, विपणन अधिकारी, केरल
43. श्री आर.एस. सिंह, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, भोपाल
44. श्री आर. एस. वरिष्ठ विपणन अधिकारी, पुणे
45. श्री वी.एम. हेडाऊ, विपणन अधिकारी, मुम्बई
46. श्री एस. ओ. गनोरकर, विपणन अधिकारी, नासिक
47. श्री पी.पी. मुखोपाध्याय, विपणन अधिकारी, कोलकाता
48. श्री जी.बी. दांडी, विपणन अधिकारी, कोलकाता
49. श्री आर.सी. पांडा, विपणन अधिकारी, भुवनेश्वर

50. श्री सी. जेना, विपणन अधिकारी, भुवनेश्वर
51. श्री एम.एल. मीणा, विपणन अधिकारी, जयपुर
52. श्री राजा राम रावत, विपणन अधिकारी, जयपुर
53. श्री के. जयनन्दन, विपणन अधिकारी, चेन्नै
54. श्री आर. बी.एस. यादव, विपणन अधिकारी, लखनऊ
55. श्री जी.बी. रब्बानी, विपणन अधिकारी, लखनऊ
56. श्री एच.एन राय, विपणन अधिकारी, लखनऊ
57. श्री आर.जी.सिंह, विपणन अधिकारी, नई दिल्ली
58. श्री एच.सी हल्दर, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, कोलकाता

<u>लिपिकीय सहायक</u>

59. श्रीमती प्रेमलता के. चावला, आशुलिपिक
60. श्री एस.एल. सोलंकी, अवर श्रेणी लिपिक
61. श्रीमती इंदिरा हेडावु, प्रवर श्रेणी लिपिक
62. श्रीमती आशा गोटाफोडे, प्रवर श्रेणी लिपिक
63. श्रीमती एस.आर. पेंदाम, प्रवर श्रेणी लिपिक
64. कु. कल्पना मेश्राम, सांख्यिकीय सहायक
65. श्री विपलव मेश्राम, सांख्यिकीय सहायक
66. श्री विजय कुंभारे, अवर श्रेणी लिपिक
67. श्री शेखर पौनीकर, अवर श्रेणी लिपिक
68. श्री सी.जी. निनावे, अवर श्रेणी लिपिक

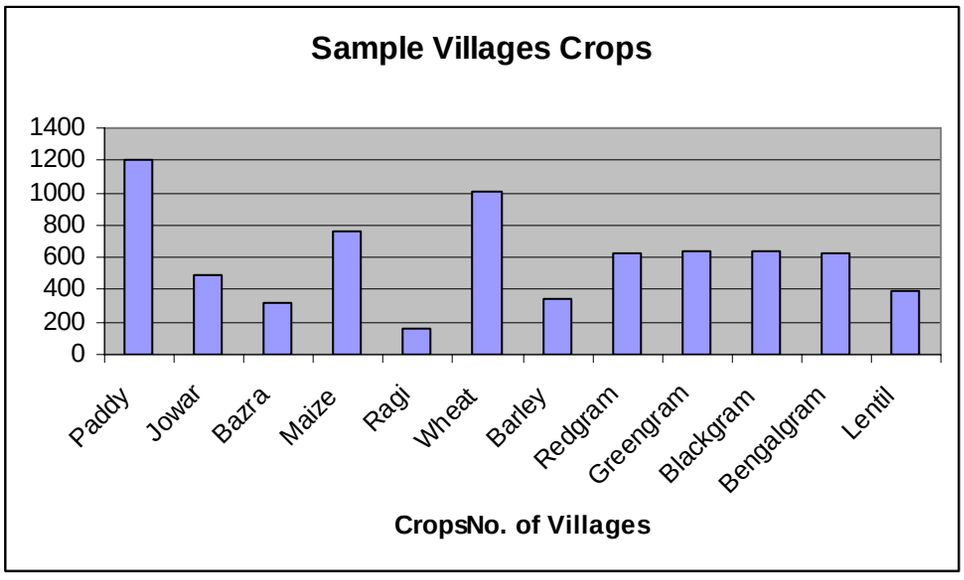
Sample Villages Crops
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Paddy
Jowar
Bazra
Maize
Ragi
Wheat
Barley
Redgram
Greengram
Blackgram
Bengalgram
Lentil
CropsNo. of Villages

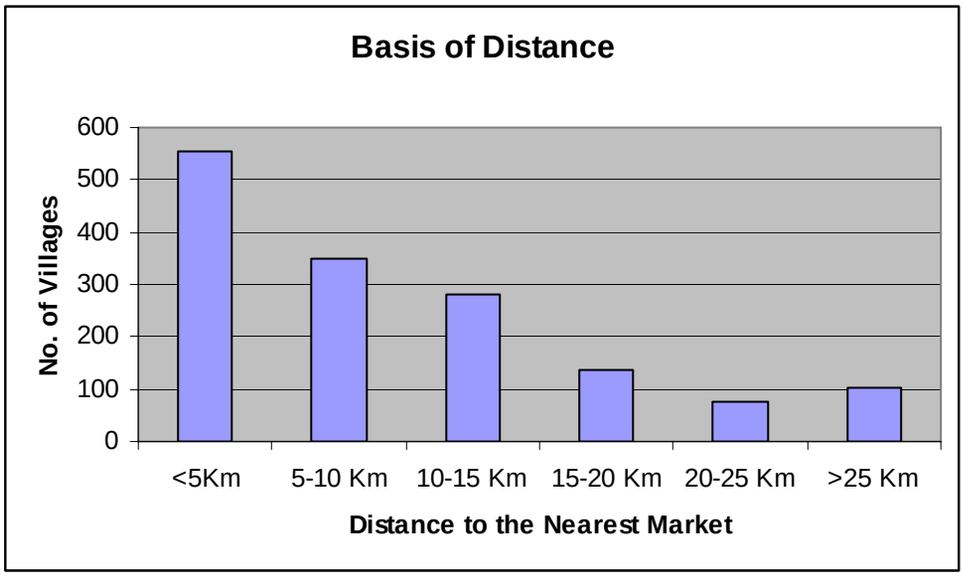
Basis of Distance
600
500
400
300
200
100
0
No. of Villages
<5Km
5-10 Km
10-15 Km
15-20 Km
20-25 Km
>25 Km
Distance to the Nearest Market

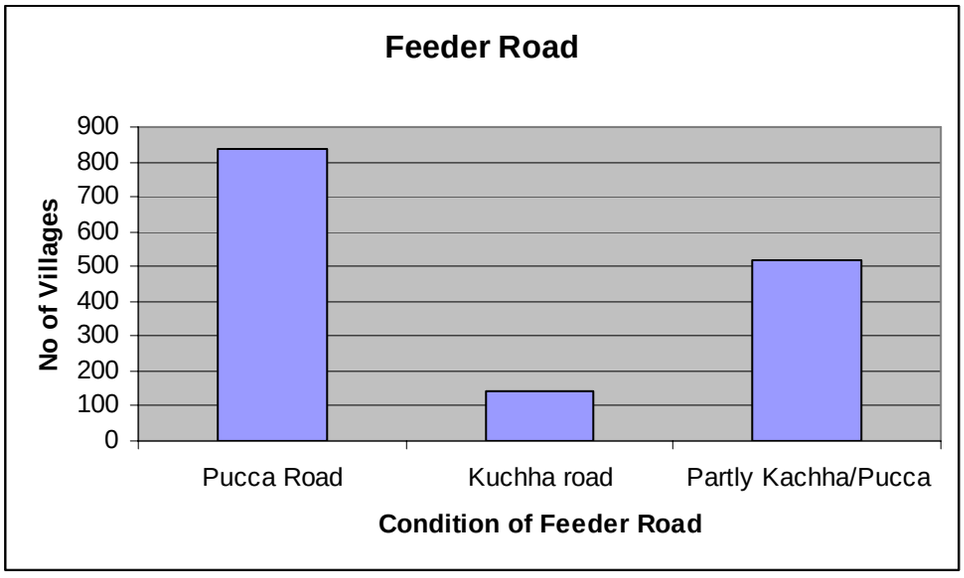
Feeder Road
No of Villages
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Pucca Road
Kuchha road
Partly Kachha/Pucca
Condition of Feeder Road

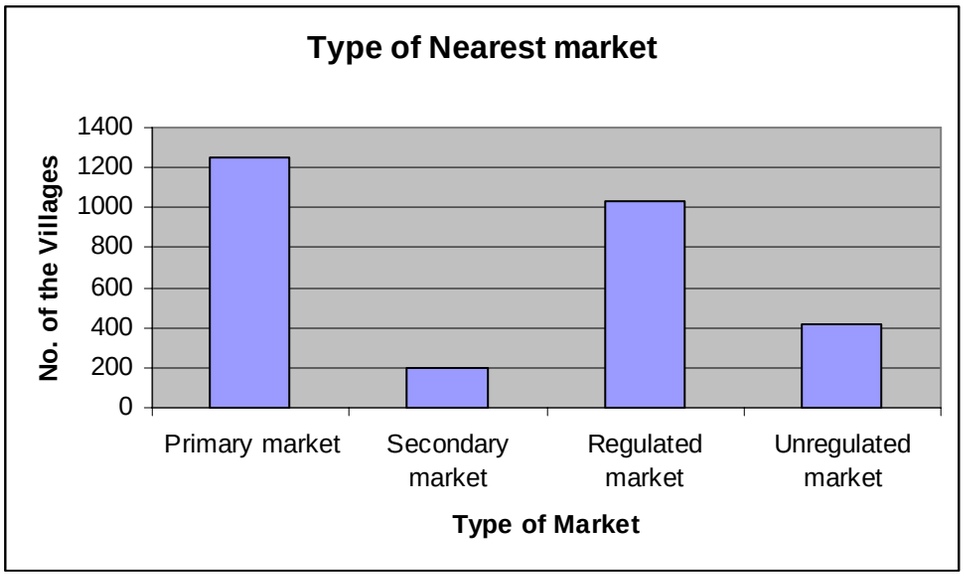
Type of Nearest market
No. of the Villages
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Primary market
Secondary market
Regulated market
Unregulated market
Type of Market

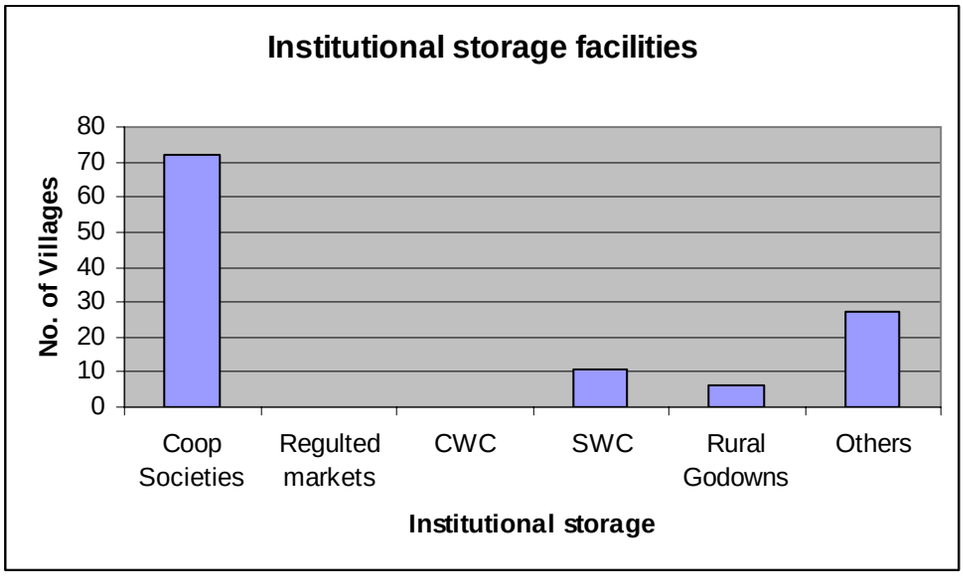
Institutional storage facilities
No. of Villages
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Coop Societies
Regulted markets
CWC
SWC
Rural Godowns
Others
Institutional storage